राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का १७वां दिवस [संख्या १३

बुधवार, दिनांक १९ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक ८.३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सहकारी) पंचायत विद्युत, श्रम, वित्त, योजना, सार्वजनिक निर्माण, वन, आयुर्वेद, उद्योग व विकास-विभाग।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय !

बृहत् कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों में राज्य सरकार के हिस्से

३१७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बृहत् कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों में दस हजार रुपये के शेयर खरीदे गये ? अगर हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले की कौन कौन सोसाइटियों में शेयर हैं ?

(२) इन शेयरों की सोसाइटियों के लिये क्या उपयोगिता है ? क्या इनके आधार पर सोसाइटी को ऋण मिल सकता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, चित्तौड़गढ़ जिले में जिन बृहदाकार समितियों के राज्य सरकार द्वारा हिस्से खरीदे गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

बृहत-कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि०
१. पानमोड़ी
२. प्रतापगढ़ ,, ,,
३. पारसोली ,, ,,
४. पहुना ,, ,,
५. गंगरार ,, ,,
६. बस्सी ,, ,,

(श्री भीमसिंह)

वृहतकृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि०
७. अरनिया संघ ,, ,,
८. चोथपुरा ,, ,,

(२) इस राशि में से समितियों की ऋण व धरोहर लेने की क्षमता तथा कार्यशील पूंजी कट जाती है। इस राशि के आधार पर समिति को ऋण मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया।

भूमि के नामान्तकरण की फीस-तहसील वल्लभनगर

३१८ श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में काश्तकारों की भूमि के नामांतकरण की फीस की रकम आज से दस वर्ष पूर्व की पंचायतों ने प्राप्त कर के विकास के एवं अन्य कार्यों में खर्च कर दी और क्या उस रकम को वर्तमान पंचायतों से वसूली करने के नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसी कितनी पंचायतें हैं?

(२) क्या यह सही है कि वर्तमान पंचायतें ऐसी रकमें आज जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं?

(३) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसी रकमों की छूट करने का विचार रखती है?

उपमंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : जी हां, ऐसी चार पंचायतें हैं।

(२) साधारणतया इन पंचायतों की आर्थिक स्थिति विशेष अच्छी नहीं है।

(३) वर्तमान में ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री उदयलाल वर्दिया : वह पैसा उन्होंने विकास आदि के कार्यों में खर्च कर दिया, पहले पंचायतें बड़ी थीं, अब वे कहां पैसे देंगे, अब वे पैसा कहां से लायेंगे?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायतों ने विकास के लिये खर्च किया था उन्हें देना तो चाहिये।

श्री उदयलाल वर्दिया : देंगे क्या पैसे तो उनके पास हैं नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दो पंचायतों ने तो दे भी दिया है और दो का मामला कलेक्टर के यहां विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

बिजली की दरें

३१६. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Power Minister be pleased to state:—

(1) What is the Hydel and Diesel Power tarrif for Agriculture and Irrigation loads?

(2) Whether power tariff for Horticulture is the same as for Agriculture and Irrigation load or different?

Page No. 3

(श्री बृजेन्द्रपाल)

(3) Is it a fact that the Union Govermment has suggested to the States to ensure that the rates for power supplied to farmers are kept as low as possible and do not in any case exceed nine paise per unit ?

(4) If so, how long the State Government will take to revise the power rates ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) कृषि तथा सिंचाई के लिये निर्धारित टेरिफ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । दोनों के लिये समान है ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बृजेन्द्रपाल : नं० २ के उत्तर में दोनों के लिये मान का कहा था पर हॉर्टीकल्चर के लिये अलग और एग्रीकल्चर के लिये अलग डिमाण्ड की जाती है ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसा कोई इन्स्टान्स हो तो हमारे ध्यान में लाइये, ठीक कर देंगे ।

प्रश्न संख्या ३२०

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२१

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल ।

छोटे ग्रामों को बिजली

३२२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सच है कि करौली से बिजली की सप्लाई हिन्डौन तक होती है जो नहीं के बराबर है ?

(२) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के छोटे कस्बों को बिजली नहीं दी जा रही है ?

(३) क्या यह सच है कि ग्रामीण अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिये अपने कुओं पर बिजली लगाने को तैयार हैं ?

(४) क्या यह भी सच है कि छोटे ग्रामों के पास होती हुई लाइन जाने पर भी उन्हें बिजली नहीं दी जा रही है ?

(५) यदि हां, तो सरकार उन्हें बिजली देने के बारे में क्या सोच रही है ?

(उप-मंत्री श्री चन्दनमल वैद उत्तर की प्रति अपने कागजों में तलाश करने लगे)

(विराम)

श्री चन्दनमल वैद : I am Just Searchig it, Sir.

Page No. 4

विद्युत मंत्री, (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं लेकिन पूर्ण संतोषजनक नहीं है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) सरकार इन ग्रामों को बिजली देने के लिये गंगापुर से हिन्डौन तक हाईडल पॉवर की लाइन का विचार रखती है। इस काम के लिये ६ लाख की राशि की आवश्यकता है जिसके उपलब्ध होने पर यह काम किया जा सकेगा।

श्री श्रवणलाल : ६ लाख की योजना बनाई है, यह कब से चालू होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : धनराशि उपलब्ध होने पर।

श्री श्रवणलाल : धन राशि तो उपलब्ध हो जायगी पर क्या सर्वे कराई है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, तभी तो कहा है।

श्री श्रवणलाल : क्या इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा कर दिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : पहले करने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

सैल्स टैक्स के फार्मों को हिन्दी में छपाने की व्यवस्था

३२३. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सैल्स टैक्स के फार्म अंग्रेजी में छपे रहते हैं और गांव के छोटे छोटे व्यापारियों को अंग्रेजी में फार्म भराने में बड़ी दिक्कत पेश आती है ?

(२) यदि हां, तो फार्म हिन्दी में छपाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा): (१) सैल्स टैक्स के फार्म हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं। इस समय अंग्रेजी व हिन्दी में जो फार्म उपलब्ध हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अंग्रेजी के कुछ फार्म हिन्दी में अनुवाद करके छपवाने का प्रयत्न जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी जो फार्म हैं उनमें से २४ फार्म तो अंग्रेजी में हैं और केवल ५ फार्म हिन्दी में हैं। इससे क्या सरकार समझती है कि पूरे के पूरे फार्म हिन्दी में हैं। हिन्दी और अंग्रेजी में इतना फरक क्यों है ?

श्री परसराम मदेरणा : ज्यादा कर वकीलों के द्वारा रिप्रेजेन्टेशन होते हैं इसलिये वकील प्रेफर करते हैं कि इंगलिश में ही होने चाहिये। पर अपील, रिविजन वगैरह के फार्म हैं वे हिन्दी में अवेलेबल हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जी नहीं फार्म अंग्रेजी में होने के कारण

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

लोगों को वकीलों के पास जाना पड़ता है। सारे के सारे फार्म हिन्दी में छपवायें तो लोगों को सुविधा हो, हिन्दी को प्रोत्साहन देने का कहते हैं फिर ये फार्म हिन्दी में क्यों नहीं छपवाये जाते ?

श्री परसराम मदेरणा : जिन डिपार्टमेंट्स में हिन्दी में काम चलना चाहिये उनमें यह फाइनेन्स डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें अंग्रेजी में काम हो रहा है। फिर हमारे पास इस तरह की शिकायत भी नहीं आई है। अब माननीय सदस्य ने कहा है तो हिन्दी में अनुवाद करा देंगे।

प्रश्न संख्या ३२४.

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(विराम)

प्रश्न संख्या ३२५.

श्री जेठमल बरवड़।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(विराम)

श्री जुझारसिंह।

सड़क के पास की भूमि पर नाजायज कब्जे ग्राम उदयपुरा

३२६. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम उदयपुरा (मोड़क स्टेशन) में किन्हीं लोगों द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. की हद में स्टेशन रोड़ व दूसरी सड़क पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है जिसके कारण सड़क तंग हो गई है व ग्राम पंचायत द्वारा विभाग को एन्क्रोचमेंट हटा देने की प्रार्थना की गई है ?

(२) सड़क के पास की सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब से कब्जा किया हुआ है व सरकार द्वारा अब इन्हें हटवाने को क्या कार्यवाही की गई है, व कब तक हटा देने की उम्मीद है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा इस विषय में इस विभाग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है।

(२) लगभग ५ ६ वर्ष से। राजस्व विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया है। बेदखल करने का क्षेत्र इस विभाग का नहीं है। अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री जुझारसिंह : केवल राजस्व विभाग करेगा। ६ साल से कब्जा है दूसरे लोगों का तो अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसी वर्ष लिया गया है।

श्री जुझारसिंह : लोग ६ साल से

(श्री जुझारसिंह)

काबिज हो गए हैं। एन्क्रोचमेंट के जो केसेज़ हैं, पहले तो वे होने नहीं देना चाहिए था अगर हुआ भी तो जल्दी से जल्दी कार्यवाही पूरी कराएं। ६ वर्ष के बाद में बहुत काम्प्ली-केटेड पोजीशन हो गई है क्योंकि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पी. डब्ल्यू. डी. के पास कोई लीगल ऑथोरिटी नहीं हैं जिनके जरिए वह उनको इजेक्ट कर सके। यह विषय सरकार के विचाराधीन है कि इसके लिए क्या लीगल पॉवर्स पी. डब्ल्यू. डी. के पास होनी चाहिए ताकि वह ऐसे एन्क्रोचमेंट को हटा सके।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी तहसीलदार शिकायत कर सकते हैं और तहसीलदार इस पर कार्य-वाही कर सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : यदि आपके डिपार्ट-मेंट के पास पॉवर्स नहीं है फिर भी जिसके पास लीगल अटारिटीज हों उनको टाइमली सूचना देने की जिम्मेदारी तो पी. डब्ल्यू. डी. की थी। अब ६ साल के बाद इस साल नोटिस दिए गए हैं इसके लिए आपके डिपार्टमेंट की गल्ती है।

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज।

ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें

३२८ श्री मोहनराज (बाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ग्रामों और कस्बों में सार्वजनिक उपयोग हेतु आम सड़कों व रास्तों पर दी जाने वाली बिजली की प्रति बल्ब क्या कोई दर तय की गई है ? यदि हां, तो वह दर क्या है कब से लागू की गई है ? क्या इसकी सूचना ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं को दी गई थी ?

(२) क्या यह दर मिनिमम चार्जेज के रूप में सभी ग्रामों, कस्बों व शहरों में समान रूप से लागू की गई है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। दरों की विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। माह अप्रेल के बाद मीटर को पढ़कर माह मई १९६४ में तथा तत्पश्चात् तैयार किए जाने वाले बिल इन दरों पर तैयार किए जायेंगे राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक भाग २-अ दिनांक २०-३-६४ में नवीन टैरिफ प्रकाशित कर दिया गया था।

(२) इन दरों को फ्लैट रेट की संज्ञा दी गई है अर्थात् ये एक जैसी रहने वाली दरें हैं जिसमें कम या अधिक वसूली नहीं होगी।

सदन की मेज पर रखी हुई सूची में दिखाई गई दरों के अनुसार हाइडल और स्टीम विद्युत् की दरें राजस्थान में सब जगह समान हैं और सभी प्रकार डीजल विद्युत्

(श्री चन्दनमल वैद)

की दरें राजस्थान में सर्वत्र समान हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज : जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, वह मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चन्दनमल वैद : एक प्रति मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

किशनगंज-रामगढ़ सड़क निर्माण कार्य

३२६. श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगंज से रामगढ़ जाने वाली सड़क कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं ?

(२) सन् १९६४ में यह सड़क कहां से कहां तक कितने मील बन चुकेगी ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) अभी प्रारंभ नहीं हुआ है।

(२) आशा है, किशनगंज की ओर से १९६४ में कार्य आरम्भ हो सकेगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : १९६४ के बजट में इस सड़क के लिए कितनी रकम अलॉट की गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ४० हजार रुपये।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : तो आप आशा कैसे व्यक्त करते हैं, यह तो बन ही जानी चाहिए। आपने कहा "आशा है"

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : खर्च हो जायगी।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : खर्च तो किसी काम में भी हो जायगी, दूसरी सड़क पर भी वह रकम खर्च हो सकती है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ४० हजार से जितना काम भी हो सकेगा, वह किया जायगा।

नाइलोन फैक्ट्री, कोटा के मजदूरों को छुट्टियां

३३०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नाइलोन फैक्ट्री, कोटा के मजदूरों को साल भर में कितनी छुट्टियां एक्ट के अनुसार दी जाती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में होली, दिवाली व अन्य राष्ट्रीय त्यौहारों पर भी सवैतनिक छुट्टी नहीं दी जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि १५ अगस्त व २६ जनवरी की छुट्टी भी एक सप्ताह में

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मजदूर के एबसेंट रहने पर इस उद्योग में नहीं दी जाती ?

(४) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में बीमा योजना अभी तक लागू नहीं की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) नाइलोन फैक्ट्री, कोटा में कुल मजदूरों की संख्या कितनी है जिनमें से पर्मानेन्ट कितने हैं और टेम्परेरी की संख्या कितनी है ?

(६) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में हर तीन माह बाद मजदूरों को नौकरी से अलग कर दिया जाता है और १५ दिन पश्चात् उसी सर्विस पर पुनः रखा जाता है जिससे उसकी सर्विस नहीं बन पाती ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) नाइलोन फैक्ट्री के मजदूरों को फैक्ट्री एक्ट १६४८ की धारा ७६, ८० के अनुसार २० दिन काम करने पर १ दिन की सवैतनिक छुट्टी दी जाती है बशर्ते कि मजदूर जो साल भर के दौरान में २४० दिन हाजिर है।

(२) इस फैक्ट्री में होली, दिवाली व अन्य त्यौहारों की सवैतनिक छुट्टियां पहले नहीं दी जाती थीं परन्तु तीन महीने पूर्व हुए समझौते के अनुसार अब मजदूरों को साल में ६ सवैतनिक राष्ट्रीय तथा त्यौहारों की छुट्टियां दी जा रही हैं।

(३) १५ अगस्त व २६ जनवरी की छुट्टियां उपरोक्त समझौते के अनुसार दी जायगी।

(४) बीमा योजना की सुविधाएं अभी तक कोटा में लागू नहीं की गई हैं, परन्तु इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं।

(५) नाइलोन फैक्ट्री, कोटा में कुल ५८८ मजदूर काम करते हैं। उनमें से ३१५ पर्मानेन्ट किये जा चुके हैं और २७३ अभी तक टेम्पेरेरी तरीके से काम कर रहे हैं। सम्बन्धित विवाद लेबर आफिसर, कोटा के पास कन्सीलियेशन में पड़ा हुआ है जिस पर कार्यवाही जारी है। लेबर आफिसर, कोटा ने एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का आश्वासन दिया है।

(६) नाइलोन फैक्ट्री के मजदूरों को तीन तीन महीने के पश्चात् रिन्यू कर दिया जाता है। उक्त विषय नम्बर ५ से कवर हो जाता है जिस सम्बन्ध में लेबर आफिसर समझौता वार्ता कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मामला लेबर आफिसर के पास कब से पैंडिंग है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : १५-४-६४ से ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल।

दौसा-लालसोट बिजली के खंभों पर व्यय

३३१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि दौसा से लालसोट बिजली लगाने के लिए सरकार द्वारा खम्भे गड़ाए गए हैं ?

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

(२) यह खम्भें किस साल गढ़वाये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है ? खर्चे की सूची सदन में प्रस्तुत की जावे ।

(३) अब तक इन पर बिजली न लगाने का क्या कारण है ? अब कब तक लगायी जावेगी और अगर नहीं लगायी जायगी तो क्यों ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां ।

(२) सन् १६५२ में । इसका अनुमानिक व्यय करीब ५० हजार रुपए था ।

(३) लालसोट का विद्युतीकरण हो चुका है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : जो लालसोट और दौसा के बीच में गांव पड़ते हैं उनको भी बिजली दी जायगी ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां । ऐसे गांव जिनके लिए धनराशि रखी है और जो बीच में पड़ते हैं उनको भी विद्युत् दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३३

श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरदत्तसिंह ।

न्याय पंचायतों का खर्चा

३३४. **श्री हरदत्तसिंह** (नौहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) न्याय पंचायतों का अपना खर्चा चलाने के लिए सरकार ने क्या पद्धति अपना रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर की नौहर सब-डिवीजन की किसी भी न्याय पंचायत को इस वर्ष सरकार द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया और न किसी पंचायत द्वारा उनको कोई राशि प्रदान की गई है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) :

(१) न्याय पंचायतों को अपना खर्चा चलाने के लिए नियमानुसार अंशदान संबंधित पंचायतों द्वारा दिया जाता है ।

(२) जी हां ।

श्री हरदत्तसिंह : जी हां का क्या मतलब है । उनको राशि प्रदान की गई है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपके नौहर में तो नहीं की गई है इसलिए मैंने कहा जी हां ।

प्रश्न संख्या ३३५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३६

श्री हनुमानसिंह चौधरी

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

किसानों को हुए नुकसान की पूर्ति

३३७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शम्भूपुरा स्टेशन पर इस वर्ष कुल कितना गन्ना आया और उसमें से कितना गन्ना सुगर मिल भोपाल सागर ने लिया और कितना नहीं और उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ?

(२) क्या सरकार उन किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है?

(३) यदि नहीं तो क्यों? यदि हां तो कितना? व कैसे?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) १,६०,७३३ मन गन्ना आया व सारा ही मिल द्वारा खरीद लिया गया था। किसानों को नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान: आपके पास सही सूचना नहीं है उनसे गन्ना नहीं खरीदा जाता।

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न यह है कि उस स्टेशन का जितना गन्ना है वह कुल १,६०,७३३ मन आया और वह सारे का सारा मिल द्वारा खरीद किया गया। अब रिफ्यूज किया है या नहीं यह प्रश्न तो....

श्री विजयसिंह झाला : एक साल में मिल की कैपसिटी गन्ना निकालने की कितनी है और....

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य जरा प्रश्न को देखें। वह है "शंभूपुरा स्टेशन पर इस वर्ष कुल कितना गन्ना आया और उसमें से कितना गन्ना सुगर मिल भोपाल सागर ने लिया" तो मैंने कहा जितना गन्ना आया वह सारे का सारा खरीद किया गया।

श्री अब्दुल जब्बार : वहां पर गुड़ कितना बनाया गया? आपका स्टेटमेंट कान्ट्राडक्टरी है। गन्ना मिल वालों ने नहीं खरीदा और मिल बगैर नोटिस बंद किया गया किसान को नोटिस नहीं दिया।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें साफ प्रश्न यह है कि शंभुपुरा स्टेशन पर कितना गन्ना आया। मैं कह रहा हूँ कि इतना आया। अब किस जगह पर कितना गुड बना वह दूसरा प्रश्न है।

श्री अब्दुल जब्बार : आप बताइये कि मिल जब बन्द हुई वह अपनी कैपसिटी के अनुसार गन्ना खरीदने से पहले हुई या बाद में?

श्री हरिश्चन्द्र (उद्योग मंत्री) : पहले बंद हुई ।

श्री अब्दुल जब्बार : ऐसा क्यों हुआ ? सरकार जो गुड़ बनाती है उसके लिए किसानों को बाध्य नहीं कर सकती कि वह मिलों को दे ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा मतलब यह है कि कन्ट्रोल नहीं है । अगर काश्तकार गुड़ बनाना चाहें मिल को देना चाहे तो वे मिल को दें ।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जोन मिल के लिए क्यों बनाया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र : काश्तकार फ्री है ।

श्री अब्दुल जब्बार : आप बंदिश भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि फ्री है । तो फिर बंदिश क्यों लगाई है ।

श्री हरिश्चन्द्र : सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दी है ।

श्री विजयसिंह झाला : खाली रेट्स बन्दिश नहीं है । बहुतसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा गुड़ बनाया जाता है या शक्कर निकाली जाती है, किसानों को ज्यादा पैसा मिलता है । इसके बाद में बार बार यहां कई बार एतराज उठा कि जो कैपसिटी है उस कैपसिटी के अनुसार आपने एरिया बना रखा है उस एरिया में कभी भी ज्यादा गन्ना होता तो मिल नहीं लेती है । आप उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो गुड़ खंडसारी बनाते हैं, उनको देने नहीं देते और बहुत सी जगह गुड नहीं बनाने देते तो जिस एरिया को मिल को गन्ना देने के लिए आपने प्रेस्क्राइब कर रखा है उसमें जितना गन्ना होता है उस सारे गन्ने की खपत मिल में हो जाती है क्या ?

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जो आपने स्टेशन वाइज क्षेत्रों का डिस्ट्रिब्यूशन कर रखा है उसमें गन्ना जो होता है वह सारे का सारा लेने के लिए उनकी खपत स्टेशन पर हो जाती है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने यह कहा कि काश्तकारों को गुड़ नहीं बनाने दिया, मुझे आप एक भी ऐसा इन्स्टान्सेज तो बताइये ?

श्री विजयसिंह झाला : मंडियाना स्टेशन पर गुड़ खांडसारी की कोऑपरेटिव चल रही है । यह एरिया करेड़ा मिल के जोन में आता है इसलिए गुड़ नहीं बना सकते यह कहा गया । इसी तरह से मावली, गिरवा तहसीलों में कोऑपरेटिव्ज़ बनी हुई हैं, बेदला में भी बनी हुई है । देवारी के पास भी बनी हुई है । गुड़ खांडसारी बनाने में वहां पर गन्ना काश्तकारों को मिल सकता है, उनको सुविधा मिल सकती है लेकिन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि करेड़ा मिल के एरिया में आते हैं । गन्ना लिया नहीं....

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बहस करना है या क्वेश्चन पूछना है ?

श्री विजयसिंह झाला : आपकी नीति है उसको स्पष्ट कर रहा हूँ ।

Page No. 12

प्रश्न संख्या ३३८

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदसिंह ।

सड़कों के लिए भारी मशीनें

३३९. श्री उम्मेदसिंह (बाडमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि १९६० में बाड़मेर में केबिनेट मीटिंग में यह निश्चय किया गया था कि सड़कों के लिये हैवी इक्वीपमेन्ट्स दिये जायेंगे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है और उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

ग्राम सांचोर में बिजली

३४०. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि सांचोर पंचायत ने सांचोर ग्राम में (जिला जालौर) रोड़ लाइट (रोशनी) के लिये पूरी लाइनें खींच दी गई? अगर हां, तो यह कार्य कब सम्पूर्ण हुआ?

(२) क्या यह सच है कि बिजली की लाइन टैस्ट करने के लिये सांचोर पंचायत व कलेक्टर जालौर बिजली विभाग को कई बार लिख चुके हैं परन्तु अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब बिजली विभाग द्वारा सांचोर की बिजली की लाइन कब तक टेस्ट कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा ?

(३) ग्राम पंचायत सांचोर को बिजली चालू करने की इजाजत सरकार कब तक देगी ?

(४) क्या यह सच है कि सांचोर ग्राम को देहाती बिजली योजना में सम्मिलित कर लिया गया है? अगर हां, तो कब से ?

(५) क्या सरकार इस योजना के तहत सांचोर में बिजली देने की व्यवस्था शीघ्र करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। इस सम्बन्ध में कलेक्टर जालौर ने असिस्टेन्ट इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, जोधपुर को २२-६-६४ को पत्र भेजा था। सांचोर पंचायत ने लाइनें खींचने का कार्य कब सम्पूर्ण किया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२) प्रश्न १ के उत्तर में वर्णित कलेक्टर जालौर का पत्र प्राप्त होने पर इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक ३०-६-६४ को उत्तर दिया जा चुका है। सांचोर पंचायत द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(श्री चन्दनमल वैद)

(३) इस विषय में सांचोर पंचायत का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ही निश्चित उत्तर दिया जा सकता है।

(४) जी नहीं। पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने पर ६५-६६ की योजना में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जावेगा।

(५) इसका उत्तर प्रश्न ४ के उत्तर में समाविष्ट है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम में इन्क्लूड किया जा चुका है। लाइनें खींची हुई मौजूद हैं। साल भर से काम कम्पलीट हो चुका है। विकास अधिकारी और पंचायत बराबर लिख रही हैं। सारा काम हो जाने के बावजूद भी बिजली विभाग की ओर से जल्दी की जाय तो उनको बिजली दी जा सकती है।

श्री चन्दनमल वैद : कलेक्टर साहब के लेटर से ऐसा मालूम पड़ता है कि सांचोर के गांव को बिजली देनी चाहिये लेकिन पंचायत समिति और पंचायत सांचोर की ओर से कोई सूचना इस प्रकार की इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। जब तक वह लाइसेन्स न ले ले, जो शर्तें हैं उनको पूरी न कर ले, तब तक कोई अन्डरटेकिंग या संस्था किसी शहर और गांव को बिजली सप्लाई नहीं कर सकती। इसलिए सांचोर पंचायत या पंचायत समिति की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त न हो जाय कि किस हिसाब से क्या कितनी लाइनें खींची हुई हैं तब तक हम बिजली देने से मजबूर हैं। कलेक्टर को लिखा गया है कि यह सब देख कर भिजायें। पंचायत की ओर से हमारे पास कोई प्रतिवेदन या प्रार्थना पत्र नहीं आया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ६५-६६ में थर्ड फाइव इयर प्लॉन में बिजली दे देने का था। जालौर जिले में कहीं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मंजूर नहीं किया। पंचायत ने आलरेडी खर्चा कर दिया बिजली विभाग से, ऐसे आदमी को लगा दिया जाय जो इसमें समझता हो वह जाकर देख ले। लाइसेन्स प्राप्त करने में कई टेक्निकलेटीज़ हैं और समय ज्यादा लगता है और डिले हो जाती है। पंचायत ने काफी काम किया, खर्चा किया, बिजली विभाग भी बिजली देने के लिए तैयार है।

श्री चन्दनमल वैद : फिर कन्फ्यूज़न। माननीय सदस्य इस बात को कन्फ्युज कर रहे हैं। सांचोर की पंचायत समिति बिजली सप्लाई करने का विचार कर रही है। किस तरह से करेगी इसका हमें मालूम नहीं है। अगर पंचायत समिति या दूसरी कोई संस्था अपने आप बिजली सप्लाई करना चाहती है तो उनको पहले लाइसेन्स बिजली विभाग से लेना पड़ेगा। वे किस तरह से सप्लाई करना चाहते हैं। केवल गांव या शहर को बिजली देंगे इससे अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इसलिए पंचायत या पंचायत समिति जब तक लिख कर न दें दे कि उनको लाइसेन्स दे दिया जाय तब तक बिजली साप्लाई नहीं कर सकते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लाइसेन्स प्राप्त करने में एक्सपर्ट इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सारा काम किया हुआ है। लाइसेन्स प्राप्त करना है। इसमें डिफि-

Page No. 14

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कल्टी आ रही है। वहां पर डेरी लग सकती है कई काम हो सकते हैं। सरकार इसके लिए बिजली एक्सपर्ट को भेज दें, पंचायत पेमेंट करने के लिए तैयार है।

श्री चन्दनमल वैद : प्रार्थना पत्र दे तो हर समय कार्य करने के लिए तैयार हैं। पंचायत कहां स्टेन्ड करती है हमें तो यह भी नहीं मालूम है। मैं जितना सूचित कर रहा हूं वह केवल कलेक्टर के लेटर से ही कर रहा हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पंचायत की रिक्वेस्ट पर ही सारा लेटर देने के बाद कलेक्टर ने वह भिजवाया है।

श्री चन्दनमल वैद : पहले आप पंचायत से लिखवाइये। हम सारी संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं।

प्रश्न संख्या ३४१

श्री अध्यक्ष : श्री जेटमल बरवड़

(अनुपस्थित–कृपया–आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

इन्डस्ट्रियल एस्टेट जयपुर के उद्योगों की जांच

३४३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जयपुर के इन्डिस्ट्रियल एस्टेट में विभिन्न पार्टियों को कितने शैड्स एलॉट किये गये हैं ?

(२) एलॉट किये गये शैड्स में कितने उद्योग उत्पादन करने लग गये हैं ?

(३) क्या सरकार की जानकारी में है कि इनमें से कई उद्योग वाले कच्चा माल बेंच देते हैं और उत्पादन नाम मात्र का करते हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या ऐसे उद्योग की सरकार ने जांच कराई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप–मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) ६३ शैड्स।

(२) ५५ शैड्स में उत्पादन का काम हो रहा है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैंने स्पेसिफिकेली पूछा है कि उद्योग वाले कच्चे माल को बेंच देते हैं, उत्पादन नाम मात्र का करते हैं क्या आपने कभी इसकी जांच की है ? जितना कोटा उनको अलॉट होता है क्या उतना का उतना कोटा वे उत्पादन के लिए काम में ले लेते हैं या ब्लेक मार्केट में बेंच देते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जांच के आधार पर ही कह रहा हूं, जी नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पावर का कन्जम्प्शन आदि देख कर जितना उनको माल जाता है उतने माल का वे उत्पादन करते हैं या नहीं, क्या आपने इसकी कभी जांच की ?

श्री चन्दनमल वैद : सरकारी अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं कि क्या पावर कन्जम्प्शन हो रहा है, सेल्स टैक्स कितना जमा हो रहा है। इसके लिए इन्डस्ट्रियल मैनेजर मुकर्रर है और उसका दफ्तर भी वहां पर है। वही जांच करता है कि कितना कच्चा माल किस किस यूनिट के पास गया, उसने कितना २ उत्पादन किया और उसको कहां कहां भेजा।

श्री भैरोंसिंह : क्या भूतपूर्व डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ ने इन शेड्स की जांच की थी उससे उनको यह जानकारी मिली थी कि कोटा का माल ब्लेक में बेच देते है, जिससे उत्पादन नहीं होता और इसलिए उनका नेक्स्ट कोटा रोक दिया जाय ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये, है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा कहने में तो एम्बीग्युइटी आ गई।

श्री चन्दनमल वैद : जब तक इस सम्बन्ध में रिपोर्ट न मंगवा लें तब तक क्या कह सकता हूं कि क्या जांच की, किसका कोटा रोका या नहीं। अभी जवाब दूं तो आप कहेंगे कि किस किस का कोटा रोका और किस का नहीं। इस रिपोर्ट की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह कि कोटा ब्लेक में गया या नहीं ? जानकारी आप को करनी चाहिये थी। डाइरेक्टर ने जांच की है।

श्री चन्दनमल वैद : मेरी जानकारी में नहीं आया कि कोटा ब्लेक में गया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ ने इन्डिस्ट्रियल एस्टेट्स की जांच की और कुछ के लिए शिकायत मिली कि कोटा उनका ब्लेक में जाता है तो उन्होंने इस चीज़ को राइटिंग में आपके सामने, सरकार के सामने रखा या नहीं ? उन्होंने कुछ शेड्स के बारे में लिखा या नहीं कि उनका कोटा ब्लेक में जाता है ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करूंगा। अगर रिसेन्टली जांच की है ...

श्री भैरोंसिंह : रिसेन्टली नहीं। भूतपूर्व डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ की बात कह रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या सरकार को पूरा विश्वास है कि ब्लेक में माल नहीं जाता ?

Page No. 16

श्री चन्दनमल वैद : मैं विश्वास के साथ ही जवाब दे रहा हूं। संदेह होता तो ऐसा जवाब नहीं देता।

एक माननीय सदस्य : क्या आधार है ?

श्री चन्दनमल वैद : वहां पर मैनेजर नियुक्त है। उसका दफ्तर भी वहां पर है। कितना माल युनिट्स को जाता है, कितना उत्पादन होगा, कितनी बिजली खर्च होती है और कितना सेल्स टैक्स होता है आदि ये सारी बातें उसको ज्ञात होती हैं और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस आधार पर आप सूचना दे रहे हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यक्तिगत जानकारी में है यह मामला नहीं आया है कि कुछ शेड्स को कोटा मिला वह उन्होंने ब्लेक में बेच दिया और भूतपूर्व डाईरेक्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट की ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं। नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी में भी यह नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी जानकारी में भी यह बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों नहीं है ? डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ ने कुछ शेड्स के बारे में जांच की है और सरकार को इसके लिए रिपोर्ट की है कि इस प्रकार ब्लेक किया गया है इसलिए नेक्स्ट कोटा रोक दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्डस्ट्रियल शेड्स को जो कोटा मिलता था वह उनके द्वारा ब्लेक में बेचे जाने के कारण, कुछ शेड्स को ब्लेक लिस्ट किया गया और बाद में दबाव से उनकी ब्लेक लिस्ट को खत्म किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र: ब्लेक लिस्ट किया होगा डाइरेक्टर ने किया होगा, मेरे पास तो ऐसी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं केटेगोरिकली कह रहा हूं डाइरेक्टर और इन्डस्ट्रीज सेक्रेटरी ने कुछ शेड्स को ब्लेक लिस्ट में किया और बाद में डाइरेक्टर पर दबाव नहीं डाला गया कि इनको ब्लेक लिस्ट से हटाया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : डाइरेक्टोरेट ने किया होगा डाइरेक्टर की जानकारी में होगा, हमारे पास जानकारी हो तभी हम बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन इसीलिये पूछा गया कि किन किन शेड्स द्वारा कोटा ब्लेक में बेचा गया। डिप्टी मिनिस्टर महोदय डाइरेक्टर के थ्रू इस डिपार्टमेन्ट को डील करते हैं उनके थ्रू इनफोरमेशन मंगायी जानी चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपको चाहिये था कि आप स्पेसिफिकली किन किन को ब्लेक लिस्ट किया गया इस प्रकार का प्रश्न पूछते, आप प्रश्न पूछने क्या है सप्लीमेन्टरी क्या

Page No. 17

(श्री हरिश्चन्द्र)

करते हैं हर प्रश्न का जवाब तो हम दे नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह : इन शेड्स के किसी भी मालिक को जिनको कोटा मिलता था उन्हें ब्लेक में कोटा बेचने के कारण ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : ब्लेक लिस्ट के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते तो जवाब दिया जा सकता था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन का मतलब ही यही था कि ऐसे कितने शेड्स हैं जिनको ब्लेक लिस्ट किया गया इसका जवाब पूरी तरह से नहीं आया है अतः इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : ब्लेक लिस्ट हुए हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : आपको बताने में डिफिकल्टी क्या है डायरेक्टोरेट ने एक्शन लिया है ऊपर से दबाव आया जिनको कोटा मिलता था उनको ब्लेक लिस्ट से हटाने के लिये दबाव डाला गया यह सब चीजें रेकार्ड में हैं, जिनको छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : जब मिनिस्टर महोदय और मैं दोनों यह कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है फिर भी माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं और यह कहना कि ऊपर से दबाव आया कहां से आकाश से आया क्या ?

श्री भैरोंसिंह : आकाश से तो क्या आयगा, आप ब्लेक लिस्ट कौन कौन हुए हैं यह बता दीजिये तो अपने आप मालूम हो जायगा कि कहां से दबाव आया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप यही स्पेसिफिक सवाल पूछ लीजिये हमें बताने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप डरते नहीं हैं तो आपको पोस्टपोन करने में क्या एतराज है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये। मंत्री महोदय मना कर रहे हैं ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : साफ नहीं कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय की व्यक्तिगत जानकारी में भी नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में इन्डस्ट्रियल शेड्स के मालिकों को किन किन को ब्लेक लिस्ट किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am not in possession of such information and, therefore, I cannot reply. I am prepared to give you all that what I have.

इसमें जवाब देने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह महत्वपूर्ण सवाल है अतः इसको पोस्टपोन किया जाय।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा सवाल पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इसी सेशन में आजाय तो पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे जागरुक थे तो पहले ही भेज देते।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कोटा देनादन ब्लॉक में आता है और मंत्री महोदय मना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भोपालसागर सुगर मिल्स के बन्द होने से कृषकों को नुकसान तथा उसका मुआवजा

३४३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) [श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भोपाल सागर सुगर मिल्स इस वर्ष कब व क्यों बन्द हुई ?

(२) क्या यह सच है कि किसानों द्वारा गत वर्ष दिये गये गन्ने का चुकारा अब तक नहीं किया गया ?

(३) क्या सरकार इस बात की जांच करने का विचार रखती है कि शुगर मिल्स के बन्द होने से किसानों को कितना नुकसान हुआ ?

(४) क्या सरकार उन किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा देने की योजना बना रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) भोपालसागर शुगर मिल दिनांक २२-१-६४ को गन्ना नहीं मिलने के कारण बन्द हुई थी।

(२) गत वर्ष ६२-६३ तक जो गन्ना खरीदा गया उसकी चूकती रकम चुका दी गई है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुल जब्बार : २२-१-६४ को गन्ना नहीं मिलने के कारण मिल बन्द हुआ था उसके बाद नोटिफिकेशन द्वारा गुड़ बनाना बन्द कर दिया था तो सरकार बता सकती है कि उस नोटिफिकेशन के जारी करने के बाद किसानों ने गुड़ नहीं बनाया और मिल को गन्ना दिया ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैं नहीं बता सकता कि किस तारीख को नोटिफिकेशन निकला यह अलग सवाल है इसका जवाब देने के लिये तैयार नहीं।

श्री भैरोंसिंह : गन्ने की कीमत का चुकारा कब किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : सारा का सारा कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : किस तारीख को किया ?

श्री चन्दनमल वैद : तारीख तो मेरे पास नहीं है।

Page No. 19

श्री भैरोंसिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि चुकारा करने में कम से कम कितना समय लगा है ?

श्री चन्दनमल वैद : चुकारा नहीं करने की बात थी उसके लिये मैंने निवेदन कर दिया चुकारा सब कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : पिछली साल का चुकारा सीजन शुरू होने के पहले कर दिया गया था।

श्री चन्दनमल वैद : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरे पास जैसी सूचना है किसानों को अब तक चुकारा नहीं किया गया भोपालसागर मिल के मैनेजर एक कांग्रेसी है इसलिये उनको प्रोटेक्शन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं वहां गत वर्ष गन्ना बहुत मात्रा में पैदा हुआ जिसको मिल नहीं खरीद सकता था इसलिये वहां के किसानों ने मजबूर होकर गुड़ बनाया। किसान गाड़ियां लेकर आते थे लेकिन उनका गन्ना नहीं लिया जाता था इस तरह से किसानों के मिल का मैनेजमेन्ट खिलवाड़ करता रहा है। दूसरी तरफ सरकार उनको गुड़ नहीं बनाने के लिये नोटिफिकेशन जारी करती है।

श्री अध्यक्ष : गतवर्ष का बकाया नहीं, क्या पहले वर्षा का भी कोई बकाया नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : We have received no complaint either from the zila Parishad or from Panchayat Samiti. It is first time that we have heard, that they have not paid. If the cultivators have not been paid, we will take proper action.

श्री अध्यक्ष : गन्ने के पैसों का चुकारा नहीं होता इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न पूछा गया है क्या आप यह बता सकते हैं पिछली सालों का सब चुका कर दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : इतनी जानकारी मेरे पास नहीं है। पिछली साल का कोई बकाया नहीं है। अब यह कहना कि मिल ने गन्ना नहीं लिया इसलिये गुड़ बनाया मैं समझता हूं आजकल जिस प्रकार की स्थिति चीनी के बारे में है उससे कोई मिल मालिक नहीं चाहेगा उसका मिल बन्द रहे। वह तो चाहेगा खूब चीनी बने और मिल चालू रहे और गन्ना मिलता रहे। गन्ना मिले और मिल बन्द कर दिया जाय यह मेरी समझ में कम आया।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या २२-१-६४ को मिल बन्द कर दिया जायगा यह नोटिफाई किया गया ? क्या इस प्रकार की सूचना प्रसारित की गई थी कि मिल इस तारीख को बन्द कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी करने की कृपा करें क्योंकि इस बारे में लोगों को शिकायतें आयी हैं और इस पर याचिका भी प्रस्तुत की गई है ऐसी हालत में मंत्री महोदय जो कुछ भी तथ्य रखे गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से ध्यान दें।

नेक्स्ट।

Page No. 20

आवागमन में कठिनाइयां

३४४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन के पास नहर निकल जाने के कारण ग्राम का सारा पानी सड़क पर इकट्ठा हो जाता है और बरसात के दिनों में १ फर्लांग तक ३.४ फुट तक पानी रहता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कारण उक्त सड़क पर आवागमन में कठिनाईयां पैदा हो गई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि करीब दो वर्षों से इस सड़क की व्यवस्था करवाने हेतु मंत्री महोदय व अन्य अधिकारियों से प्रार्थना की जाती रही है ?

(४) यदि हां, तो इस सड़क की व्यवस्था नहीं करवाने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) एक पत्र दिनांक ११-६-६३ को प्राप्त हुआ था।

(४) अर्थाभाव के कारण।

श्री भैरोंसिंह : अर्थाभाव की समस्या कब तक दूर हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

नेक्स्ट।

गढ़ी बादुवा के पास नाले पर पुल का निर्माण

३४५. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से करौली जाने वाली सड़क पर गीढ़ बादुवा पर एक बहुत बड़ा नाला पड़ता है ?

(२) क्या यह भी सच है कि बरसात में इससे बहुत परेशानी होती है व ट्रैफिक बन्द हो जाता है ?

(३) क्या यह भी सच है कि करौली जाने का मुख्य रास्ता यही है ? यदि हां तो क्या सरकार इस नाले पर पुलिया बनवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां। ट्रैफिक वर्षा के समय लगभग २ या ३ घंटे के लिए बन्द होता है।

(३) जी हां।

श्री श्रवणलाल : क्या पुल बनाना जरूरी नहीं है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जी हां, इसी योजना में बनाया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लघु उद्योगों को सुविधायें

३४६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से लघु उद्योगों को सुविधायें देने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

(२) सुथारी उद्योग, टोकरी उद्योग, चर्म उद्योग आदि के लिये चित्तौड़गढ़ जिले में और विजयपुर रेन्ज में क्या क्या सुविधायें अभी दी जा रही हैं ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, जंगलों से प्राप्त होने वाली वन पैदावार की लघु उद्योगों को सरकार द्वारा सुविधायें दी जाती हैं।

(२) सुथारी उद्योग के लिये कोई सुविधा नहीं दी जाती। टोकरी उद्योग के लिये छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, देवगढ़ रेन्ज में जहां कि बांस के काफी जंगल हैं ठेके दिये जाते हैं उनके इकरारनामे में यह प्रावधान है कि ठेकेदार को टोकरी उद्योग धंधे करने वालों को उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित मूल्य पर बांस देना होगा।

चित्तौड़गढ़ व विजयपुर रेन्ज में जहां कि बांस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और ठेके नहीं दिये जाते, वहां पर बांस रॉयल्टी पर दिये जाते हैं। चर्म उद्योग वालों को नोरत (राग) रॉयल्टी से दी जाती है। आंवल छाल की पैदाइश नहीं होने से आंवल छाल नहीं दी जा सकती है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : सुथारी उद्योग, टोकरी उद्योग करने वाले जो हरिज़न लोग हैं रेन्ज आफिस में जाते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है क्या सरकार उनको नाके पर ही सुविधा मिल जाय इस प्रकार की व्यवस्था करेगी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : दिक्कत है तो सुविधायें दी जा सकती हैं।

स्थगित-प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें मन्त्रीजी ने कहा है कि समय दिया जावे। मैं सहमत हूं इससे। पर यह चाहता हूँ कि ६२ से यह प्रश्न चल रहा है पर इसका जवाब ६७ में जरूर आ जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

३२०. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मई, १९६४ में निम्बाहेड़ा में बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट हुआ था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसमें सात मजदूर जख्मी हुये और उसमें पांच महिलायें थीं ?

(३) क्या यह भी सही है कि जख्मी मजदूरों में से तीन महिलाएं बहुत अधिक

(श्री अब्दुल जब्बार)

जल गई थीं और चोटें भी उनके अधिक आई थीं और वे अस्पताल में ही मर गईं ? और क्या यह भी सही है कि वे तीनों महिलायें एक ही कुटुम्ब की थीं–उनमें एक मां और दो बेटियां थीं ?

(४) क्या यह सही है कि इस घटना की जांच श्रम विभाग ने नहीं की ? यदि नहीं, तो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि जख्मी मजदूरों को राज्य की ओर से मुआवजा दिलाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि यह बारूद बनाने का कारखाना बगैर लाइसेन्स के चलता है ? यदि नहीं, तो लाइसेन्स किसके नाम है और श्रम विभाग को उसने दुर्घटना की रिपोर्ट दी या नहीं ?

(७) श्रम विभाग इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये अगली टर्न पर रख दिया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बुरा है। इसमें कम से कम तीन मेम्बर मर गये हैं। एक फेमिली बरबाद हो गई है। मां और उसकी दो लड़कियां मर गई हैं। सरकार का प्रतिनिधि उनकी मदद पर खड़ा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उनका इलाज कराने के लिये मालिक ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने भी उसको प्रोटेक्शन दिया है। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। सरकार की इस उदासीन नीति से श्रमिकों के प्रति लापरवाही की नीति से सैंकड़ों मजदूर मालिकों के शिकार हो रहे हैं एक्सीडेन्ट्स होते हैं और न सरकार ध्यान देती है न मालिक लोग। श्रम मन्त्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट है। उत्तर दिलवाया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय।

(विराम)

क्रय विक्रय संघ को दिये गये मेवे का विक्रय

३२१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय संघ राजस्थान को ऑल इंडिया मार्केटिंग सोसायटीज़ के एपेक्स फेडरेशन द्वारा आयात किया हुआ सप्लाई किया गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त सारा मेवा ब्लेक में बाजार में बेच दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मेवे को खुले बाजार में बेचने की आज्ञा क्रय

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विक्रय संघ द्वारा चाही गई थी, लेकिन आज्ञा आने से पहले ही मेवा बेच दिया गया !

(४) क्रय विक्रय संघ द्वारा जो आज्ञा मांगी गई थी उसका क्या उत्तर दिया गया।

उपमंत्री, सहकारी विभाग (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड, जयपुर को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, दिल्ली से आयात किया हुआ मेवा सप्लाई किया गया था।

(२) जी हां। यह सत्य नहीं है।

(३) जी हां, यह सही है कि मेवा को खुले बाजार में बेचने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन से आज्ञा मांगी गई थी।

(४) क्रय विक्रय संघ द्वारा जो आज्ञा मांगी गई थी, के उत्तर में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि० नई दिल्ली ने खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : यह मेवा किसको बेचा गया ?

श्री भीमसिंह : इसके उत्तर में मैंने नम्बर तीन में निवेदन किया कि मार्केटिंग सोसायटियों को एवं होल सेलरों को भी दिया है।

श्री भैरोंसिंह : इस कुल मेवे में से मार्केटिंग सोसायटियों को कितना मेवा दिया गया ?

श्री भीमसिंह : इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसाइटियों के अलावा उपभोक्ताओं को एवं अन्य डीलरों को भी बेचा गया है वह N.A.C.M.F. के आदेश के विपरीत दिया गया ?

श्री भीमसिंह : किनको ?

श्री भैरोंसिंह : उपभोक्ताओं को और डीलरों को।

श्री भीमसिंह : कुछ इस तरह का बेचा था कि छुआरा खराब हो रहा था ऐसी सूरत में इन्डिविजुअल को दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा कौनसा मेवा था कि जो खराब हो रहा था और जिसे आदेश के विरुद्ध इन्डिविजुअल को बेचा गया या डीलर को बेचा गया ?

श्री भीमसिंह : छुहारा वगैरह।

श्री भैरोंसिंह : छुहारे तो अभी तक पड़े हैं।

श्री भीमसिंह : बहुत से बेचे भी गये हैं और बेचने के बाद भी नहीं बिक रहे हैं तो पड़े भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो इससे यह समझा जावे कि बाकी का सूखा मेवा डीलरों को इन्डिविजुअल को और कन्जूमर्स को नहीं दिया गया ?

Page No. 24

श्री भीमसिंह : वगैरह वगैरह में हो सकता है थोड़े बहुत और भी मेवे हों। स्पेसिफिक इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन वगैरह वगैरह में किशमिस, बादाम लोगों को खजूर सूखी और गीली, और पिश्ता ये नहीं आते हैं ?

श्री भीमसिंह ; ये सभी वगैरह वगैरह में आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये सभी वगैरह वगैरह में आते हैं तो फिर N. A. C. M. F. के आदेशों के विपरीत इस प्रकार का क्रय विक्रय करने के कारण क्या क्रय विक्रय संघ के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने कहा कि डीलर्स को दिया गया या किसी को भी दिया गया इसमें सरकार बीच में नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : कोऑपरेटिव सोसायटियों के अलावा किसी को भी दिया गया तो क्या यह एन. ए. सी. एम. एफ. की कन्डीशनों के विपरित नही है ? और उस हालत में भी केन्द्रीय उपभोक्त भण्डार, जयपुर ने जिसने एन. ए. सी. एम. एफ. से इस बात की परमिसन ले ली कि सूखा मेवा उसे भी दिया जावे, रुपया भी परमिशन मिलने पर लेकर वे वहां चले गये पर फिर भी उनको दिया गया। तो इन सब मामलों में आपने क्रय विक्रय संघ के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि एन. ए. सी. एम. एफ. यह एक ऑटोनोमस बाडी है और क्रय विक्रय संघ भी और यह उनका डाइरेक्ट डीलिंग है। अगर क्रय विक्रय संघ ने एन. ए. सी. एम. एफ. की शर्तों का पालन नहीं किया और कोई इर्रेगुलेरिटिज की हैं तो यह उसका लुक आउट है कि वह आइन्दा इस क्रय विक्रय संघ को सामान दे या न दे या क्या एक्शन ले या न ले। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार से आयात करने का इस एन. ए. सी. एम. एफ. ने लाइसेन्स लिया है और वह सर्टन शर्तों पर लिया है। उन शर्तों में से एक यह भी है कि वह आयातित माल सारा कोऑपरेटिव सोसायटियों के थ्रू ही बिकेगा ?

श्री भीमसिंह : यह कन्डीशन और ये सारी बातें भारत सरकार और एन.ए.सी.एम.एफ. के बीच में है। हम बीच में नहीं आते कहीं पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्हीं शर्तों को इस क्रय विक्रय संघ पर भी लागू किया गया है ?

श्री भीमसिंह : बहुत सी कन्डीशन्स तो लागू की हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनमें एक यह भी है कि सिवाय सहकारी समितियों के और किसी को यह माल नहीं बेचेगा ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर इस कन्डीशन को वायोलेट करने के सम्बन्ध में आपने क्रय विक्रय संघ के विरूद्ध क्या एक्शन लिया ?

श्री भीमसिंह : एक्शन लेना हमारा काम नहीं है। एन. ए. सी. एम. एफ. और संघ के बीच जो टर्म्स हुई तं तो उनको देखना उनका काम है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई रेटें भी निर्धारित की हुई थीं इनके बेचने की इस फेडरेशन के द्वारा ?

श्री भीमसिंह : किस बात की रेटें ?

श्री भैरोंसिंह : कि सूखे मेवे को किस भाव से बेचा जावेगा ?

श्री भीमसिंह : रेट्स अलग अलग चीज की क्या तै की, यह सूची हमारे पास नहीं है। पर उन्होंने एक परसेन्टेज कायम किया था कि इतने परसेन्टेज के एबव पर बेच दें।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या जो परसेन्टेज तै की तो उसी भाव में मेवा बेचा गया है ?

श्री भीमसिंह : यह स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका होता तो इन्फोर्मेशन मंगा कर आपको सूचना दे देता, अभी यह सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : खुले बाजार में बेचा गया, इन्डिविजुअल को बेचा गया, शर्तों के खिलाफ कोऑपरेटिव सोसायटियों को नहीं बेच कर दूसरों को बेचा गया यह सब आप मानते हैं पर फिर ब्लैक किया कि नहीं यह आप नहीं मानते, अगर शर्तों के अनुसार कोऑपरेटिव सोसायटियों को बेचा गया होता तो ब्लैक नहीं होता। अब यह बात तो आपने मन्जूर कर ली कि दूसरों को भी बेचा गया। रेट्स के बारे में आपने जांच की कि ज्यादा रेट पर नहीं बेचा गया ?

श्री भीमसिंह : ब्लैक की टर्म इतनी वाइड है कि बाजार रेट से भी ऊंचे भाव पर बेचे तो ब्लैक में आ जाता है अब उन्होंने बाजार में बेचा, खुले बाजार में तो यह तो सही अनुमान है कि बाजार भाव से ऊपर तो नहीं बेचा होगा, क्योंकि अगर ऊपर बेचते तो कौन लेता ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आपको मेवा नहीं मिला ?

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने तुलना की कि मार्केट प्राइस और इनकी प्राइस में दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री भीमसिंह : नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस आधार पर कह दिया कि बाजार भाव से ऊंचे नहीं बेचा है।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह प्रीजूम किया जा सकता है कि ऊंचे भाव पर बेचने का सवाल तो यों पैदा नहीं होता कि फिर खरीदेगा कौन ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस क्रय विक्रय संघ ने केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को एक पत्र लिखा कि हमारे पास कोई सूखा मेवा नहीं है हम सब बेच चुके है।

श्री भीमसिंह : ऐसा नहीं है। जो मेवा मांगा था उसमें से सारा मेवा बिक चुका था। उन्होंने लिखा था कि दाख और पिस्ता हमारे पास है। वह ले सकते हैं।

Page No. 26

प्रश्न संख्या ३२४

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२५

श्री जेठमल बरवड

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अमरसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

ग्राम चांदमा कलां की पंचायत तथा सहकारी समिति को अनुदान

३३२. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति फागी के अन्तर्गत ग्राम चांदमा कलां की पंचायत व सहकारी समिति को राज्य सरकार ने गत वर्ष किस किस प्रकार की अनुदान सहायता विकास कार्यों के लिये दी और कुल कितनी धन राशि दी गई ?

(२) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में पंचायत के सरपंच और सहकारी समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत की गई ? यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने कोई जांच की है ?

(३) सहकारी समिति ग्राम चांदमा ने किन किन व्यक्तियों को सहायता के रूप में कितना कितना रुपया, कब कब व किस किस कार्य के लिए दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । जांच करा ली है ।

(३) सहायता के रूप में जो ऋण दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(सूचियां अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस ऋण की सूची में आपने यह नहीं लिखा कि किन कामों के लिए यह ऋण दिया गया था । कारण नहीं लिखा । और फिर आपने सौ सौ रुपये पचास रुपये भी दिये हैं, इससे क्या हुआ किसान का दो चार आदमियों को आपने पांच सौ से ऊपर दिया है । मेरा प्रश्न साफ था कि यह जो दिया गया है इसमें बेजान्तगियां हुई हैं । जांच कराई जानी थी । अगर कराई तो उसका परिणाम क्या हुआ यह भी नहीं बताया । यह तो गोलमाल जवाब है । आप स्वयं अध्यक्ष महोदय, सूची का निरीक्षण कर लें । जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : अभियोग साबित नहीं हुए ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर किन किन कारणों के लिए ऋण दिया गया यह नहीं बताया गया । सौ रुपयों में तो किसान की कोई भी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

चीज नहीं खरीदी जा सकती। इस तरह से लाखों हजारों की रकम लोगों को दे दी और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। क्या सहायता के रूप में यह रुपया दिया गया है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यह तो उधार है, लोन है।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३५

श्रीमती गौरी पूनिया

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३६

श्री हनुमानसिंह चौधरी

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३८

श्री नत्थीसिंह

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४१

श्री जेठमल

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : आज तो बड़ा अकाल है पूछने वालों का।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ढांचा

३२४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ढांचा (फ्रेम) बनकर तैयार हो गया है ?

(२) यदि नहीं, तो उसके तैयार होने में कितना अर्सा और लगने की संभावना है ?

(३) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने कितने विभागों में कार्यकारी ग्रुप्स (वर्किंग ग्रुप्स) नियुक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त ग्रुप्स की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी ?

(४) क्या जिला परिषदों व पंचायत समितियों को भी अपनी अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तैयार करने के आदेश दे दिये गये हैं ?

(५) नीचे से योजना (प्लानिंग फ्रोम बिलो) के आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सकें, इसके लिए जिला परिषदों की योजना व राज्य की योजना के तालमेल बिठाने के लिए क्या प्रशासनिक व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) अभी कुछ समय लगेगा।

Page No. 28

(श्री योजना मन्त्री)

(३) सरकार ने मुख्य मुख्य सेक्टर्स के लिये वर्किंग ग्रुप नियुक्त किये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। रिपोर्ट भेजने की अन्तिम तारीख ३० सितम्बर, ६४ है।

(४) जी नहीं।

(५) राज्य का प्लान फ्रेम तैयार हो जाने पर जिला परिषदों की योजना व राज्य की योजना में तालमेल बिठाने की व्यवस्था की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुदान की रकम का विकास कार्य में उपयोग, पंचायत समिति, परबतसर

३२५. श्री जेठमल बरवड (परबतसर) : क्या पंचायत एवम् विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) परबतसर पंचायत समिति ने गत तीन वर्षों में कितने रुपये विकास कार्यों के लिये दिये ?

(२) क्या यह सही है कि बहुत से सरपंचों ने विकास कार्यों के लिये जो अनुदान लिया उससे अभी तक कार्य पूरे नहीं करवाये ? यदि हां तो ऐसे कितने सरपंच है ?

(३) जिन सरपंचों ने विकास के कार्य पूरे नहीं करके अनुदान की रकम अपने पास रखी उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) १,८८,००१) रु० की राशि दी।

(२) जी हां। कुल १७ सरपंच हैं।

(३) वसूली की कार्यवाही जारी है।

जंगलों को कटने से बचाने के उपाय दूदू

३२७. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति दूदू, के ग्राम, पाल, बिचून, महेशपुरा गांवों के जंगलों का चार्ज लेने के लिए जागीर रिज़म्पशन से आज तक जंगलात विभाग ने क्या २ कार्यवाही की है ?

(२) जंगलों को कटने से बचाने के लिए क्या कोई अन्तरिम उपाय विचाराधीन है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति दूदू के ग्राम पाल, बिचून, महेशपुरा गांवों के जंगलों का चार्ज देने के लिए जिलाधीश महोदय, जयपुर को उप वन संरक्षक, जयपुर ने पत्र संख्या २३७८ दिनांक १८–२–६४ द्वारा निवेदन किया तत्पश्चात् दिनांक ३०-३ ६४ को यादध्यानी की गई। इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय का उत्तर प्राप्त हुआ है कि ग्राम बिचून का पहाड़ी भाग ग्राम पंचायत के अधीन है और रेवेन्यू रिकार्ड में जंगलात के नाम से कोई इन्द्राज नहीं है। इस पर पुनः जिलाधीश महोदय को, यह क्षेत्र इस विभाग में स्थानांतरित करने के लिये निवेदन किया गया है।

(२) अब तक ये जंगल वन विभाग के चार्ज में नहीं आ जाते तब तक वन विभाग

Page No. 29

(श्री वन मंत्री)

कोई सीधी कार्यवाही करने में असमर्थ है फिर भी इस कार्यालय द्वारा जिलाधीश महोदय को इन जंगलों को उस समय तक अवैधानिक कटाई से सुरक्षित रखने हेतु निवेदन किया है।

बिजली की अव्यवस्था-सूरतगढ़

३३३. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सूरतगढ़ में गत अप्रेल, मई और जून मास में कुल कितने घंटे बिजली बन्द रही है ?

(२) क्या सूरतगढ़ में कभी लगातार आठ दिन तक भी बिजली बन्द रही है ?

(३) क्या यह सही है कि वहां दिन में कई बार बिजली बन्द होती है और चालू होती है ? यदि हां, तो क्या बिजली की ऐसी अव्यवस्था पर सरकार ध्यान देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) २१६ घन्टे ४२ मिनिट।

(२) ता. २२ की शाम से ता. २९ तक।

(३) हनुमानगढ़ में नये ट्रांसफार्मर का लोड सीमित रखने के कारण कभी कभी लाइन बन्द करनी पड़ती है।

आयुर्वेदिक औषधालय-रींया समिति

३३५. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम थांवला व आलनियावास में (रींया समिति) किस श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(२) इस औषधालयों को "बी" श्रेणी में परिवर्तित करवाने की जनता की भारी मांग होते हुए भी अब तक इस ओर कोई ध्यान न दिये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) थांवला व आलनियावास पंचायत समिति रींया में (सी) श्रेणी के औषधालय हैं।

(२) श्रेणी परिवर्तन करने का इस साल के बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मीठड़ी में कृषि भूमि पर नमक उत्पादन

३३६. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि ग्राम मीठडी की सरहद में एक अनुसूचित जाति के खातेदार कृषक की कृषि भूमि में जयपुर की एक पार्टी दूलीचन्द जैन एण्ड कम्पनी नमक बना रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) इस प्रकार की रेवेन्यू रेकार्ड में तब्दीली नाम खातेदार कब व किस अधिकारी द्वारा कौन से अधिनियम के अन्तर्गत की गई ?

(३) उक्त कृषि भूमि में सरकार ने नमक बनाने की इजाजत कब किस नाम से व कौन से नियम के तहत दी ?

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(४) क्या वास्तव में नमक उत्पादन का कार्य इस भूमि में वही पार्टी कर रही है जिसको अधिकार प्राप्त है ? क्या इस सम्बन्ध में शिकायत पर कोई जांच व निर्णय किया गया ?

उत्तर

(१) ग्राम मीठड़ी की सरहद में अनुसूचित वर्गीय भूमि के मालीकान द्वारा ही नमक बनाया जा रहा है न कि दूलीचन्द जैन एण्ड कम्पनी द्वारा।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सरकार के पत्र संख्या एफ २ (४८५) रेवेन्यू/बी/६२ दिनांक २१-६-६२ द्वारा यह भूमि नमक उत्पादन के लिये परिणित की गई है।

(४) जी हां।

ग्रामों में विकास कार्य और जन सहयोग

३३८. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्रामों में जो भी विकास कार्य किया जाता है, वहां की जनता से सरकार उस विकास कार्य को कराने हेतु सहयोग (धनराशि के रूप में) लेती है ? अगर हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिस ग्राम की जनता सहयोग देने में गरीबी के कारण असमर्थ रहती है वहां विकास कार्य नहीं होता ? अगर हां, तो वहां की गरीब जनता इस नीति के कारण क्यों विकास कार्यों से वंचित रखी जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि शहर में विकास कार्य बिना सहयोग के होता है ? अगर हां, तो यह सरकार की भेद भाव की नीति क्यों ?

(४) क्या सरकार यह समझती है कि ग्राम, शहरों से अधिक विकसित हैं या ग्रामों में अधिक समृद्धिशाली लोग रहते हैं जो आसानी से ही सहयोग दे सकते हैं ?

(५) क्या सरकार इस नीति में सुधार करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु जन सहयोग केवल नकद में ही नहीं श्रम और सामग्री के रूप में भी लिया जाता हैं क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य आधार जन सहयोग है।

(२) यह सही नहीं है। गरीब जनता भी श्रमदान द्वारा सहयोग दे सकती हैं। अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में सहयोग की मात्रा केवल २५ प्रतिशत ही ली जाती हैं।

(३) सामुदायिक विकास योजना केवल गांवों के लाभ के लिए ही है। इसलिए शहरों में जन सहयोग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें नीति सम्बन्धि कोई भेदभाव नहीं हैं।

(४) जी नहीं।

Page No. 31

(श्री विकास मन्त्री)

(५) वर्तमान नीति में कोई आपत्ति-जनक बात नहीं है तो उसमें सुधार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

परबतसर में बिजली

३४१. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

५ हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में बिजली लगाने के निश्चयानुसार परबतसर कस्बे में बिजली कब तक लगादी जावेगी ?

उत्तर

सन् १९६४-६५ के अन्त तक।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रंगाई एवं छपाई के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन-चितौड़गढ़

७४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चितौड़गढ़ खास में रंगाई एवं छपाई का लघु उद्योग काफी परिवारों का मुख्य पेशा है ? अगर हां, तो कितने परिवार इस पेशे में लगे हैं ?

(२) क्या इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(१) जी हां, २०० परिवार

(२) जी हां, आर्थिक एवं टैक्नीकल सहायता दी गई है।

सड़कें बनाने में आई भूमि का मुआवजा गिरवा क्षेत्र

७५. श्री जोधसिंह (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें आई हुई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दिया गया है ?

(२) मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

लघु व बड़े उद्योगों के लिए नये लाइसेंस

७६. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) १९६२ व ६३ में राजस्थान में लघु व बड़े उद्योगों के लिये कुल कितने नये लाइसेन्स दिये गए ?

(२) नये दिये गये लाइसेन्स के उद्योगों में से कितनी इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें स्टैन-लैसस्टील, ताम्बा, जस्ता व रांगा कच्चे माल की आवश्यकता होगी ?

(३) १९६२-६३ में लाइसेन्स दिये गये उद्योगों में से कितने ऐसे उद्योग हैं

(श्री फूलचन्द जैन)

जिन्होंने दिसम्बर, १९६३ तक काम शुरू नहीं किया है ?

उत्तर

(१) १९६२ में २० व १९६३ में १३ बड़े उद्योगों के लिये लाइसेन्स दिये गये । छोटे उद्योगों के लिये लाइसेन्स नहीं लेने पड़ते हैं ।

(२) ४ बड़े उद्योगों का तांबा व जस्ता जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होगी जो सीधे भारत सरकार से डेवलपमेंट विंग से मिलेगी ।

(३) ३१ उद्योग ।

श्रमिक एवं वन सहकारी समितियां जिला चित्तौड़गढ़

७७. श्री चतुर्भुज उपाध्यक्ष (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में श्रमिक एवं वन सहकारी समितियां कितनी और कहां कहां पर हैं ?

(२) क्या इन समितियों को तत्सम्बन्धी विभाग द्वारा कोई कार्य दिया गया है ? अगर हां, तो कब कब और कितनी धन राशि का ?

(३) क्या इन समितियों के कार्य सम्पादन के सिलसिले में सहकारी विभाग के समक्ष कभी कोई बाधायें आई हैं ? यदि हां, तो विभागीय स्तर से उन्हें क्या सहयोग दिया गया ? क्या भविष्य में श्रमिक संघ बनाये जाने का भी कोई लक्ष्य है ?

(४) क्या यह सही है कि ये समितियां लाभ में चल रही है ?

(५) क्या इनके चुनाव समय पर हो चुके हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) इन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक एवं बौद्धिक सहयोग निर्धारित नीति के अनुसार दिया जाता है या नहीं ।

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में १९ श्रमिक एवं ७ वन सहकारी समितियां है सूची संलग्न है ।

(२) हां, इन समितियों को तत्सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्य दिया गया है जिसका विवरण संलग्न सूची के कॉलम ४,५ व ६ में अंकित है ।

(३) जी नहीं । समितियों को भुगतान होने सम्बन्धी मामले आपके सामने आते रहे है जिनका समुचित समाधान किये जाने की व्यवस्था की जाती रही है । श्रमिक ठेका व वन सहकारी समितियों को विशेष सहुलियत देने सम्बन्धी विषय पर विचार करने हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समितियों की सिफारिशों की कार्यान्विति आदि विचाराधीन है ।

(४) उपरोक्त १९ श्रमिक ठेका सहकारी समितियों में ७ लाभ में, २ हानि में चल रही है तथा शेष १० समितियों में न लाभ है न हानि । इसी प्रकार ७ वन श्रमिक सहकारी

(श्री सहकारी मन्त्री)

समितियों में २ लाभ में, १ हानि में है एवं बाकी चार समितियों में न लाभ है न हानि।

(५) कुछ समितियों के चुनाव हो गये है और कुछ के बाकी है। जिनके बाकी हैं उनको चुनाव करवा लेने के लिये आवश्यक निर्देशन बैठा दिये गये हैं।

(६) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट में राज्य सरकार के शेयर्स

७८. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट में राजस्थान सरकार की कितनी पूंजी शेयर के रूप में लगी हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट घाटे में चल रही है ?

(३) क्या यह सही है कि झालावाड़ ट्रान्सपोर्ट ने कुछ बसें बेंच दी हैं ?

(४) उपरोक्त बसें क्या आम नीलामी द्वारा बेंची गई हैं ?

(५) यदि नहीं, तो जब इस कम्पनी में राजस्थान सरकार की पूंजी लगी हुई है और यह घाटे में चल रही है इस प्रकार बिना आम नीलामी के बसें बेचने की इजाजत क्यों दी गई और बसें किसनें बेची ?

उत्तर

(१) एक लाख रुपये की।

(२) जी हां।

(३) जी हां। पता चला है कि कम्पनी ने बसें किसी दूसरे बस चलाने वाले को हस्तांतरित कर दी है। किस व्यक्ति को, कितने रुपयों में, किन किन शर्तों पर बसें हस्तांतरित की हैं इस की पूर्ण जानकारी उपलब्ध की जा रहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने आम शेयर होल्डरों की विशेष साधारण सभा की इजाजत से ये बसें हस्तान्तरण की है। कम्पनीज एक्ट में राज्य सरकार के हक बहुत सीमित हैं।

(८.४२ म० पू०)

राजस्थान नहर के मजदूरों द्वारा भूख-हड़ताल संबंधी स्थगन-प्रस्ताव पर उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर के मजदूरों द्वारा भूखहड़ताल करने के संबंध में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना भेजी है :

श्री भीमसेन, श्री हरिराम चौहान, श्री केदारनाथ, श्री उमरावसिंह ढाबरिया और श्री मुरलीधर व्यास।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री महोदय कृपया इस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के मजदूरों की भूख हड़ताल के संबंध में प्राप्त स्थगन-प्रस्तावों पर स्थिति इस प्रकार है। राजस्थान नहर राष्ट्रीय मजदूर यूनियन द्वारा १४ सूत्री मांग पत्र दिनांक १०-२-६४ को पेश किया गया। इस पर लेबर समझौता अधिकारी द्वारा ३-३-६४ को एक मीटिंग हनुमानगढ़ रेस्ट हाउस में रखी गई। इस मीटिंग में उपरोक्त यूनियन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसके बाद लेबर कमिश्नर द्वारा एक और मीटिंग दिनांक ७ तथा ८ अप्रेल, १९६४ को जयपुर में बुलाई गई। इसमें उपरोक्त यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। ७ अप्रेल, ६४ की मीटिंग में आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि श्री दुर्गावत भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में उपरोक्त मांगों के संबंध में निर्णय लिए गए। इन लिये गये निर्णयों को शीघ्र लागू किये जाने के लिए २०-५-६४ तथा १-७-६४ को यूनियन से पत्र प्राप्त हुए जिन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिये गये। आई० एन० टी० यू० सी० यूनियन ने राजस्थान नहर राष्ट्रीय मजदूर यूनियन के १३-७-६४ के पत्र का हवाला देते हुए २१-७-६४ के एक पत्र द्वारा भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया। इस नोटिस के उत्तर में विभाग द्वारा मांगों के निर्णयों के पालन के संबंध की पूर्ण सूचना पत्र संख्या १०६४६ दिनांक ३०-७-६४ द्वारा इंटक को दी गई और सूचना लेबर कमिश्नर को भी दी गई। मांगे करीब-करीब मान ली गई हैं और उन पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। एक लेबर वैलफेयर अधिकारी की नियुक्ति भी की जा रही है। यूनियन की मांग और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा बताया गया है इसमें सबसे बड़ी बात तो इतने साथी वहां पर भूख हड़ताल पर हैं और जिस प्रकार से आप कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया, उसके अनुसार इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुक्म दे दिया है और कार्यवाही चल रही है। अगर इस प्रकार की बात होती तो मैं नहीं समझता कि १० आदमियों को इतनी दूर से आकर यहां पर भूख हड़ताल पर बैठना होता। वस्तुस्थिति यह है कि जितनी डिमाण्ड्स थी, उसमें से जैसा कि आपका एग्रीमेंट है उसके अन्तर्गत कुछ मांगे आपने उसमें से मन्जूर की हैं और इसकी सूचना भी दी है और उसके साथ ही साथ आपने कुछ मांगों के संबंध में यह कहा है कि इसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है। मैं जहां तक समझ पाता हूं जो मांगें आपने मन्जूर की हैं वह मन्जूर शुदा जो मांगें हैं उनमें से कोई भी मांग कार्य में परिवर्तित कर दी गई है और उसका लाभ मजदूरों ने उठाया हैं तो सरकार का उत्तर संतोषप्रद हैं। और अगर मांगें जो आपने मन्जूर कर लीं और कार्य में परिवर्तित नहीं की गईं तो ऐसी हालत में कौन जिम्मेदार है? यह कोई प्राईवेट स्कूल तो है नहीं और यह बात केवल मजदूर और सरकार के बीच में है और जब सरकार ही इन मांगों को पूरा करने वाली है तो उसके बाव-

(श्री मुरलीधर व्यास)

जूद यह स्थिति क्यों हुई ? जहां तक मांगों का सवाल है एक तो मांग यह बताई गई है कि २० परसेन्ट मंहगाई के अलावा ५ रुपये सब को मंहगाई दे दी गयी है लेकिन उस सिल-सिले में कहना चाहता हूं कि वहां पर बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनको वह ५ रुपये भी मंहगाई के जो आप कहते हैं नहीं मिले हैं। तो इसकी आप जांच करें कि ऐसे कौन से मजदूर हैं जिनको यह मंहगाई का पैसा बढ़ा हुआ नहीं मिला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार यदि सारी मांगों का विवरण देंगे तो बहुत समय लग जायेगा। आपको बातें करनी हैं तो मन्त्री महोदय से बात कर लें उन्होंने स्थिति तो स्पष्ट करदी है। आप चाहें तो भूख हड़ताल के संबंध में संक्षेप में जिक्र कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : जो भी डिमांड आप कहते हैं कि आपने मन्जूर कर ली हैं तो उनमें से कौनसी मांगों को आपने पूरा नहीं किया है ? इसका जवाब मिल जाता कि इस-इस डिमाण्ड को कार्य में परिवर्तित कर दिया गया है तो इस भूख हड़ताल के ऊपर बैठने की लोगों को आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस संबंध में आपने कोई जवाब नहीं दिया कि इन मांगों में से यह-यह मांगें कार्य में परिवर्तित कर दी गई हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पानी जैसी मांग, जो मजदूर काम करते हैं वहां पर पानी तक नहीं पहुंच पाता, और इस प्रकार की डिमाण्ड कि मेडिकल ऐड मजदूरों को मिलनी चाहिए लेकिन आपका डॉक्टर कभी स्पाट पर नहीं जाता है। जहां दूर-दूर आदमी काम करते हैं वहां आपका डॉक्टर गया है या नहीं इसका आपको पता ही नहीं। क्या इसकी आपके पास कोई रिपोर्ट आती है। जब कि आपका चीफ इन्जीनियर इस गर्मी में जीप में जाता है तो खस के टाटे लगा लेता है कि कहीं उसको लू नहीं लग जाये और दूसरे मजदूर पानी के लिए तड़पें। यह दोनों बातें बड़ी विचित्र ही मालूम होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह स्पष्ट कर दें कि इन मांगों में से यह-यह सरकार की तरफ से कार्य में परिवर्तित कर दी गई हैं। और इसके बावजूद जो भी मन्त्री महोदय की ओर से जवाब दिया गया है उसमें यह बताया नहीं गया कि कितनी मांगें कार्य में परिवर्तित हो गई हैं। इस हालत में हमें संतोष नहीं है। आपने हवाला दे दिया श्री दुर्गादत्त का, मैं नहीं समझता कि और कौन लोग थे। इस-लिए माननीय मन्त्री महोदय इन बातों का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने सूचना दी है कि यह मांगें स्वीकार कर ली हैं लेकिन मुझे सूचना देते हुए दुःख हो रहा है कि सरकार ने जो भी मांगें मन्जूर कीं उनमें से एक भी कार्यान्वित नहीं की गई और उसी के फलस्वरूप मजदूरों को यह भूख हड़ताल करनी पड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं

(श्री भीमसेन)

उनमें से कितनी इम्प्लीमेंट की हैं इसकी सूचना मिल जाये तो संतोष मिल सकता है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, उन मजदूरों की १४ मांगें हैं । मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि १४ में से कौन कौन सी मन्जूर की गई हैं। उनकी १४ मांगें इस प्रकार हैं; १५ दिन की केजुअल लीव जो बन्द की गई है वह उनकी वापिस चालू की जायें और बढ़ी हुई छुट्टियां दी जायें, २० परसेन्ट मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाये, प्रोजेक्ट अलाउन्स दिया जाये, कर्मचारियों को नियमानुसार पर्मानेन्ट किया जाये, साइट पर परमानेन्ट चिकित्सा व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध की जायें, मनोरंजन के साधन उपलब्ध किये जायें, मजदूरों के रहने के स्थान पर पानी, सफाई और रोशनी आदि की उचित व्यवस्था की जाये, पदवृद्धि योग्यता एवं सेवाकाल के आधार पर की जाये, साइट पर रहने की उत्तम व्यवस्था की जायें, अनुसूचित एवं पक्षपातपूर्ण वृद्धियों को समाप्त किया जाये, चौकीदारों को बिना किसी सुविधा और छुट्टियों के बहुत कम वेतन मिलता है जो बढ़ाया जायें और छुट्टियां भी दी जायें, साल में दो यूनीफार्म जो पहले मिलती थीं अब भी दी जायें, साइट पर डॉक्टर की व्यवस्था की जायें और जो मजदूर साइट से मशीन लेकर वर्कशीप आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जायें या रेस्ट हाउस में रहने की आज्ञा दी जायें । यह १४ मांगें हैं। इस प्रकार से मंत्री महोदय के यह कहने से कि उनकी मांगें मंजूर कर ली गई हैं और उन पर अमल भी हो गया है यह बात सही नहीं है। अगर उनकी मांगें मन्जूर हो जातीं तो मजदूरों को चाव नहीं है कि आपकी विधान सभा के दरवाज़े के सामने आते और भूख हड़ताल करते। वह तीन रोज से बैठे हुए हैं । क्यों नहीं मन्त्री महोदय स्वयं जाकर उनको कहते कि हमने आपकी यह-यह मांगें मन्जूर कर ली हैं और इन पर हम अमल कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो बयान दिया जा रहा है कि उनकी मांगें मन्जूर कर ली गई हैं, यह भूख हड़ताल पर नोटिस दे कर बैठे हैं, यह मांगें कतई मन्जूर नहीं की गई थीं। इसी तरह से लारा-लप्पा देने की बात हो तो वह दूसरी बात है।

अब अगर उनकी भूख-हड़ताल की वजह से इनके दिमाग के अन्दर यह समझ आई है, और अगर आई है तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, अगर समझ आई है तो अब भी वह जाकर भूख-हड़ताल को तुड़वा सकते हैं। उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। लिखित के अन्दर उनको यह आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी यह मांगें पूरी कर दी हैं और इतनी मांगों के ऊपर हम अभी अमल करते हैं तो यह बात सत्य हो सकती है कि कितनी मांगें आपने मन्जूर कीं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी, एक प्रश्न यह है कि सरकार की मंशा ठीक है कि जितनी जिनुआइन ग्रिवान्सेज़ हैं उनको दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की तरफ से कल एक लेटर दिया है यूनियन के नाम कि एक आदमी हमारा और एक आदमी युनियन का मौके पर जाकर देखे कि कहां तक ग्रिवान्सेज़ दूर हुई हैं और अगर नहीं हुई हैं तो चीफ

(श्री केदारनाथ)

इन्जीनियर को रेफर कर दें। अगर यह लेटर आज से ५ दिन पहले पहुँच जाता तो स्ट्राइक करने की नौबत नहीं आ सकती थी। इसलिए देरी के कारण यह भूख-हड़ताल हुई है। हम चाहते हैं कि आप इस तरह का आश्वासन दें ताकि भूख-हड़ताल समाप्त हो कि आयन्दा ग्रिवान्सेज़ जैसा कि आपने एग्रीमेंट किया है वह ७ तारीख तक हल हो जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा सरकार और मज़दूरों के बीच में हैं। सरकार एम्लॉयर है और सरकार से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह एम्प्लॉयर के रूप में अपना आदर्श उपस्थित करें। यदि सरकार ने उनकी मांगों को मन्जूर भी किया है तो आज तक मांगें क्रियेट हुईं जिस दिन से लेकर अभी तक मन्जूर क्यों नहीं की गई, और मन्जूर होने के बाद उनको इतिला क्यों नहीं दी गई ? यह दोनों इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिन इश्यूज़ पर गवर्नमेंट की मंशा, मंत्री-मंडल की मंशा उनकी मांगें मन्जूर करने में ऐसी है जैसा कि उन्होंने बताया है उसके बाद उनकी मांगों की मन्जूरी उन तक पहुंचे नहीं, उनको कन्वे नहीं की जाय, और मजबूरी के कारण भूख-हड़ताल करें यह अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्स की गणना में आ जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन मांगों को मन्जूर किया गया है वह मांगें जिस समय क्रियेट हुई थीं उस समय यदि आप तत्परता से काम करते तो मज़दूरों के सामने यह समस्या पैदा नहीं होती। अगर मांगें मन्जूर हो जातीं और उनको समय पर कन्वे हो जातीं तो मज़दूर असन्तोष की भावना से दूर होकर सन्तोष के साथ अपने काम में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेतें। इन सारे लेप्सेज़ के लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ क्या एक्शन सरकार लेती है ? इस सदन को इस बात का विश्वास दिलायें ताकि भविष्य में जाकर इस प्रकार के भयंकर लेप्सेज न हों।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि खिलाफ एक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं होता है और न मांगों पर ध्यान नहीं देने का सवाल पैदा होता है। ज्यों ही मांगें सामने आईं फरवरी में उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि और युनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। पहली मीटिंग में युनियन के प्रतिनिधि नहीं आये। दूसरी मीटिंग की गई। दूसरा मीटिंग के अन्दर बैठकर तीनों प्रतिनिधियों ने फैसले लिये और उन फैसलों की सूचना युनियन को दी गई कि यह यह फैसले लिये गये हैं। उसके बाद युनियन की तरफ से पत्र आया कि उन फैसलों का पालन नहीं हो रहा है तो पालना के सम्बन्ध में अपने विभाग के लोगों को आदेश दिये कड़ाई के साथ और उनको सूचना दी गई पत्र द्वारा। वहां पर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ की युनियन ने राजस्थान इन्टक को सूचना दी। भूख-हड़ताल के नोटिस की उन्होंने हमको सूचना दी तो हमने इन्टक को सूचना दे दी कि यह यह मांगें तय की गई हैं और इन मांगों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उन्हें बाकायदा एक एक मांग का विवरण देते हुए सूचना दी। इसलिए मांगों की उपेक्षा करने का सवाल पैदा नहीं होता। और माननीय सदस्य ने यह भी निवेदन किया कि

Page No. 38

(श्री दौलतराम सारण)

मांगें जो हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई है उनका विवरण नहीं दिया गया। विवरण मैं सदन की मेज पर रख चुका हूं। अध्यक्ष महोदय के आदेश से उनका संक्षिप्त विवरण मैं यहां बता देता हूं :—

(१) पहली मांग जो उनकी थी वह आकस्मिक अवकाश की थी। उसके सम्बन्ध में ७-७-६४ को ऑर्डर आकस्मिक अवकाश के लिए अस्थाई और अर्ध स्थाई कर्मचारियों के लिए दिया जा चुका है।

(२) दूसरी मांग उनकी २० प्रतिशत मंहगाई भत्ते की थी उसमें हमारी तरफ से १-२-६४ से ५) रु० मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है जो कि दिया जा रहा है।

(३) प्रोजेक्ट एलॉउन्स की बाबत थी, वर्कचार्ज के स्टाफ को प्रोजेक्ट एलॉउन्स को ध्यान में रखते हुए वेजेज़ बढ़ाने बाबत राजस्थान नहर बोर्ड को रेफर कर दिया है जिसकी स्वीकृति अभी होने वाली है।

(४) इसी तरह से चौथी मांग कर्मचारियों को नियमानुसार पर्मानेन्ट किये जाने की थी। इस सम्बन्ध में उनका रेकार्ड तैयार किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा समय लगने की बात है। हमने उसको मन्जूर कर लिया है। उसमें हमने पर्मानेन्ट और सेमी पर्मानेन्ट, जैसी भी स्थिति हो, नियमानुसार उनको किया जायगा। वह नियम लागू कर दिये गये हैं और उनको किया जा रहा है।

(५) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। डाक्टर है वह विजिट करता है। उसके अलावा मौके पर चिकित्सा के लिए व्यवस्था की गई है।

(६) फिर मनोरंजन के लिए वहां पर फिल्म दिखाते हैं। मनोरंजन के लिए वहां पर खेलकूद की भी व्यवस्था है और अन्य सारी व्यवस्थाएं है।

(७) इस तरह से पानी आदि की बात कहीं, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नहर जिस स्थान पर बन रही है उसकी माननीय सदस्यों को जानकारी है। लेकिन यह कहना कि मजदूरों को पानी तक नहीं मिलता है यह सही नहीं है, क्योंकि नहर के बराबर पानी का पाइप चलता है और उस पाइप के द्वारा सभी मजदूरों को पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाता है। इसलिए पानी की कमी का कोई सवाल नहीं है।

(८) रोशनी की भी जहां पर जेनेरेटर काम करते हैं वहां पर व्यवस्था है। इस तरह से केवल यह कह देना कि व्यवस्था नहीं है सही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : पानी नहीं मिलता है।

श्री दौलतराम सारण : आप सुनिये तो सही।

(९) इसके अलावा पदवृद्धि का सवाल है तो पदवृद्धि सेवा काल और योग्यता के आधार पर दी जाती हैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति करें। यह लिखित में देते हैं तो सुनाई करने को तैयार हैं।

(१०) इसी तरह से साइट पर रहने वाले आदमियों के रहने की व्यवस्था की जाय इसके

Page No. 39

(श्री दौलतराम सारण)

लिए टेन्ट्स और चद्दर के शेड्स बना रखे हैं। जितनी व्यवस्था कर सकते हैं मज़दूरों की उतनी अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। उपेक्षा करने का सवाल पैदा नहीं होता है।

(११) अनुचित और पक्षपातपूर्ण पदवृद्धि के बारे में कोई लिखित चीज देते हैं और इस तरह की बात ध्यान में लाते हैं तो निश्चित तौर से सहानुभूति के साथ गौर किया जायगा।

(१२) इसी तरह से चौकीदारों के वेतन और छुट्टी के बारे में कहा गया है, तो चौकीदारों का वेतन ६०) रु० कर दिया गया है। पहले उनको ५२) रु० मिलते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : ५) रु० मंहगाई चौकीदार को दी है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आप मेरी बात सुनिये। आप बिराजियेगा।

(१३) साल में दो युनिफार्म देने का सवाल है तो सप्लायर्स को आदेश दे दिये हैं। यह सूचना पहले से दे दी थी।

(१४) साइट पर डाक्टर वगैरह के सम्बन्ध में व्यवस्था कर दी गई है।

(१५) जो मजदूर साइट से मशीनें लेकर वर्कशोप में आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था रेस्ट हाउस में की जाय, इसके लिए सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में ठहरने के लिए दो कमरों के एक एक क्वार्टर एलॉट किये जा रहे हैं और एक अलग से रेस्ट हाउस इनके लिए बनाने की तजवीज भी कर रहे है।

इसलिए मांगों के सम्बन्ध में उपेक्षा करने का सवाल नहीं है। यह अलग बात है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके बारे में निर्णय लेना, जैसी कि वेतन वाली बात हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। वह निर्णय हो गया है और शीघ्र ही लागू हो जायगा। इसमें उपेक्षा और नहीं मानने का सवाल नहीं है। बराबर मजदूरों की तरफ ध्यान देते हैं और अधिक से अधिक अच्छी तरह से मजदूर रहें और खुश रहें और राष्ट्र-निर्माण कार्य में सहयोग दें यह प्रयास है।

अब रहा सवाल कि भूख-हड़ताल क्यों कर दी ? मैं नहीं जानता कि क्यों कर दी। वे मेरे से नहीं मिले, न मन्त्रीजी से मिले और न चीफ इन्जीनियर से मिले। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको हम से मिलना चाहिए था। मैं राजस्थान नहर पर मौके पर गया हूं। मजदूर युनियन के सेक्रेटरी जो थे वह भी मेरे साथ पूरे दौरे में रहे। वहां पर उन्होंने कुछ बात नहीं की। यहां पर कोई बात नहीं की और भूख-हड़ताल कर दी तो इसका कारण मैं नहीं कह सकता कि क्यों कर दी ? भूख-हड़ताल के बाद हमने यह भी लिखकर भेजा है कि अगर किसी बात की शिकायत हो तो आपके प्रतिनिधि, युनियन के प्रतिनिधि और विभाग के प्रतिनिधि मौके पर जाकर देखें कि कौन सी आपकी मांग जो है वह हमारे निर्णय के मुताबिक पूरी नहीं को जा रही है। निरीक्षण के बाद जो चीजें ध्यान में आयें उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। इतनी सहनुभूति के साथ और इतनी तत्परता

(श्री दौलतराम सारण)

के साथ निर्णय लेने के बाद भूख-हड़ताल करें तो क्या करें। हमारे सामने मजबूरी है। अब भी हम इस बात पर तैयार हैं कि जो वाजिब बात होगी उसके लिए हम मजदूरों को अधिक सुविधा देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री भीमसेन : प्रश्न क्रियान्वित करने का है। कोई निर्णय आपने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें यह लिखा है कि वर्कर्स को पानी नहीं मिलता है। यह हो सकता है क्या, आप खुद सोच सकते हैं कि पीने का पानी वहां पर नहीं मिले तो वर्कर्स काम कर सकते हैं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : वे भी जिम्मेदार लोग हैं, उनका दिमाग क्या खराब है कि उन्होंने यह लिख कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोग करवा रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : पागलों की मोहब्बत है।

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव और हैं जिनके सम्बन्ध में निश्चित सूचना सरकार द्वारा एकत्रित की जा रही है, उनके बारे में निर्णय कल दिया जायेगा।

भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव आये उनको अस्वीकार किया जाता है।

श्री हरिराम चौहन : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना मंगवाई जा रही है, सम्भवत: कल वक्तव्य दे देंगे।

श्री हरिराम चौहन : कल बारह बजे से पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दे दिया था। पूरा दिन उनके पास था, उसके अन्दर सारी सूचना इकट्ठी कर सकते थे। मैं खुद भी टेलीफोन के ऊपर बात करना चाहता था। कल से किन्हीं कारणों से टेलिफोन नहीं मिलाया जा रहा है। वे टेलिफोन पर बात कर सकते थे, वहां से वायरलैस से खबर मंगवा सकते थे और कुछ कर सकते थे। लेकिन जान बूझ कर देरी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें।

(६. १२. म. पू.)

याचिकाओं का उपस्थान। श्री विजयसिंह झाला।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों से पुलिस द्वारा बेगार लिये जाने तथा उनसे रेल्वे का कोयला चोरी से मंगवा कर काम में लिये जाने के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

Page No. 41

श्री रावतराम (सादूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान केनाल कोलोनाइजेशन एरिया के आरजी काश्तकारों को भूमि की नीलामी बन्द करने सम्बन्धी दो याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन नहीं करना चाहता था लेकिन जो एडजॉर्नमेंट मोशन श्री हरिराम जी ने मूव किया है वह इस प्रकार का है कि उसे कल तक नहीं रखा जा सकता । अगर इत्तला मंगवाने के लिए समय की सहूलियत देना चाहें तो सदन को कार्यवाही खत्म हो तब तक जानकारी मंगवा कर वक्तव्य करवा दिया जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव मुझसे सम्बन्धित है मैं काज ऑफ डेथ के अतिरिक्त सारे वाकेआत अभी रखने को तैयार हूं । कामरेड जोशी और मिस्टर खान, जो मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने पोस्ट मार्टम किया है और काज ऑफ डेथ को जानने की कोशिश की है, उसकी रिपोर्ट अक्षरशः नहीं आ पाई है । इस सम्बन्ध में मुझे जब तक पूरा ज्ञान न हो जाय, मैं अपने इत्मिनान के तौर पर जब तक मुझे डाक्यूमेंट प्राप्त नहीं हो जायं तब तक कुछ नहीं कह सकता । बाकी दूसर सारे वाकेआत मैं बता सकता हूँ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी निश्चित तौर पर जानकारी है कि भूख-हड़ताली मरा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह क्रास क्वेश्चन का समय नहीं । जब मुझसे कहें तब करें । इस समय सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री भैरोंसिंह : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है तो पोस्ट मार्टम से जिस नतीजे पर आये हैं उसको वेरीफाई करके ऑथोरिटेटिवली बता दीजिये । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट कल पेश कर दें । आज उस रिपोर्ट की मांग नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही समाप्त हो उसके पहले जो सूचना आ जाय और आप समझें कि पर्याप्त सूचना है तो दे दें ।

श्री रामकिशन (वैर) : सूचना आ जाय, यह छूट दे देंगे तो यह नहीं देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : इतना लेटीट्यूड देने के बाद नहीं आयेगी ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामकिशन : यह मामला बहुत गम्भीर है इनको मजबूर किया जाय कि सूचना आज ही मंगवायें । अध्यक्ष महोदय, इसका दूसरे राज्यों में भी असर पड़ता है । आप यदि और पर्याप्त कहेंगे तो इनको छूट मिल जायगी । आप निश्चित रूप से मंगाने का निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष : जो भी सूचना बारह, साढ़े बारह बजे तक आ जायगी वह दे देंगे ।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना कल से नहीं मंगवाई गई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? कल से इतना टाइम मिला । कोई स्थगन प्रस्ताव पर पांच दिन का टाइम तो नहीं मिलता है । जितना टाइम मिलना चाहिए उससे ज्यादा टाइम मिला है, उसके बावजूद भी आप जानकारी पूरी प्राप्त नहीं कर पाये हैं इसके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : सौलह तारीख को पोस्ट मार्टम हो चुका है तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्या नई सूचना आप मंगा रहे हैं ?

(६. १६ म. पू.)

राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ ।

श्री भीम सिंह (उपमंत्री, यातायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री लक्ष्मी चन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारी लाल व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

(श्री राम किशन से) छोटा सा विधेयक है उनका, इस पर भी बहस करेंगे आप ?

(श्री गिरधारी लाल व्यास सदन में आये)

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप बोल लें । पहले आप बोल लें, फिर मैं बोलूंगा ।

श्री रामकिशन : आप बोल लें ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बोल लें ।

श्री महेन्द्र सिंह ।

कुंवर श्री महेन्द्र सिंह (दीगोद) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटर वेहीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है । जहां तक इसकी भावना का सवाल है, सरकार चाहती है कि मोटर गाड़ी का जो रोड टैक्स का पैसा है वह समय पर कई मोटर आपरेटर्स के द्वारा जमा नहीं कराया जाता और उसकी चोरी होती है उसको रोकने के लिए यह बिल हमारी विधान सभा के सामने रखा गया है। जहां तक इसकी मन्शा का सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार

Page No. 43

(श्री कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

सरकार की कोई रकम, कोई भी टैक्स की चोरी लोगों के द्वारा न की जावे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास होना चाहिए और सरकार को इसके लिए जागरुक होना चाहिए। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न उपस्थित होता है, आज ही इस बिल को लाने का आवश्कता क्यों हुई ? क्या चोरी १६६४ में ही मोटर ऑपरेटर्स द्वारा की जा रही है या १६६४ से पहले, १६६०, ६१, ६२ और ६३ में भी इस प्रकार की चोरियां, इस प्रकार की गड़बड़ियां मोटर ऑपरेटर्स द्वारा लगातार की जाती रही है ? मैं जहां तक समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय या सरकार जब कभी जवाब देने को प्रस्तुत होते हैं तो वह एक बात अवश्य कहते हैं कि हम जागरुक हैं। अगर वे जागरूक होते तो जो यह १६६४ में बिल लाया गया है यह १६६४ में न लाया जाकर १६६१ में या उससे पहले जब समस्या खड़ी हुई, समस्या का श्री गणेश हुआ था, लाया जाता। मैं १६६२ से देख रहा हूँ कि विरोधी पक्ष के द्वारा कई तरह के आरोप, कई तरह के आक्षेप लगाये जाते रहे हैं और कई तरह की समस्या सरकार के सामने इस मुतल्लिक रखी गई हैं कि रोड टैक्स की चोरी मोटर ऑपरेटर्स के द्वारा हो रही है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार १६६३ तक मौन रही लेकिन जब १६६४ के अन्दर विरोधी पक्ष के लोगों ने सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाना शुरू किया और कहा यह चोरियां होती हैं वह पब्लिक के लोगों के द्वारा नहीं होती बल्कि उन लोगों के द्वारा होती हैं जो मंत्री महोदयों के सम्बन्धी है और जिन्हें ये नाजायज प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, इसलिए ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। जब मंत्रियों के ऊपर आक्षेप होने लगे और मंत्रियों के ऊपर सारी बातें रखी जाने लगीं तो सरकार को चिन्ता हुई और अपनी उस कमजोरी को ढकने के लिए ही यह बिल लाये हैं, उन सारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आर. टी. ए. आफिस का थोड़ा नक्शा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जहां तक आर. टी. ए. आफिस है कोटा का, उसके आफिस को मैने पास से देखा है और मुझे जानकारी है कि जितने ए. आर. टी. ओ. आये हैं उनमें एक आध को छोड़ कर अधिकतर ऐसे रहे हैं जिनकी टेंडेंसी एक सी पाई जाती है। उनको देख कर वास्तव में अंदाजा लगता है कि राजस्थान में जो आर. टी. ए. आफिस हैं वे सरकारी आफिस न समझ कर प्राइवेट आफिस समझते हैं। मोटर ऑपरेटर्स के सामने जो कुछ दिक्कतें हैं, जो कुछ अड़चनें हैं वह यह हैं कि आर. टी. ए. ऑफिस में टोकन किसी कागज, परमिट और फिटनेस सर्टीफिकेट वगैरह के सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही नहीं की जा रही है और नाजायज तरीके से कार्यवाही की जा रही है और नाजायज कार्यवाही वे अपने हित साधन और कमाने की दृष्टि से करते हैं। और यही कारण है कि मोटर ऑपरेटर्स को टोकन लेने में तीन चार रोज लग जाते हैं। यहां तक कि हमारे आर. टी. ओ. ऑफिस कोटा में आमद रजिस्टर नहीं है। कोई प्रार्थना पत्र आता है तो आमद रजिस्टर नहीं होने से सीधा कंसर्निंग क्लर्क के पास जाता है और दर्ज नहीं होने से क्लर्क उस एप्लीकेशन को ३ रोज तक या ४ रोज तक या जितनी मर्जी आवे उतने दिन तक रोक सकता है और इसके बारे में सरकार उसके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं लेती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आर. टी. ओ. ऑफिस में

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई टोकन के लिये एप्लीकेशन आवे या परमिट वगैरह के लिये मोटर ऑपरेटर्स कोई एप्लीकेशन सबमिट करें तो वह बजाय सीधी क्लर्क कंसर्न्ड के पास जाने के पहले आमद रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये और यह भी निश्चय होना चाहिये कि इतने दिनों में परमिट या टोकन दे दिया जायगा और एप्लीकेशन डिसपोज ऑफ करदी जायगी। एक छोटी सी बात टोकन के लिये, चार–चार रोज तक मोटर ऑपरेटर्स को बैठे रहना पड़ता है तो आप अंदाज लगाइये, अध्यक्ष महोदय, कितना उनका समय खराब होता है और कितना अर्थ का नुकसान होता होगा ?

आज मोटरों के द्वारा सरकार को आमदनी होती है इसमें कोई शक नहीं। हमें किसी पार्टी से जब इन्कम होती है तो सरकार को उन्हें सहूलियत देनी चाहिये। कागजी कार्यवाही बिना दिक्कत के पूरी हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं आज हमारे मंत्रियों द्वारा सरकार नहीं चलाई जा रही है बल्कि सरकार और मंत्रियों को स्वयं को वे लोग चलाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं मंत्री कोरे साईनिंग मशीन हैं, कोई भी कागज आवे फट दस्तखत कर देंगे। किसी प्रकार की गलतियां या गड़बड़ियां हो रही हैं और खास कर्मचारियों का गुट्ट बनता जा रहा है इसकी मंत्री जी को परवाह नहीं है। यही कारण है कि विरोधी पक्ष के द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ ठोस आर्गुमेन्ट्स रखे जाते हैं तब भी उन कर्मचारियों को प्रोटेक्शन देते है। ऐसा किस लिये करते हैं इसलिये कि मंत्री उनको गाइड नहीं कर सकते बल्कि उल्टा वे कर्मचारी उनको गाइड करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार आशा करती है कि मोटर ऑपरेटर्स टोकन लें और बिना टोकन के गाड़ियां नहीं चलावें और सरकारी टैक्स की चोरी न करें। लेकिन जब सरकार स्वयं रोडवेज को लेकर एक पार्टी के रूप में सरकार के सामने खड़ी होती है तो ऐसे कई उदाहरण मिले हैं कि हमारी सरकार ने कई वर्षों के टोकन समय पर नहीं लिये जिसके कारण उनके चालान हुए और ड्राइवरों की तनख्वाह से पेमेन्ट हुए। जब सरकार पब्लिक से आशा करती है कि सारा काम नियम के अंतर्गत करे और सरकारी लेन देन का क्लीयर हिसाब रखे तो कम से कम सरकार स्वयं पार्टी के रूप में खड़ी होती है तो उसको जागरुक रहना चाहिये और समय पर टोकन ले लेना चाहिये ताकि मोटर ऑपरेटर्स को भी अनुभव हो सके और सबक दे सके कि उनको इस प्रकार से बेलेन्स क्लीयर रखना चाहिये।

जहां तक कोटा ट्रान्सपोर्ट का सवाल है कोटा ट्रान्सपोर्ट के बारे में हमारे कोटा से आने वाले माननीय विधायक श्री गोयल साहब ने कई बार यहां जिक्र किया है लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी कोटा ट्रान्सपोर्ट में कई सौ रुपये रोड टैक्स के बाकी हैं। कोटा ट्रान्सपोर्ट की मोटरें बिक रही हैं लेकिन सरकार आज तक अपना पैसा उनसे वसूल नहीं कर पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतना सब कुछ बताते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि खाली कानून बनाने और संशोधन लाने से काम नहीं चलेगा। डिटेल्स में जाना होगा और जहां पर गड़बड़िया होती हैं उनके खिलाफ एक्शन

(कुवंर श्री महेन्द्रसिंह)

लेना होगा अन्यथा आप कितने ही कानून लागें उनसे व्यवस्था हो सके यह संभव नहीं है ! इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को इतना जल्दी पास न करके जनमत के लिये प्रसारित किया जावे ताकि कुछ मुद्दे सामने आ सकें ।

श्री रामकिशन (वैर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय यह मेरा प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, सरकार जिस मंशा से यह संशोधन ला रही है उसके विपरीत मुझे कुछ नहीं कहना है, सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन मैं एक जानकारी चाहूंगा कि आप कितने ही संशोधन करें, एक्ट, नियम और कानून में परिवर्तन करते चले जायं लेकिन जब तक आपकी मशीनरी ठीक नहीं नहीं होगी तब तक सभी संशोधन बेकार हो जाते हैं । कानूनों का ऐसा जंगल खड़ा हो गया है कि जिन तक साधारण आदमियों की पहुंच नहीं है । हर बार कानून में संशोधन हो जाता है लेकिन अमल के नाम पर कोई असर नहीं होता । नतीजा यह होता है कि कानून बनते चले जाते हैं और कानून तोड़ने वालों की रफ्तार भी पहले से ज्यादा बढ़ती जाती है । वे एक के बाद दूसरा रास्ता निकालते हैं और दूसरे के बाद तीसरा रास्ता निकालते हैं । रोज एक तरफ विधान मंडल और सरकार कानून बनाती है और दूसरी तरफ तोड़ने वाले पैदा होते रहते हैं । यों तो सरकार संशोधन का जिक्र करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती ।

जहां तक मोटर गाड़ियों का संबंध है इस विभाग की बड़ी चर्चा है । मैं समझता हूं एक आदमी इस विभाग में एल. डी. सी. बनना पसन्द करेगा मुख्य मंत्री बनना पसन्द नहीं करेगा । आप यदि किसी से पूछोगे कि तुम मुख्य मंत्री बनना पसन्द करते हो या इस विभाग में एल. डी. सी. बनना पसन्द करते हो तो समझदार आदमी जवाब देगा कि मुझे तो मुख्य मंत्री नहीं बनना है यहां पर एल. डी. सी. ही बना दीजिये । दासाहब की तरह यहां बैठ कर गालियां तो नहीं खानी पड़ेगी, सौ डेढ़ सौ रुपया रोज जेब में रख कर घर जाऊंगा । सरकार कहती है कि टैक्स से नहीं बच सको इस लिये टोकन लेना पड़ेगा । राजस्थान में १४ हजार के करीब मोटर मालिक हैं, १४ हजार करीब टेक्सीज, प्राइवेट कार्स वगैरा चलती हैं । इनमें से कुछ ऐसे हैं जो निश्चित तौर से टैक्स देना चाहते है । अब तक वे लोग मनीऑर्डर से टैक्स भेज देते थे और टोकन के लिये मनीऑर्डर भेजते थे इसलिये उनको टोकन भेजना पड़ता था लेकिन अब मनीऑर्डर का प्रावधान हटा रहे हैं इसलिये अब जब एक शिकार इन लोगों के सामने आयेगा तो वे लोग शिकार पर झपट पड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि १० रुपये लाओ, २० रुपये लाओ, ३० रुपये लाओ । इसको रोकने के लिये दासाहब आश्वासन तो दे देंगे या यहां कह देंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन उनसे मकान पर पूछोगे तो वहां कह देंगे कि भ्रष्टाचार है और हम भ्रष्टाचारी सरकार के कल पुर्जे हैं ।

(श्री रामकिशन)

अध्यक्ष महोदय, टैक्स का पैसा रह क्यों जाता है ? पिछले बजट के समय हमने सुझाव दिया था कि यात्री कर में जितनी चोरी होती है वह इस कारण होती है कि आप नये टैक्स हर साल लगाते हैं लेकिन वसूल उसका ५० परसेन्ट भी नहीं हो पाता। एक सुझाव मैंने और दूसरे साथियों ने यह दिया था कि सरकार रेवेन्यू स्टाम्प के जरिये कर वसूल करें रेवेन्यू स्टाम्प नहीं लगाने के कारण मोटर ओप-रेटर्स नयी नयी कापियें बना लेते है और बेहि-साब पैसा खा जाते हैं। मैं कई बसवालों के नाम बता सकता हूं। जैसे धौल–पुर आगरा रूट पर एक बस आपको साल भर में २ या २॥ हजार रुपये देती है और दूसरी बस उसी रूट पर ७ हजार या १० हजार रुपये देती है। बाड़ी–धौलपुर नजदीक की जगह है वहां एक ऑपरेटर देता है ५ हजार रुपये और भरतपुर–आगरा बहुत प्रमुख मार्ग है वहां पर यात्रा करके रूप में दो ढाई हजार रुपये ही वसूल होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वह कारण यह है कि जो मशिनरी आपकी वहां पर काम करती है उनका टैक्स तो वसूल हो जाता है लेकिन जितना टैक्स खजाने में आना चाहिये उतना नहीं आता क्योंकि उतना काम करने वाले कर्मचारियों के पास आ जाता है। मुझे अफसोस है कि १७ साल में भी सरकार इसका इलाज नहीं कर सकी। सरकार जितना इलाज करती है मर्ज उतना ही बढ़ता जाता है। सरकार इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पाती है इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन के पास परमिट हैं वे प्रभावशाली लोग हैं, किसी ड्राइवर को या किसी कंडक्टर को या गरीब व्यापारी को परमिट नहीं मिलता है। ये परमिट तो उनको मिलते हैं जो अपने पैसे के जरिये से इधर से उधर काम बैठाते हैं या उनको मिलता है जिनकी पहुंच मंत्रीजी तक या अधिकारियों तक है। इसलिये जिनके बल पर वे परमिट ले जाते हैं उन्हीं के बल पर वे चोरियां करते हैं। सरकार आश्वासन विधान सभा में देती है लेकिन आम जनता परेशान है। जो टैक्स वसूल करते हैं उनसे सरकार वसूल नहीं कर पाती। इन बड़े लोगों के पास ८० परसेन्ट हिस्सा पड़ा हुआ है और उन लोगों के खिलाफ आप कोइ भी शक्ति नहीं लगा पावेंगे, कोई भी कार्यवाही नहीं कर कर पावेंगे क्योंकि वे लोग वे ही हैं जिनको आपने परमिट दिलायें हैं और अगर वे नहीं हैं जिनको आपने परमिट दिलाये हैं तो वे लोग हैं जिन्होने पैसों से परमिट प्राप्त किया है। मैं यह कहूंगा कि ये जो चार्जेज लगाये गये हैं वे गलत नहीं लगाये गये हैं। मंत्री महोदय खुद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस का विभाग और यह विभाग भ्रष्टाचार के लिये मशहूर है। मैं समझता हूं कि आपने जो संशोधन पेश किया है वह काफी नहीं होगा क्योंकि इससे एक बात पैदा हो जावेगी और वह यह कि जिस समय मोटर मालिक खुद आवेंगे तो उस समय उनसे दस बीस रुपयों का बांड और दे दिया जावेगा। और इससे भ्रष्टा-चार बढ़ेगा। अगर सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो मैं विरोधी पक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं इसलिये सदन का एक क्षण भी नहीं लेंगे। लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि भ्रष्टाचार इससे नहीं रूक सकता है। आपने जो प्रस्ताव रखा है उससे कोई भ्रष्टाचार रुके ऐसा रास्ता निकलनेवाला नहीं है। इससे तो उल्टा भ्रष्टा-चार बढ़ने की संभावना है।

(श्री रामकिशन)

एक बार मैंने पहले कहा था कि चोरी से बचने के लिए रेवेन्यू टिकट जारी कर दिये जाएं। आपने सिनेमा में एक बार रेवेन्यू टिकट जारी किये थे। मगर उसको आपने वापिस ले लिया। आपने उसको वापिस क्यों लिया इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही कहूँगा कि बड़े बड़े सीनेमा मालिक का आप पर दबाव पड़ा होगा या सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत पेश आई होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो सकती थी ? मगर आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार के हुक्म भी मोहम्मद तुगलक के हुक्म की तरह से होते हैं। आज आपने एक हुक्म निकाला दूसरे महीने में दूसरा और दो तीन महीने बाद दूसरा हुक्म निकालते हैं। इससे यह होता है कि जनता जब तक एक कानून की जानकारी पूरी नहीं कर पाती है तब तक आपका दूसरा हुक्म निकल जाता है। सरकार उन पर गम्भीरता से विचार नहीं करती और संशोधन के लिए बिल ले आती है। इसका नतीजा यह होता है कि सब बेढंग तरीकों से चल रहा है और जो आदेश होते हैं वे किसी पर लागू होते हैं और किसी पर नहीं और इससे मुश्किलातें कम होने के बजाय बढ़ती जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। मोटर मालिकों में रुपया क्यों रह जाता है ? मैं समझता हूँ कि सरकार इसके लिये जागरुक नहीं है और इस कानून को बना कर भी वह उन रुपयों को उनसे वसूल नहीं कर पावेगी। मोटर मालिकों से किस तरह से उनके फाइनेन्सीयर्स रुपया वसूल करते हैं और कितना ब्याज उनसे लेते हैं इसके लिये सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब कोई ड्राइवर वगैरा मोटर ले भी लेते हैं तो उनके फाइनेन्शियर उनका किस तरह से शोषण करते हैं, इसके लिए मुझे एक पुरानी कहानी जो पढ़ी थी शाइलॉक की याद आती है। मैं समझता हूं कि हमारे दा साहब को भी यह कहानी याद होगी। दा साहब की उम्र तो गल गई है लेकिन शायद याददाश्ती होगी। आपको यह मालूम होना चाहिये कि यदि किसी ड्राइवर ने बस लेली है तो उसका फाइनेन्शियर उससे क्या ब्याज लेता है। आपने उसके लिए कोई फाइनेन्स की व्यवस्था नहीं की है। मैं यह कहूंगा कि जो उनके फाइनेन्शियर्स होते हैं वे उनका शोषण, हिन्दुस्तान में जो ब्याज का सिलसिला है, उससे भी कई ज्यादा करते हैं। इसलिये या तो आप उनको फाइनेन्स दिलाने का प्रबन्ध करें और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छोटे छोटे मोटर व्यवसायी हैं उनको नहीं बचा पाएगें। उन लोगों को आपके टैक्स नहीं दें, इसके लिए कोई डर नहीं है क्योंकि आपका इन्सपेक्टर या और कोई आदमी मोटर को पकड़ेगा तो १०) रुपये उसको वे दे देंगे और वह उनसे रकम वसूल नहीं करेगा। लेकिन उनके फाइनेन्शियर हैं वे मोटर को पकड़ कर ले जावेंगे। सरकारी टैक्स तो वसूल होना एक तरफ रह जावेगा मगर वह तो मोटर वाले से ५ हजार के बजाय १५ हजार वसूल कर लेता है। इसलिये मैं थोड़ा सा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह मोटर वेहिकल्स एक्ट पर संशोधन है उस पर सोचा जावे। बड़े लोग इस विजिनेस पर हावी हो गये हैं। इन सब को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जावेंगे तब तक कोई इस संशोधन से लाभ नहीं होने वाला है।

(श्री रामकिशन)

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी मिली है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी सरकारी कर्मचारी बराबर नहीं हैं और सब चोर नहीं हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी ऊंचे दर्जे के इमानदार है। सब बेइमान नहीं हैं। मगर उनको भी आप भ्रष्ट बना देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का जलसा हुआ था उस समय भरतपुर के आर. टी. ओ. को चन्दा वसूल करने के लिए मोटर वालों के पास भेजा गया और उनसे चन्दा इकट्ठा किया गया। आप मेरी बात मत मानिये आप मोटर मालिकों से पूछिये आपको मालूम होगा। जो सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करती हैं वह सरकार गिरे बगैर नहीं रहती है। मोटर मालिकों ने बताया कि ५००) रुपये चन्दे के आर. टी. ओ. को दिये। मेरी उनसे बात चीत हुई। मन से चन्दा इकट्ठे नहीं कर सकते। उपमंत्री या मन्त्री किसी के कहने से चन्दा वसूल करते हैं। इधर जो मोटर मालिक चन्दा देते हैं और उनमें जो सरकार का रुपया बाकी हैं उनको ज्यादा प्रेस भी नहीं करते हैं क्योंकि उनसे चंदा लिया हैं। मैं यह कहूंगा कि सरकार का खुद का मन साफ नहीं है और वह कानून बना देती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि सरकार को कोई नया तरीका ढूंढने की जरूरत है। राजस्थान में आवागमन के साधन बहुत कम हैं इसलिये मोटर ट्रान्सपोर्ट आवश्यक है। अगली पंचवर्षीय योजना में आप १० या १५ रूट और ले पावेंगे। लेकिन फिर भी इसका भविष्य बहुत उज्वल और अच्छा है, उनको किस तरह से सहयोग दिया जाए और टैक्सों की चोरी है उसको हर तरह से रोका जावे। यह देखना है कि छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार किस प्रकार रुके और बड़े बड़े लोगों का भ्रष्टाचार किस तरह से रोका जावे इसके लिये हमने पहले कुछ बातें बताई थीं। मैं समझता हूं कि चन्द सब इन्सपेक्टर इस विभाग में काम करते हैं उनके पास रेफरीजेटर और कूलर और कारें हैं। ११० रुपये की तनख्वाह में वे रेफरीजेटर, कूलर और कार कैसे रख सकते हैं। जब हम भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तो सरकार कहती है कि आप मिसाल दें। दा साहब, बुरा मत मानना आप बड़े हैं ! आपको तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह मंत्रीजी से कहूंगा कि सावन के अन्धे के लिये कहां तक रोवें ? उनको कैसे समझावें ? यह साफ है कि एक सब इन्सपेक्टर जिसको ११०) वेतन मिलता है और वह कार रख सकता है, रेफरीजेटर रख सकता है, कूलर रख सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आखिर उसके पास ये सब चीजें कहां से आईं ? मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जयपुर से सवाई माधोपुर और भरतपुर इन तीनों जगह पर तबादले होते रहेंगे यदि उसको भरतपुर से हटावेंगे तो सवाई माधोपुर या जयपुर लगावेंगे। किसी को जो सवाई माधोपुर से हटाया तो उसको कोटा या अलवर भेज देंगे। आप उनको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि स्थानों पर नहीं भेजते ताकि उनको वहां पर भी कूलर की हवा नहीं खानी पड़े। लेकिन आप उनको वहां पर भेज नहीं सकते। क्योंकि सब इन्सपेक्टर की ट्रान्सफर होती है, कभी दया करके मंत्री ने कह भी दिया कि इसको ठीक ठाक कर दें, तो डाइरेक्टर वगैरा उनकी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। मैं दा साहब से निवेदन करूंगा कि दा साहब। आप ऐसे ही क्यों बदनाम होते हैं। जो कुछ भी काम होता है वह चीफ मिनिस्टर के नाम पर अभी भी होता

Page No. 49

(श्री रामकिशन)

है। अच्छा तो यह हो कि इस तरह बदनाम होने से तो आप इस महकमें से इस्तीफा दे दें। वैसे बदनाम जो हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जब आप जैसे बुड्ढे व्यक्ति बदनाम होते हैं तो हमें तकलीफ होती है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस पर सरकारी पक्ष के सदस्य भी बोलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एमेंडमेंट का इतना महत्व नहीं है जितना संशोधन का है। नन्दा साहब ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। उन्होंने ६ माह कहा, मैं ६ साल कहता हूँ। दा साहब के लिये कहूँगा कि आप जब तक रिटायर हों तब तक के लिए ६७ में आप रिटायर हो जावेंगे, मैं अपने दल से निवेदन करूंगा कि वे २।। साल और चुप रहें। मैं दा साहब से निवेदन करूंगा कि आपका बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप चोरी को रोक नहीं सकेंगे। अगर आप शक्ल बदल कर मेरे साथ चलें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। एक सब इन्सपेक्टर आपसे १० रुपये वसूल कर लेगा। हो सकता है कि आप इतने बड़े और बूढ्ढे हैं कि वह आपको पहिचान जावे मगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, आपके किसी घर वाले को मेरे साथ भेजिये तो आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार कितना व्यापक है। आप से गर्व नहीं कह सकते कि आप इस भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। मैं यह कहूँगा कि आप इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी इसको नहीं रोक सकेंगे और सर्वोदय समाज में रहते हुए भी इसे नहीं रोक सकेंगे। यह मर्ज ला इलाज है। यह तभी ठीक हो सकता है कि जो जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वे तुरन्त मुअत्तिल किये जावें तभी जा कर मैं समझता हूँ कि कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि आपने जिस भावना को लेकर संशोधन रखा है उसके हम विरोधी नहीं हैं मगर यह आपकी भावना इससे पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि यह मर्ज ला इलाज है। इतना ही कह कर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे। "]

अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है यह रोड टैक्स और पैसेन्जर्स टैक्स का जो इवेजन होता हैं, उसको समय पर जमा नहीं कराते, उसको रोकने के सम्बन्ध में है। यह बात ठीक है। बहुत लोग बिना टैक्स जमा कराये ही टोकन इस डिपार्टमेंट से ले लेते थे और सरकार के पास टैक्स जमा नहीं कराते थे और टैक्स का रुपया लोगों में बकाया चला आ रहा है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। जो लोग टोकन लेंगे उन्हें पहले क्लीयेरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, क्लीयेरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही वे टोकन प्राप्त कर सकेंगे। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इस टोकन को प्राप्त करने

Page No. 50

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार कि ट्रान्स-पोर्ट विभाग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में जितना कहा जाय कम है। जहां तक इस ट्रान्सपोर्ट विभाग का प्रश्न है क्लर्क से लेकर आर. टी. ओ. तक, इससे ऊपर का तो मैं नहीं कह सकता, इन दफ्तरों में गड़बड़िया चलती हैं, उन गड़बड़ियों के बारे में जितना कहा जाय कम है। तो जहां क्लीयेरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने की बात आती है तो टोकन प्राप्त करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। यह बहुत बड़ी समस्याएं हैं। रात दिन गड़बड़ियां होती रहती हैं। जब तक उन गड़बड़ियों को दूर नहीं करेंगे तब तक लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। टोकन प्राप्त करने जायेगा कोई तो उसे टोकन प्राप्त करने में कई दिन लग जायेंगे। और इससे उनकी असुविधाएं और बढ़ जायेंगी। टोकन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान करते हैं तो इसके साथ ही साथ एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय निश्चित कर दीजिये कि इतने समय में टोकन अवश्य मिल जायगा, वरना जैसा श्री राम किशनजी ने कहा उस तरह की बाधाएं उपस्थित होने की पूरी संभावनाएं हैं।

फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के संबंध में मैंने पहले आपको बताया कि मैकेनिकल इन्स्पेक्टर वगैरह किस तरह की कार्यवाहियां करते हैं। अब तो सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी के बनने से लोगों को राहत मिलेगी। खराब गाड़ियां आज तक चलती आ रही हैं, जिन गाड़ियों के मोडल के लिये सरकार ने तय कर रखा है कि इससे नीचे के मोडल की गाड़ियां नहीं चलेगी, सरकार के आदेश के अनुसार जिन गाड़ियों को नहीं चलांना चाहिये, वे गाड़ियां भी चलती हैं। जो मोडल सरकार ने प्रेस्क्राइब कर रखा है उससे नीचे के मोडल की गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता हैं और उसका नतीजा यह होता है कि रोजाना एक्सीडेन्ट होते हैं और लोग मर जाते हैं। तो क्लर्क से लेकर आर. टी. ओ. तक आपको जागरुक रह कर आपको अच्छी तरह से प्रबन्ध करना होगा। जिस प्रकार की धारणा आम लोगों में इन दफ्तरों के लिये है, जिस प्रकार के विचार आम लोगों में हैं वे अच्छे नहीं हैं। आठ-आठ, दस-दस साल तक एक मेकेनिकल इन्स्पेक्टर, एक एक क्लर्क एक जगह रखे जाते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि एक मुख्य मंत्री बनने को तैयार नहीं होगा एल. डी. सी. बनने को तैयार हो जायगा, यह बात तो नहीं है, पर यह है कि मैकेनिकल इन्स्पेक्टर, क्लर्क, इन्स्पेक्टर्स आदि ऐसे हैं जो नाजायज कार्यवाहियां करते हैं, उनके खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तभी लोगों को राहत मिल सकेगी। साथ ही ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि दस दस, बारह बारह साल तक एक ही जगह कोई क्लर्क बैठा रहे। इन खराबियों को दूर करना चाहिये और जितनी बदनामी आज इस विभाग की आम लोगों के अन्दर हो रही है उससे बचने के लिये सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये।

टैक्सेज का इवेजन होता है, उसके बारे में कहा कि बहुत से लोग परमिट हासिल कर लेते हैं, उनकी निजी सम्पत्ति तो होती नहीं है

Page No. 51

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दूसरे लोगों से पैसा लेते हैं, समय पर पूरा पैसा जमा नहीं करा पाते। हमने मनी लैंडिंग कानून पास किया था। काश्तकारों को बोहरों के चंगुल से बचाने के लिये मनी लैंडिंग बिल पास किया था पर मोटर बिजिनेस में भी बहुत से गरीब लोग काम करते है, ऐसे लोगों को फाइनेन्शियर्स से बचाने के लिये भी इस प्रकार का कानून पास करना चाहिये जिससे कि वे समय पर रुपया जमा करा सकें।

टोकन के सम्बन्ध में ही नहीं मैं तो यहां तक कहूंगा कि टोकन के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना, रोड टैक्स जमा कराना, परमिट हासिल करना, इन सब बातों में बड़ी देरी होती है। उस देरी को दूर करने के लिये हमें यह पाबन्दी लगानी होगी कि अमुक समय में इस डिपार्टमेंट से जो काम ताल्लुक रखता है वह हो जाय। इस प्रकार की व्यवस्था हो जायगी तो हमारा काम सुन्दर और व्यवस्थित तरीके से चल सकेगा। वरना कोई अमेंडमेंट ले आयें, किसी प्रकार का कानून बनालें, उनसे सुधार नहीं होने वाला हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल !

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला !

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन बिल को मैंने बार बार पढ़ा, उसके बाद में भी मुझे यह समझ में नहीं आया कि जो पहले प्रावधान था टोकन के सम्बन्ध में उस प्रावधान को हटा कर जो नया प्रावधान रखा है उसमें कौनसी नवीनता है और क्या इस संशोधन बिल के पास होने से जिस बीमारी को सरकार मिटाना चाहती है वह मिट सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जो पहले का प्रावधान है वह पढ़ कर सुनाता हूं धारा १० के क्लाज़ (बी) में है :

"प्रत्येक व्यक्ति जिसको टोकन दिया जाय, उसे उस गाड़ी पर जिसके सम्बन्ध में कर का भुगतान किया जाय, निर्धारित तरीके से प्रदर्शित करेगा।"

जो टोकन मिलेगा वह उसे गाड़ी पर लगाना पड़ेगा, यह पहले से प्रावधान है।

धारा ११ के अनुसार टोकन नहीं लगाता है तो उस पर १०० रुपया जुर्माना हो सकता है।

Page No. 52

(श्री विजयसिंह झाला)

धारा १६ के अनुसार इन्स्पेक्टर चालान कर सकता है।

धारा १८ के अनुसार जहां पर मोटर रहती है उस एरिया में घुस कर सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है।

अब नया संशोधन यह किया है मैं उसे भी पढ़ कर सुनाता हूं :

"इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाने योग्य कोई गाड़ी राजस्थान में तब तक काम में लायी या काम में लाये जाने के लिये रखी नहीं जायेगी, जब तक कि उसके मालिक ने उस संबंध में एक वैध टोकन न प्राप्त कर लिया हो तथा उक्त टोकन को निर्धारित तरीके से गाड़ी पर प्रदर्शित न कर दिया गया हो।"

मैं नहीं समझता कि इन दोनों में क्या फरक है? टोकन लगाना पड़ेगा, विधिवत लगाना पड़ेगा, गाड़ी पर लगाना पड़ेगा, फिर कौनसी बात बढ़ाई।

टोकन की जटिल समस्या राजस्थान में हो रही है, इस संशोधन से वह समस्या मिटने वाली नहीं है। इसके कई कारण हैं, उन कारणों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका ट्रान्सपोर्ट विभाग एक भ्रष्ट विभाग हैं। मैं कहता हूं कि यदि राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वह ट्रांस्पोर्ट विभाग है। मैं उसके [illegible] उदाहरण देना चाहूंगा। आज आपके [illegible] के जो कर्मचारी हैं वे सही रूप से कार्य [illegible]रते, उनको जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का प्रयोग करके जो टोकन देना चाहिए और मोटर ओनर्स को लेना चाहिए उसके लिए वे कर्मचारी उनको बाध्य नहीं करते। क्यों नहीं करते कि उनमें असंतोष है। उनके साथ में पक्षपात होता है और उन पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उससे उनको ड्यूटी अदा नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए जब तक उन अधिकारियों के साथ में आपका पक्षपात बंद नहीं होगा तब तक आप कितने ही संशोधन लाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके डिपार्टमेंट के जो नियम आर. टी. ओ. बनने के लिए हैं उनको कार्य रूप में परिणित नहीं किया, उसका नतीजा यह है कि जो कुछ चांस मिलना चाहिए था वह उन कर्मचारियों को नहीं मिला। कोई मिनिस्टर का रिश्तेदार है तो उसको चांस दिया जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। सारे राजस्थान में आपके ७ ए. आर. टी. ओज हैं रूल्स के अनुसार जब तक पी. एस. सी उनको एप्रूव नहीं कर लेवे तो कोई भी ए. आर. टी. ओ. नहीं हो सकता। इन ७ में से ४ को पी. एस. सी. ने एप्रूव नहीं किया, जिन लोगों को पी. एस. सी. ने एप्रूव किया उनको ए. आर. टी. ओ. नहीं बनाया और जो किसी अधिकारी या मंत्री के रिश्तेदार हैं उनको अभी तक ए. आर. टी. ओ. बनाए रखा है। तो जिन लोगों को चान्स मिलना चाहिए था पी. एस. सी. के कहने के अनुसार उनको नहीं दिया गया तो दरअसल में जो ड्यूटी उनको अदा करनी चाहिए वह वे नहीं कर पाते, कभी भी उनको संतोष नहीं हो सकता।

एक और नया ए. आर. टी. ओ बनाया जा रहा है, वह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप संशोधन तो ला रहे हैं लेकिन संशोधन लाने के बाद में भी जो अधिकार कर्मचारियों

(श्री विजयसिंह झाला)

को दिए गए हैं उनका वे उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें असंतोष है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है । एक उदयपुर में नरसिंह लाल इन्स्पेक्टर है । जब सुखाड़ियाजी इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते थे तो वह वहां कर्मचारी था । वहां से उसको सप्लाई डिपाटमेंट में लिया गया ...

श्री अध्यक्ष : अगर आप इस तरह से व्यक्तिगत मामले न लें तो अच्छा होगा । अगर कहीं पी. एस. सी. की रिकमन्डेशन न मान ली गई हो तो आप कह सकते हैं । व्यक्तिगत मामलों में तो वे जवाब भी नहीं दे सकेंगे । इसलिए आप व्यक्तियों के नाम न लेते हुए बताइये ।

श्री विजयसिंह झाला : एक और इन्स्पेक्टर हैं जो किसी मिनिस्टर के जरिए आना चाहते हैं, वह इन्स्पेक्टर सबसे ज्यादा जूनियर हैं । एक मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक की दूकान खोली थी उस पर वह इन्स्पेक्टर नौकरी करता था । उस रिश्ते को निभाने के लिए पी. एस. सी. के नियमों के विरुद्ध और दूसरों की सीनियोरिटी न मानकर, उसके लिए दो चार दिन में सेक्रेटरियट में आदेश होने वाले हैं । जब आपके कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, उनके साथ जो अन्याय होता है उसके विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा, तब तक सही रूप में वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे और यदि नहीं कर सकेंगे तो आप कितने ही संशोधन लाइये जो टोकन की जटिल समस्या है, वह हल नहीं होगी । इससे कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं क्योंकि उनको असंतोष है, उनको जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिलता ।

और भी एक कारण है । कुछ मोटर मालिकों के साथ में जो न्यायिक रूप में उनको न्याय मिलना चाहिए, वह न्याय उन्हें नहीं मिलता, उनके साथ पक्षपात किया जाता है । जब ए. आर. टी. ओ की आफीस में आने पर समय पर टोकन नहीं मिलता, समय पर न्याय नहीं मिलता तो मजबूर होकर उनको मनी आर्डर से फीस भेजनी पड़ती है । आप इन मोटर मालिकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कीजिए, रूल्स के अनुसार व्यवहार कीजिए । टोकिन इश्यू नहीं होते, उदयपुर में, भीलवाड़ा के अंदर ५० प्रतिशत गाड़ियां आज दिन तक बगैर टोकन चलती आ रही हैं जिनका टोकन इशू नहीं हुआ है । जब यह चीज आर. टी. ओ अपील को मालूम थी तो फिर आपने धारा १६-१७ के अनुसार कितने आदमियों के विरुद्ध कार्यवाही की ? धारा ११ के अनुसार बगैर टोकन लिए हुए गाड़ी नहीं चला सकता, ऐसे कितने व्यक्तियों पर आपने जुर्माना किया ? आप कहेंगे नहीं किया, तो उसके बाद में, इस प्रावधान आने के बाद में हमारे पास विश्वास करने की कौनसी गुंजाइश रहती है ? एक गाड़ी के टोकम का उदाहरण देना चाहता हूँ । एक परमिट उदयपुर से भीलवाड़ा आर. जे. वाई १७३६ गाड़ी को १९६० मे मिला और दूसरा परमिट आर. जे. वाइ ११६६ उदयपुर से रतनपुर का मिला । उदयपुर से रतनपुर की गाड़ी न० ११६६ केवल एक महीना चली । उदयपुर से भीलवाड़ा न० १७३६ केवल एक महीना चली । ११६६ की जगह गाड़ी नम्बर १७३६ लगाई गई तो मैं पूछता हूँ कि गाड़ी नं० ११६६ आज तक

(श्री विजयसिंह झाला)

कहां थी ? उसने टोकन क्यों नहीं लिया ? उनके सारे कागजात थे उन कागजातों का क्या हुआ ? आपको मालूम नहीं और उसके बाद में ११ जुलाई को जो उदयपुर में आर. टी. ओज. की मीटिंग होती है उसके सामने कागजात गायब और दोनों परमिट्स रिन्यू किये जाते हैं। आपके मोटर वेहीक्लस एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार गाड़ी एक हो और परमिट्स दो और एक गाड़ी तीन चार साल तक चलती रहे जिसका आपके पास कोई रेकार्ड नहीं। यह पक्षपात इसलिए होता है कि वह गाड़ी वसंतकुमार की है जो एक वरिष्ठ मन्त्री के साले के साले हैं। ऐसे केस में ७०० रुपये जुमाना करके परमिट रिन्यू की जाती है। मैं समझता हूँ कि यह नियमों के विरुद्ध है। आपका कोई भी नियम नहीं कहता कि चार साल तक दो परमिटों पर एक गाड़ी चले और एक गाड़ी का पता नहीं। आपका विभाग रिन्यू कर देता है। परमिट पर कालाबाजारी चल रही है। वह कालाबाजारी कुछ लोग करना चाहते हैं जोकि दरअसल गाड़ी चलाने के योग्य नहीं हैं। उनको परमिट दिया जाता है तो नतीजा यह होता है कि उनके धन्धे सही रूप से नहीं चलते तो जो टैक्स उनको जमा कराना चाहिए वह ठीक समय पर नहीं करा पाते। इस वजह यह जटिल समस्या बनती जा रही है। ऐसी हालत में हमें सोचना पड़ेगा कि जिनको दरअसल में इस धन्धे को सही रूप में चलाने की योग्यता है, ऐसे आदमियों को परमिट देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वह किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार है या ऐसे नहीं कि एक गाड़ी हो और दो परमिट हों और उस परमिट को कांकरोली के आदमी को १५,००० रु० में बेचे।

(१०.०० म० पू०)

अध्यक्ष महोदय, आपकी एक व्यवस्था थी। सदन में प्रश्न उठा कि उदयपुर में नेश्नेलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है और आपने उस पर यह व्यवस्था दी थी कि दर असल बड़े-बड़े मार्ग हैं जिनसे जनता को फायदा हो सकता है उनका नेश्नेलाइजेशन हो जाना चाहिये और हमारे वयोवृद्ध दासाहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन भीलवाड़ा के चुनाव के बाद में मुख्य मन्त्रीजी ने गंगानगर के पब्लिक पार्क में मीटिंग की और आश्वासन दिया कि नेश्नेलाइजेशन पांच साल तक नहीं हो सकता है। उसका नतीजा यह है कि उदयपुर–भीलवाड़ा परमिट जो २॥ हजार रुपये में था आज १५ हजार में बिकता है। इस प्रकार का पक्षपात हुआ है अपनी किन्हीं एजेन्सियों की मार्फत परमिट देकर ब्लेक मार्केट करवाना चाहते हैं। इससे जो व्यवस्था जमनी चाहिये उसका सही रूप में उपयोग नहीं हो सकता।

(१०.०२ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो रोडवेज के कागजों पर बनी है। रोडवेज की गाड़ियों में मोटर वेहीकल्स एक्ट के अनुसार जो जो सुधार होने चाहिये, जो जो कागजात होने चाहिये वे कागजात अभी तक दबे हुए हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जुर्माना बेचारे ड्राइवरों से वसूल किया जाता है। आज ड्रेस न मिली, आज टोकन नहीं लगा। कागज दबे हों तो उसकी सजा ड्राइवरों को भुगतनी पड़ती है। अभी मैंने सुना है कि कोई प्रावधान करके जिन कर्मचारियों ने पैसा अपनी जेब से दिया

(श्री विजयसिंह झाला)

उनको लौटाया जारहा है। आपका रोडवेज विभाग करता क्या है ? कागजात की पूर्ति नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, खाना पूर्ति मोटर के सम्बन्ध में होनी चाहिये। टोकन चाहे लगा दें। जब तक खाना पूर्ति नहीं होती जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिये वह नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बात मैं यह मानता हूँ कि जब तक मेकेनिकल इन्स्पेक्टर फिटनेस का सर्टिफिकेट न दे दे टोकन मान्य नहीं हो सकता। कभी आपने सोचा कि राजस्थान में कितने मेकेनिकल इन्स्पेक्टर हैं ? तीन हैं। कितनी गाड़ियां हैं ? एक इन्स्पेक्टर को कितनी गाड़ियां चेक करके देना चाहिये ? क्या वह उस प्रकार से चेक करके फिटनेस का सर्टिफिकेट देता है ? एक भी चेक नहीं करता है। एक मेकेनिकल इन्स्पेक्टर की आय एक मिनिस्टर की सालाना आय के बराबर है। दरअसल आमदनी की दृष्टि से ही कोई मुख्य मंत्री बनना चाहता हो तो एक मुख्य मंत्री की आमद के बनिस्बत एक मेकेनिकल इन्स्पेक्टर की आमद ज्यादा है। आप उनको चेक नहीं करते हैं। आज तक कितने मेकेनिकल इन्स्पेक्टर ट्रान्सपोर्ट विभाग में रहे, कितनी आमदनी की, कितने बंगले बनाये, कितनी कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, यदि आप जांच करायेंगे तो आपको मालूम होगा कि लाखों रुपयों की सम्पत्ति है। आपका इस ओर ध्यान नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि कुछ उच्चाधिकारियों के जरिये, मिनिस्टर के जरिये उनको मेकेनिकल इन्स्पेक्टर बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेकेनिकल इन्स्पेक्टर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के अनुसार राजस्थान में कितने मेकेनिकल इन्स्पेक्टर बनाये गये हैं ? एक भी मेकेनिकल इन्स्पेक्टर क्राइटेरिया के अनुसार नियमों के अनुसार जिस प्रकार का होना चाहिये वैसा नहीं हैं। केवल किसी एक की सिफारिश के आधार पर बने हुए हैं। जो आधार पर होते हैं, वे भ्रष्टाचार फैलाते हैं, रिश्वतखोरी फैलाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप कह रहे हैं कि क्राइटेरिया के अनुसार एक भी मेकेनिकल इन्स्पेक्टर नहीं है तो क्या क्राइटेरिया है ?

श्री विजयसिंह झाला : मेकेनिकल इन्स्पेक्टर कुल ३ हैं। कोई लम्बी चौड़ी लिस्ट नहीं है। या तो आप डिनाई कर दें और कह दें कि क्राइटेरिया के आधार रर हैं। मैं कहता हूं कि जो क्राइटेरिया पर है उसके आधार पर नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये, आपको जानकारी है ?

श्री विजयसिंह झाला : मुझे जानकारी है इसलिए मैं कहता हूँ। पी. एस. सी. ने जो क्राइटेरिया एप्रूव कर रखा है और जिसको उन्होंने एप्रूव किया है उसको ए. आर. टी. ओ. नहीं बनाया है। एक मिनिस्टर का रिश्तेदार होने से ऑर्डर आ जाता है कि इनको हटा दो और इनको रख लो। आज तक नहीं लगाया गया। आप जानकारी कर लें।

इस स्थिति में जिस उद्देश्य से यह लाया गया है, टोकन की समस्या है जिसका समाधान करना चाहते हैं उसका समाधान नहीं हो पायेगा। मुझे दुख होता है कि ट्रान्सपोर्ट जैसा विभाग दा साहब ने कैसे ले लिया ? बुढ़ापे के कारण हमें दया आती है। केवल उनको यह एडवाइज़ देता हूँ कि यह आपके बस का रोग नहीं है, यह बड़ा भारी रोग है और दा साहब

(श्री विजयसिंह झाला)

इस रोग को आप सहन नहीं कर सकते इसलिए अच्छा है कि अन्तिम दिनों में आप इसको छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : I think it would be better if personal remarks about age are not made.

श्री विजयसिंह झाला : मैं किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहता लेकिन मजबूर होकर इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ मिनिस्टरों का आतंक जमा हुआ है जो नियमों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को बाध्य करते हैं। यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि वह चाहे कोई भी हो वे अवैधानिक कार्य नहीं कर सकते। यह हमारा कहने का अधिकार है और आप यह नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा आप पर आक्षेप है....

श्री हरिराम चौहान : कोरम पूरा नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : या तो आप सुधार नहीं करना चाहते। करना चाहते हैं तो कुछ व्यक्तियों का दबाव है इस कारण हो नहीं पाता है या आपको समय नहीं मिलता है। आपका बुढ़ापा है और आप उससे फिर दूर रहिये। इस बात की गम्भीरता को सोचना चाहिये इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी,...

श्री उपाध्यक्ष : Wait please.

(कोरम घंटी)

(कोरम पूरा होने पर)

श्री जयलाल !

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान मोटर वेहीकल्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६६४ को मैंने सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि इस अमेन्डमेन्ट के पूर्व भी टैक्सेशन में इवेजन न हो, समय पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

टैक्स जमा हो जाय, इसके लिए राज्य सरकार ने समय समय पर नोटिफिकेशन्स के जरिये, अमेन्डमेन्ट बिल्स के जरिये काफी पावर्स ली हैं और इस हाउस की ओर से काफी पावर्स दी गई हैं। इसके बावजूद भी टैक्सेशन में इवेजन होने लगा। कुछ मोटर मालिकों के द्वारा समय पर टैक्स जमा न कराये जाने के कारण सरकार को कठिनाइयां हुई तो सरकार के सामने दूसरा अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत पेश आयी।

इस बिल के स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को देखने से जाहिर होता है कि टोकन जो पहले लेने की बात थी वह नहीं लेते हुए भी पैसा मनिआर्डर से भेज देते थे और समय पर टोकन न लेते हुए भी गाड़ियां चलाते थे। इसलिये टोकन प्राप्त करके जब तक न लगाया जावे गाड़ी रोड पर नहीं चल सकेगी इस अमेन्डमेन्ट की यह मन्शा प्रतीत होती है।

मैं राज्य सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आर. टी. ओ. के आफिस में बस ऑपरेटर्स को कितनी तकलीफें होती हैं, किस तरह से ऑपरेटर्स को टोकन के लिये दस दस दिन तक आफिस में जाना पड़ता है। कई कई ऑपरेटर्स की तो एप्लीकेशन्स तक गायब कर दी जाती हैं वैसी हालत में उनको दुबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आर. टी. ओ., जोधपुर का मुझे ज्ञान है जो कठिनाइयां वहां ऑपरेटर्स को उठानी पड़ती हैं यह एक बहुत ही गंभीर मसला है इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार का आर. टी. ओ. के आफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने के बारे में सक्रिय कदम उठाना चाहिये। ऑपरेटर्स की मीटिंग बुलाकर उनकी कठिनाइयों को राज्य सरकार को सुनना चाहिये। एक ओर तो टैक्सेशन सरकार का बकाया है वह हो सकता है बड़े बड़े ऑपरेटर्स हां उन्हीं में हो सकता है जिनकी बहुत सी गाड़ियां चलती हों। छोटे आपरेटर्स जिनकी एक दो गाड़ियां चलती हैं उनकी टैक्सेशन नहीं चुकाने की भावना नहीं रहती। हो सकता है कुछ ने समय पर पैसा जमा न कराया हो, हो सकता है राज्य सरकार के सामने यह भी कठिनाई आई हो कि कुछ ऑपरेटर्स जानबूझकर पैसा जमा नहीं कराते इसी के फलस्वरूप राज्य सरकार को यह अमेन्डमेंट लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को इस अमेन्डमेंट के जरिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को पूरी तौर से आर.टी.ओ. आफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करना होगा। उसके साथ-साथ जो टोकन के लिये दरख्वास्त देते हैं उनको निश्चित समय देना होगा कि इतने दिन में उनका टोकन तैयार हो जायगा, ताकि उनकी गाड़ियां बेकार न रहें और टोकन प्राप्त करने में उनको डिफीकल्टी पैदा न हो। यह जो अमेन्डमेंट पेश किया गया है इसमें टोकन दे देने की कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है इससे ऑपरेटर्स को बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार के टैक्स का कोई इवेजन करता है उसके लिये सख्त से सख्त कानून आप बनाइये उसका हम समर्थन करेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो आर० टी० ओ० आफिस में गड़बड़ियां हैं उनको दूर करना होगा। आज देखा यह जाता है कि ऑपरेटर्स टोकन के लिए प्रार्थना पत्र दे देते हैं लेकिन उनके डिसपोज़ल में महिनों लग जाते हैं, बार बार ऑपरेटर्स को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ग्राफिस में जाना पड़ता है उसका खर्चा भी ज्यादा पड़ता है इस बात पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे टोकन मिलने की तिथि निर्धारित कर दी जानी चाहिये कि एप्लीकेशन के सात या दस दिन के पश्चात् हर हालत में टोकन मिल जायगा। यह नहीं किया गया तो आर. टी. ओ. को खुली छूट है जिस तरह से भी वह चाहेंगे ऑपरेटर्स का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ऑपरेटर्स को आर. टी. ओ. के ऑफिस में बड़े डिसग्रेसफुल नज़रों से देखा जाता है। आर. टी. ओ. से जनता घबराती हैं वहां जनता की मट्टी पलीद होती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं जहां टैक्स जमा कराने के लिये पन्द्रह दिन की मियाद दी जाती है, ३१ दिसम्बर को टोकन ले लेना चाहिये लेकिन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा रूल्स में यह प्रावधान किया गया है कि १५ दिन के अन्दर अन्दर जमा करा दें उसी तरह से टोकन मिलने का भी समय निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के बनने के बाद सरकार पर इस तरह की निश्चित अवधि टोकन देने के लिये डालना जरूरी है वरना ऑपरेटर्स को दिक्कतें पेश होंगी। जब तक आर. टी. ओ. के ऑफिस से ऑपरेटर टोकन नहीं लगायेगा तब तक वह गाड़ी को रोड पर नहीं चला सकेगा। इसके द्वारा सरकार को पॉवर्स जरूर दे दी गई हैं पर उसके विपरित बस ऑपरेटर्स के इन्ट्रेस्ट को वाच नहीं किया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार आर. टी. ओ. ऑफिस के लिये एक नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल मैम्बर्स की कमेटी बनाकर एक्जामिन करावे कि पर्टीकुलरली ऑपरेटर्स को टोकन प्राप्त करने के लिये कितने दिन वेट करना पड़ता है। इसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। आज ऑपरेटर्स में इस बात का बड़ा भारी असंतोष है कि आर. टी. ओ. ऑफिस में बिना कुछ दिये उनका काम नहीं निकलता। एप्लीकेशन गायब तक हो जाती हैं यह मेरा निजी अनुभव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल के अन्दर एक क्लॉज़ इस प्रकार का रखें जिससे निश्चित अवधि में टोकन प्राप्त हो जाय और गाड़ी बन्द न करनी पड़े। इस प्रकार का प्रावधान नहीं होने के कारण बस ऑपरेटर्स को डिफीकल्टीज का सामना करना पड़ता है और इससे पब्लिक को भी कठिनाइयां पैदा होती हैं इस लिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। टोकन प्राप्त करने के लिये या तो प्रावधान रखा जाय कि पांच सात दिन में टोकन मिल जाया करे, Token must be granted if tax hasbeen deposited and clearanc ce ertificate obtained.

उस हालत में बस अपॉरेटर्स को कोई डिफीकल्टी नहीं होगी, ट्रेवलिंग पैसेन्जर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिये मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है, चाहे थोड़े समय के लिये भेज दिया जाय, ताकि बस ऑपरेटर्स के ईन्ट्रेस्ट वाच करने की जो बात मैंने रखी है उसका इसमें समावेश हो सके। ऑफिस की गलती से जो टोकन नहीं मिलता उसके कारणों को समझ कर उसके उपाय निकाले जा सकें। आखिर इसमें किसकी गलती के कारण टोकन समय पर नहीं मिलता,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बस ऑपरेटर्स के इन्ट्रेस्ट सेफगार्ड करने के लिये क्या करना चाहिये आदि बातें सिलेक्ट कमेटी में विचार हो सकती हैं। सिलेक्ट कमेटी में इन सब मुद्दों पर विचार होकर वापिस बिल सदन में पेश किया जायगा तो उचित रहेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अब्दुलजब्बार के बोलने के लिये खड़े होने पर) You can speak on the third reading.

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, यातायात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डेड बिल पेश किया गया है उसके लिये माननीय सदस्यों ने तीन चार बातें सदन के सामने रखी हैं। वैसे तो इस बिल का सब ने स्वागत किया है, कुछ माननीय सदस्यों ने शंकायें रखी है उनका मौजूदा क्लॉज से कवरअप हो जाता है। अगर कोई टोकन नहीं लगाता है उसको सजा मिलेगी, उसका चालान किया जा सकता है टोकन मिलने पर नहीं लगाता हो तो। उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर क्लीयररेन्स सर्टिफिकेट नहीं लेते पैसेन्जर टैक्स का अमाउन्ट जमा नहीं कराते, परमिट हासिल नहीं करते, मैकेनिकल फिटनेस नहीं कराते इन सब बातों की खाना पूर्ति करने के बाद टोकन के लिये पैसा जमा कराना होता है, उसके बिना टोकन नहीं मिल सकता इसी दृष्टिकोण से यह रखा गया है।

"(2) Every person to whom such token is delivered shall cause it to be exhibited in the prescribed manner on the vehicle in respect of which the tax is paid."

इस में डिलीवरी शब्द दिया हुआ है, इसके बिना चालान से बरी हो जाते हैं कह देते हैं कि हमें टोकन नहीं मिला इसलिये हम लगा नहीं सकते और टोकन लेने की कार्यवाही नहीं करते। टोकन मिलने के लिये चार कन्डीशन्स को पूरा करना होता है पहली कन्डीशन मैकेनिकल फिटनेस की है, दूसरी इन्स्योरेन्स कम्पलीट हो, परमिट हो इस प्रकार ये चारों आइटम्स पूरे होने पर ही टोकन इस्यू होता है। एक की भी खामी रह जाती है तो टोकन इस्यू नहीं हो सकता। ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि मनीऑर्डर की रसीद दिखाकर गाड़ी चलाये जाते हैं। इन सारी चीजों को रोकने के लिये मजबूरन यह अमेन्डिंग क्लॉज रखा गया है।

"...unless the owner thereof has obtained a valid token."

इसमें टोकन ओब्टेन करना मेन्डेटरी कर दिया गया है। ओब्टेन नहीं करता है तो सब्जेक्ट टू चालान हो जाता है। इसी लिये यह अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रगट की कि टोकन के प्राप्त होने में देरी होती है, ऑपरेटर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर जो सुझाव आया है कि इसके लिये समय निर्धारित होना चाहिये, इसके अमैं पक्ष में हूं कि जरूर कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय। उसके लिये रुपया निर्धारित समय पर जमा हो जाय तो निर्धारित समय में टोकन मिल जाना चाहिये। बशर्ते कि चारों कन्डीशन्स वह फुलफिल करता हो। अगर चारों रिक्वायर्ड चीजें कम्पलीट नहीं होगी तो टोकन नहीं मिल सकता। सारे कागजात पूरे हों तो निश्चित अवधि में टोकन मिल जाय

(श्री भीमसिंह)

इस बारे में जरूर कार्यवाही की जायगी, इसके लिये नियम बना दिये जायेंगे ताकि निश्चित अवधि के अन्दर टोकन मिल सके ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : एग्रीकल्चर ट्रेक्टर्स आदि के लिये भी आपके रूल्स बने हुए हैं वे भी क्लीअर नहीं है, उनमें भी टोकन आदि लेने के बारे में हरेसमेन्ट होता है ।

श्री भीमसिंह : आपने यह पॉइन्ट पहले भी डिबेट में रखा था । काश्तकारों को ज्यादा सुविधा मिल सके उसके लिये उचित संशोधन की आवश्यकता है उसके लिये तैयारी की जा रही है और वह संशोधन जल्दी ही कर दिया जायगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : टोकन के लिये आपने चार बातें रखी हैं उसके भी तय करने के लिये समय निर्धारित हो जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री भीमसिंह : जहां तक चार बातों का सवाल है जिनकी पूर्ति आवश्यक है जहां तक इन्स्योरेन्स का सवाल है वह तो हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, परमिट पांच साल के लिये मिलता है । यह विहीकल्स पर लागू है । रजिस्ट्रेशन बराबर मिल जाता है । मैकेनिकल फिटनेस का सवाल रहता है आम तौर पर इसमें दिक्कत होती है, इसके लिये गवर्नमेन्ट ने बोर्ड कायम कर दिया है, उसके लिये माननीय सदस्य ने भी माना है कि बोर्ड के बनने से लोगों को राहत मिली है । यदि मैकेनिकल फिटनेस हाथों हाथ मिल जाता है तो उसी रोज की डेट डाल कर उसको आगे भेज दिया जाता है । एस. डी. ओ. केडर का आदमी इसीलिये रखा गया है ताकि निश्चित तौर पर मैकेनिकल फिटनेस के बारे में देर न हो, उसके द्वारा डेट अंकित हो जायगी ताकि दूसरी जगह उसको प्रोड्यूस करने दिक्कत न हो....

श्री विजयसिंह झाला : बोर्ड के विरुद्ध अपील करना हो तो आर. टी. ओ. में होगी क्या यह सही है ?

श्री भीमसिंह : इसको चेक कर लिया जायगा ।

श्री विजयसिंह झाला : आर. टी. ओ. का विभाग फिटनेस का सर्टिफिकेट सही रूप से नहीं देकर रिश्वत लेकर देता है उसके लिये आपने एक बोर्ड बनाया उसकी अपील मौजूदा बोर्ड के नियम हैं उसके अनुसार आर. टी. ओ. में होगी । उसकी अपील किसी जुडिशियल अधिकारी के पास हो ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकते ?

श्री भीमसिंह : अगर गाड़ी मैकेनिकल फिटनेस में नहीं आती है या उसकी कन्डीशन अच्छी नहीं है तो उस आधार पर रिजेक्ट करेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : एस. डी. ओ. और इन्सपेक्टर के बीच में कोई एक राय नहीं मिलेगी तो आर. टी. ओ. फैसला देगा....

श्री भीमसिंह : यह जो अपील होती है मैकेनिकल फिटनेस की वह आर. टी. ओ. के पास जाती है इसमें आर. टी. ओ. पिक्चर में नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : आर. टी.ए. के बजाय आप जुडिशियल अधिकारी को यह अधिकार दे दें तो क्या आपत्ति है ?

श्री भीमसिंह : आर. टी. ए. खुद कोसी जुडिशियल बोडी है वह करता है।

जो प्रोसीजर टैक्सेज के बारे में उसमें स्लेब सिस्टम के आधार पर कर दिया जाय, इस सुझाव को एक्जामिन कराया जायगा, उचित प्रतीत होगा तो अमल में लाया जायगा।

चौथी बात माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के बारे में भी रखी थी उसके लिए जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे सरकार उन पर अमल करने के लिए सचेष्ट रहेगी। भ्रष्टाचार अवश्य मिटना चाहिये, जितना प्रयत्न हमसे हो सकता है कर रहे हैं। इसके लिए माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे उनको अवश्य ध्यान में रखा जायगा।

फ्लाइंग स्क्वेड जहां पहले एक थी वहां चार कर दी गई हैं ताकि कहीं करप्शन हो, टैक्स इवेजन हो, उसको रोका जा सके। ये चार चीजें निवेदन करने के बाद मैं समझता हूँ इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने एवं सिलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हम इसको पास करने में डिले करेंगे उतना ही टैक्स की वसूली होने में देरी होगी, इसलिए जितना जल्दी पास किया जायगा भ्रष्टाचार के दूर होने में और टैक्स की वसूली में आपका पूरा सहयोग प्राप्त रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : हम तो पूरा सहयोग देते हैं, हमने भ्रष्टाचार के उदाहरण बताये हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं जिन अधिकारियों को पी० एस० सी० ने एप्रूव नहीं किया क्या आप उनको हटाने के लिए तैयार हैं ? इसके साथ साथ ११५० नंबर की गाड़ी जिसके कागजात पूरे नहीं थे फिर भी उसको रिन्यू किया गया ?

श्री भीमसिंह : ये सब डिटेल्स की बातें हैं, सरविस कन्डक्ट रूल्स के अनुसार सब किया जाता है उसके बारे में मैं यहां क्या कह सकता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने नाम रखे हैं, यह भी बताया है कि किस मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं।

श्री भीमसिंह : यह इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अब्दुल जब्बार से) आप कुछ कहना चाहते हैं कह लीजिये ताकि आपका भी स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : (ट्रेज़री बेंचेज़ से खड़े हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जहां टैक्सेशन का सवाल आता है ...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या माननीय सदस्य इधर ट्रेजरी बेन्चेज पर आ गये हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : इसमें आपको क्या नुकसान है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था टैक्स लगाते वक्त आप यह अच्छी तरह देख लेते हैं कि मोटर अच्छी तरह चले, लोगों को परेशानी न हो और टैक्स भी आपका बराबर वसूल होता रहे जिससे रेवेन्यू आपका बढ़े। अब रहा सवाल इन्स्योरेन्स आदि का इसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि आप जब एक

(श्री अब्दुल जब्बार)

तरफ डिसेन्ट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं आप इस विभाग को सेन्ट्रलाइज करते चले जा रहे हैं। ट्रान्सपोर्ट के मातहत आप इन्स्योरेन्स करते हैं उसीके आधार पर रिन्युअल होता है, टोकन वगैरह मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है इन्स्पेक्शन आदि का काम इस विभाग से हटाकर दूसरे विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय ...

श्री भीमसिंह : आप जो फर्मा रहे हैं वह इस बिल से ताल्लुक नहीं रखता है यह इससे रिलेवेन्ट कैसे है ?

श्री अब्दुल जब्बार : जहां तक टोकन लेने का सवाल है टोकन के लिए आपने कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब कर रखी हैं। टोकन उस वक्त देंगे।

तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि यहां पर टोकन पर ही जोर दे रहे हैं लेकिन इन्सपेक्शन वगैरह पर जोर नहीं दे रहे हैं। आपने कहा है कि हम सुविधायें देना चाहते हैं मोटर मालिकों को तो आप अपने डिपार्टमेंट को डिसेन्ट्रलाइज़ कीजिये। एक ही विभाग में सारी चीजें रखने से बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय अच्छे, अच्छे नेताओं के यहां मोमफली की बोरी भरी भेजनी पड़ती है। तब जाकर टोकन मिलता है। ऊपर से नीचे तक लिंक बना हुआ है उसको अलग किया जाये। जैसे पहले आपने एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन को पैसेंजर्स टैक्स को दिया उसी तरह से इन्सपेक्शन को भी इस विभाग से अलग कीजिए ताकि आपस में मेल नहीं खा सकें। इससे ठीक काम चलेगा। मैं मंत्री महोदय से एक बात और कहूँगा कि टैक्स तो आप लेते हैं, टोकन नहीं हो तो चलाने नहीं देते हैं, लेकिन आप सोचें कि कोई अपनी गाड़ी कहां चलायेगा। आसमान पर तो चलायेगा नहीं। आखिर सड़क पर ही चलायेगा। रास्ते आप बनाते नहीं हैं। इस तरफ सरकार ध्यान दे। सरकार यह भी देखे कि सड़कें भी हैं या नहीं। इस ओर कई बार सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पी० डब्ल्यू० डी० और ट्रान्सपोर्ट को एक साथ रहना चाहिए और एक ही मिनिस्टर होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भीमसिंह : यह, उपाध्यक्ष महोदय, अलग अलग प्रश्न है इसलिए इन पर अलग से विचार कर लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आर० टी० ओ० के दफ्तर में क्लेरीकल स्टाफ दस साल से बराबर चला आ रहा है जब तक यह लोग री-शफल नहीं किये जायेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में आपका क्या सुझाव है ?

श्री भीमसिंह : अगर माननीय सदस्य ऐसे केसेज़ ध्यान में लायेंगे तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम नामवाइज़ सदन में कहते हैं उसके बाद में भी माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि भ्रष्टाचार के उदाहरण लाइये। दसियों बार सदन में इस प्राकार के प्रश्न उठे हैं और नामवाइज़ कहा गया है, मिनिस्टरों के रिश्ते बताये गये हैं—इसके अलावा और किस तरह से आपके ध्यान में लायें ?

(श्री विजयसिंह झाला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप लगाऊंगा कि आप केवल दूसरों को अपीज़ करना चाहते हैं और इन्टेन्शनली केसेज़ को दबाकर कार्यवाही नहीं करते हैं और उल्टे सदस्यों से कहते हैं कि हमारे पास भ्रष्टाचार के उदाहरण लाइये। आखिर ऐसा कौनसा तरीका है आपके कान में बात डालने का ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन बिल को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत हुआ है उनको पारित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्तुत हुआ है उसको पारित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री भीमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १६६४ को पारित किया गया।

(१०.३५ म० पू०)

राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेस (इवीक्शन ऑफ अन-ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र- अग्रवाल!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपना प्रस्ताव इस सदन में इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत करूं मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जो कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट की ऑथोरिटीज़ का हवाला दिया गया है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट के फैसले किस सन् के हैं और किस संदर्भ में हुए। इस सम्बन्ध में यदि माननीय मन्त्री महोदय सदन को जानकारी दे दें तो मैं समझता हूँ कि बहस का बहुत कुछ मुद्दा उसी कानून के आधार पर उस हद तक सीमित हो जायगा और क्योंकि इस बिल के उद्देश्य और कारणों में इसका विवरण आया है और सरकार इस तरह का विधेयक प्रस्तुत कर रही है इसलिए मैं उप-मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाब हाईकोर्ट की कौनसी ऑथोरिटीज़ किन साल की है और क्या चीज ऐसीहै कि जिसके आधार पर राज्य सरकार ने आवश्यक समझा कि

Page No. 64

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस प्रकार का कानून राजस्थान में होने के बावजूद भी राजस्थान प्रिमिसेस (रिक्वीज़ीशन एण्ड इविक्शन) ऑर्डिनेन्स १६४६ है उसके होने के बाद भी इस प्रकार का नया विधेयक आज सरकार प्रस्तुत कर रही है ? १६४६ का जो ऑर्डिनेन्स था इसके तहत सरकार ने कितने इविक्शन के केसेज़ किये १५ साल में कोई हाइकोर्ट में चैलेन्ज हुआ क्या ? कौनसे केसेज़ अराइज़ हुए हैं जिनमें राज्य सरकार के सामने यह दिक्कत पेश हुई है कि उस ऑर्डिनेन्स के बजाय इस प्रकार का नया लेजिस्लेशन विधान सभा में पेश किया जाये ? इन दोनों बातों का उत्तर और स्पष्टीकरण माननीय उप-मन्त्री महोदय दे दें तो मैं समझता हूँ कि जवाब में काफी सहूलियत हो जायेगी ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, On a point of order Sir, । कई बार सदन के अन्दर ४८ घन्टे पहले हिन्दी का अनुवाद प्रत्येक सदस्य को मिलना चाहिए ताकि वे पढ़ लें । कई बार यहां तक ऑब्जेक्शन उठाया गया है और जिस रोज बहस होती है उसके एक घन्टे पहले ही यह अनुवाद हिन्दी का मिलता है । उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह होता है कि इस सदन के अन्दर केवल २० सदस्य ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी के बिल को पढ़ सकते हैं और इनके अलावा १४३ सदस्य ऐसे हैं कि जो हिन्दी समझ सकते हैं । तो मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल २० सदस्यों को ही यह बिल क्या है यह समझ में आया है और १४३ सदस्यों को जो अमेंडमेंट्स करने का अधिकार था या इस बिल के पक्ष में और विपक्ष में बोलने का जो अधिकार था उससे उनको वंचित रखा गया है । इसलिए जब तक नियमों के अनुसार दो दिन पूरे व्यतीत नहीं हो जायें तब तक इस पर विचार नहीं होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की आपत्ति यह है कि हिन्दी अनुवाद ४८ घन्टे पहले प्रसारित होना चाहिए ताकि जो माननीय सदस्य केवल हिन्दी समझते हैं वह भी उसको पढ़ लें और अपने संशोधन आदि प्रस्तुत कर दें । मैं माननीय सदस्य के विचारों के साथ सहानुभूति रखता हूँ और आशा करता हूँ कि अनुवाद भी यथासमय प्रसारित कर दिया जायेगा तथापि रूल्स में ऐसी बाधा नहीं है और रूल्स के अनुसार विधेयक यथासमय प्रस्तुत हो चुका है इसलिए मेरी यह व्यवस्था है कि आइन्दा के लिए जहां तक हो सके अनुवाद भी यथासमय प्रसारित हो जाना चाहिए । Would you clarify nwo?

श्री परसराम मदेरणा : There is nothing to be clarified, Sir. इसके ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अन्दर कि यह बिल क्यों लाया गया है और हमारे यहां पर जो पुराना ऑर्डिनेन्स था राजस्थान प्रिमिसेस (रिक्वीजीशन एण्ड इविक्शन) ऑर्डिनेन्स १६४६ वह सेन्ट्रल एक्ट की जो हमारी सेक्शन ११ है उसके एनेलोगस है और यह जो हाईकोर्ट के डिसीज़न हुए यह सेन्ट्रल एक्ट में हुए और सेन्ट्रल एक्ट की बेसिस पर खास तौर से जो काम्पीटेन्ट ऑथोरिटीज थीं जिनको हम एस्टेट ऑफिसर से सब्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं और जिस प्रकार का प्रोसीजर रखा हुआ है और जिस मसले को लेकर हाईकोर्ट ने फैसले दिये कलकत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से सन् का है ?

श्री परसराम मदेरणा : सन् का पता नहीं है । फैसला मैंने पढ़ा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोन से सन का है ? आप उधर क्या देखते हैं किस सन् का फैसला है यह बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी सन् का फैसला हो न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक आपको मालूम नहीं कि किस सन् का फैसला है तब तक कैसे कह सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा सेक्शन ११ ऑर्डिनेन्स का सेन्ट्रल एक्ट के सेक्शन से बिल्कुल एनेलोगस है वर्ड बाई वर्ड और उसमें से हमने उसको एडॉप्ट किया है और उसी सेक्शन के बेसिस पर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नकल करने की आदत तो राजस्थान सरकार की है। वह अपनी अक्ल से काम नहीं करती है। आपने सेन्ट्रल एक्ट से नकल की है।

श्री परसराम मदेरणा : कई बातों की नकल भी करनी पड़ती है। मान लें कि ऐसे बहुत से लेजिस्लेशन अगर लोक सभा पारित करती है और ऐसे लेजिस्लेशन राजस्थान के लिए अगर जरूरी है तो उसके प्रोवीजन को यहां पर ले लेना मैं समझता हूँ कि कोई अनुचित बात नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि वहां पर पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और उस मामले पर कानूनी तौर पर बहस करके पारित किया है तो उसके रेलेवेन्ट पोर्शन को लेना मुनासिब है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें कोई प्रोसीडिंग तो नहीं की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं बता सकता। लेकिन मैंने कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट मंगा लिये हैं और जब बहस के दौरान में रिप्लाई दूंगा तो मैं बता दूंगा कि कौन से साल का है। इलाहाबाद, पंजाब और कलकत्ता हाईकोर्ट वह फैसला करते हैं और उन फैसलों के अन्दर, खास तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था वह यह था कि यह जो दो प्रकार के स्क्वेटर्स है उनमें उन्होंने डिस्टिन्क्शन माना है। प्रोवीजो लेने पर वह कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ को आफेण्ड करता है और पंजाब और इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ने इस बात को हेल्ड किया है कि यह काम्पीटेन्ट ऑथोरिटीज़ को जो पॉवर्स दिये हैं और जिस तरह के समेरी पॉवर्स हैं उसमें आर्बीट्रेरी तरीके से इविक्ट करा सकते हैं और आर्बिट्रेरी तरीके से इविक्ट कराते हैं वह स्क्वेटर्स को रीजनेबल नम्बर ऑफ डेज का नोटिस नहीं देते हैं इसलिए यह जो समेरी प्रोसीज़र है वह सिटिज़न के फण्डामेन्टल राइट को वायलेट करता है। ऐसा उन्होंने हेल्ड किया था। क्योंकि हमारा सेक्शन ११ सेन्ट्रल एक्ट के बेसिस पर है। उसके एनेलोगस हैं इसलिए हम यह महसूस करते हैं कि जब एक हाईकोर्ट इस तरह का फैसला पर्टीक्यूलर सेक्शन पर दे सकता है जो कि ऑर्डिनेन्स को रेलेवेन्ट सेक्शन ११ है, बाकी रिक्वीजिशन की क्लॉजेज़ और हैं, इसलिए वह एनेलोगस होने की वजह से जब दो हाईकोर्ट ने—तीसरे हाईकोर्ट का ऐसा सवाल है कि उसने यह बात हेल्ड की है कि जहां तक फण्डामेन्टल राइट्स का सवाल है उसको इन्फ्रिन्ज करता है। उसका कन्ट्रावेन्शन करता है। इसलिए तीनों हाईकोर्ट ने फण्डामेन्टल राइट्स के सम्बन्ध में जहां तक आर्टिकल १६ को आफेण्ड करने का सवाल है एक राय है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि यहां पर तरमीम लाने की जरूरत थी। इसलिए यह कम्प्रिहेन्सिव बिल इस सदन के सामने लाया गया है और उसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स भी इस बिल के अन्दर दिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने दो बातें पूछी थीं। एक तो यह है कि किन सालों के जजमेंट हैं। वह आप नहीं बता सके। जिनके आधार पर यह बिल लाये हैं वह किस ईअर के जजमेंट हैं। इसका आपको पता नहीं। दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि १९४९ के ऑर्डिनेन्स में पॉवर दिये हैं उनके तहत में कितने केसेज़ में एविक्शन किया गया है, कार्यवाही की गई है और वह चेलन्ज किया गया है। १५ साल तक अगर कोई बात नहीं खड़ी हुई है तो केवल कानून इस विधान सभा से पास कराते रहने से क्या लाभ है ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तर्क अगर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन पहले के हैं तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि राजस्थान प्रीमीसेज रिक्वीजिशन एण्ड एविक्शन ऑर्डिनेन्स, १९४९ में लागू हुआ है। उसके लागू होने के बाद में वह जजमेंट हुए हैं। इसलिए यह मानकर चलें कि बाद के जजमेंट थे और चूंकि हमारा ऑर्डिनेन्स सेन्ट्रल एक्ट पर आधारित था इसलिए यह हमारे सेक्शन पर असर डालता है और फण्डामेन्टल राइट्स को इन्फ्रिन्ज करने की बात तीन हाई कोर्ट ने हेल्ड की है और स्पेशली आर्टिकल १९ को अफेक्ट करे और बाद के जजमेंट हैं तो जो आपके दिमाग में डाउट है वह डिसपेल हो जाना चाहिये।

दूसरा, आपने कहा कि कितनी प्रोसीडिंग्स कीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे मालूम नहीं है कि कितने आदमियों को उस ऑर्डिनेन्स के सेक्शन ११ के मातहत जो अनऑथोराइज्ड तरीके से जो स्क्वेट करके गवर्नमेंट की लैण्ड या प्रेमिसेज पर बैठ गये थे। यह आंकड़े इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। काम्पीटेन्ट ऑथोरिटी गवर्नमेंट ने बहुत से अलग अलग ऑफिसरों को मुकर्रर कर दिया था इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाना बहुत जल्दी में सम्भव नहीं हो सकेगा। लेकिन यह बात जरूर है कि गवर्नमेंट लैण्ड के ऊपर आकर जो स्क्वेटर्स और अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स बैठ गये हैं और यह समस्या इतनी शक्तिशाली हो गई है कि रेग्युलर काम्प्रिहेन्सिव बिल लाकर कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर हाई कोर्ट के फैसलों के अन्दर जो भी पॉइन्ट रेज कर दिये हैं उनको फुल्ली मीट करते हुए ऐसा बिल लाया जाय इसलिए ऐसा बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले आप यह क्लेरीफाई कर दें कि किस नेचर के अन-ऑथोराइज्ड आक्युपेन्ट मानते हैं जिनको कि एक्विट कराने के लिए कानून लाना चाहते हैं। दो-चार एक्ज़ाम्पल देकर बतायें कि किस किस नेचर के अन-ऑथोराइज्ड आक्युपेशन राजस्थान में हो रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की भूमि और मकानों को आक्युपाइड कर लिया है उनको खाली कराने के लिए समेरी रेमेडी के रूप में ऐसा कानून लाना चाहते हैं। ऐसी नेचर और स्कोप के किस प्रकार के अन-ऑथोराइज्ड तरीके से राजस्थान सरकार की भूमि कब्जा किये हुए हैं उनको खाली करना चाहते हैं। हमको भय है कि इसका दुरुपयोग होगा। आप एक्ज़ाम्पल देकर इलस्ट्रेट कीजिये कि इस प्रकार के अनऑथोराइज्ड आक्युपेन्ट राजस्थान में हुए हैं उनको खाली कराने के लिए अधिकार चाहते हैं तो हमारी समझ में आ सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रमिसेज की डेफिनिशन बिल के अन्दर मौजूद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैंने पढ़ ली है।

श्री परसराम मदेरणा : तो मैं निवेदन कर दूं कि इस बिल के परव्यू और एम्बिट में आने वाले जो स्क्वेटर्स है उनके दो प्रकार है। एक तो वे जो ट्रेसपासर्स हो गये। दूसरे वह स्क्वेटर्स हो गये जो गवर्नमेंट की लैण्ड और प्रेमिसेज पर बैठे हुए हैं लेकिन स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैठे हैं और स्पेसिफिक पीरियड के बाद में भी जमे हुए हैं और रिपीटेड रिक्वेस्ट्स करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। यह दो प्रकार के अनआॅथोराइज्ड आक्युपेन्ट्स और स्क्वेटर्स हैं उनके लिए यह बिल लाया गया है और दोनों ही प्रकार के स्क्वेटर्स इसके परव्यू में आयेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने साल को ट्रेसपासर माना गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : Tresspasser is tresspasser उसमें लिमिटेशन काहे का ? जो अनआॅथोराइज्ड हमारी जमीन पर आकर बैठ गये हैं उसमें पीरियड कम्प्यूट करना चाहते हैं कि यह पीरियड है उसके बाद में एडवर्स पजेशन का राइट मिल जाता है ऐसा आप सोचते होंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां।

श्री परसराम मदेरणा : एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि माननीय सदस्य कानून के जानने वाले हैं और शुरू में ही क्वेश्चन्स और आन्सर्स हो गया। आप डेफिनिट मुद्दे अपनी स्पीच में रेज करेंगे तो मैं डिबेट के रिप्लाई में उनका उत्तर दूंगा। जहां तक संभव हो सकेगा और आपके सभी डाउट्स को डिस्पेल करने की कोशिश करूंगा या जो पॉइन्ट्स रेज़ करेंगे उनको मीट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन्स एण्ड आन्सर्स में एक एक पॉइन्ट को लेना चाहते हैं तो अगर यह प्रोसीजर अख्त्यार करने का, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आॅर्डर हो तो मैं तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन आगे नहीं चले और इससे ही हल हो जाता है तो इजाजत दी जाती है। अगर नहीं हल होता है तो फिर बाद में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर) इतने विवाद के बाद में संक्षेप में ही बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, दी राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज (एविक्शन आफ अनआॅथोराइज्ड आॅक्युपेन्ट्स) बिल, १६६४ जो सदन के समक्ष सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है मैं उसमें प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु ३ मास के लिए परिचालित किया जाय।

(श्री शशीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि इस प्रकार का जो विधेयक इस सदन में लाया जा रहा है इसके संबंध में राज्य सरकार कुछ स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें तो सरकार की सही मंशा हमको मालूम पड़ जाय। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन आधारों पर इस प्रकार का कानून लाया जा रहा है, जिन हाई कोर्ट के रूलिंग्ज के आधार पर यह लाया जा रहा है, उनके बारे में न तो सरकार को यह जानकारी है कि हाई-कोर्ट के फैसले किन सालों में हुए और न सरकार को यह जानकारी है कि हाई कोर्ट के फैसलों में किन कानूनों को चैलेन्ज किया गया था और वे किन सालों के कानून थे, क्या विशेष मुद्दे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरी बात इसके अतिरिक्त यह पूछी कि १६४६ का राजस्थान प्रेमिसेज (रिक्वीजिशन एंड एविक्शन) ऑर्डिनेन्स बना हुआ है उसके बावजूद आज पिछले १५ सालों में राज्य सरकार ने कितने मामले हाथ में लिए जिनके कारण राज्य सरकार के सामने यह स्थिति पैदा हुई कि वह इस प्रकार का कानून के तहत कार्यवाही कर सके। हाई कोर्ट के कौनसे फैसले हो गये इसलिये सरकार चाहती है कि नया कानून विधान सभा द्वारा पारित किया जाय इस सम्बन्ध में सरकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर किस बात के लिये कानून पेश कर दिया और उसे पास कराना चाहते हैं। लेकिन सरकार यह नहीं कह सकती कि सरकार के दिमाग में यह स्थिति क्यों आई? १५ साल से कार्यवाही सरकार ने नहीं की तो राजस्थान सरकार इस विधान सभा में, कलकत्ता हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई-कोर्ट में जो फैसले हुए उनके आधार पर, कानून पेश करना चाहती है कि सरकारी जमीन और भवनों पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनके गलत कब्जे को हटाया जाय, इसके लिये सरकार अदालत में नहीं जाना चाहती। मैंने सरकार से यह जानकारी चाही थी कि सरकार यह बतावे कि कौनसे दिन अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन हुआ, जिनको अनधिकृत ऑक्युपेशन मानती है, ऐसे कौनसे अनऑथोराइज्ड कब्जे हुए जिन कब्जों को सरकार कानून की तहत हटाना चाहती है, मैंने सरकार से यह स्पष्टीकरण पूछा, और जो भय मेरे मन में था कि यह कानून लागू होने के बाद सरकार किन पर यह लागू करेगी, वह भय सामने आया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून दिखने में तो सीधा सादा दिखता होगा, आखिर सरकार की जमीन है मकान हैं उन पर यदि किसी आदमी ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो क्यों नहीं उनको हटाने का अधिकार सरकार को दिया जाय, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यदि गम्भीरता से इसे पढ़ा जाय तो जो भय मेरे मन में था उसकी पुष्टि हो गई। यदि इस कानून का वार किसी पर होनेवाला है तो सरकार की जमीन और मकानों पर कब्जा करने वाले उन ताकतवर और बलशाली लोगों पर नहीं होने वाला है लेकिन सबसे पहला वार और इसका उपयोग, जैसा मैं समझता हूँ उन लोगों पर होनेवाला है जिन लोगों को सरकार ने जमीन नहीं दी, जिनको मकान बनाने के लिये सरकार भूमि या जमीन नहीं दे सकी, जिनको सरकार प्लॉट और पट्टा नहीं दे सकी और राजस्थान में जिन गरीब लोगों का सरकारी जमीन पर आज से नहीं, पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है, जिनके मकानात इस जमीन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर बने हुए हैं और जिनकी झोंपड़ियां और झुग्गियां खड़ी हुई हैं, जिनका कब्जा चला आ रहा है, जिनके मकानात बने हुए है, जिनकी झोंपड़ियों और झुग्गियां खड़ी हुई हैं ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में लोग कच्ची और गंदी बस्तियों में बसे हुए हैं जिनका कब्जा उन जमीनों पर सैंकड़ों सालों से हैं, पीढ़ियों से है लेकिन जिनके पास पट्टे नही हैं, जो किराया नही देते हैं ऐसे हजारों और लाखों लोगों को उन कच्ची और गंदी बस्तियों से हटाने का कानून द्वारा अधिकार राजस्थान सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है कानून की छुरी अपने हाथ में लेना चाहती है ताकि इन गरीब लोगों के गले पर वह छुरी चलाई जाय। ऐसा अधिकार सरकार को देने से पहले मेरी नजर में उन हजारों और लाखों लोगों का नकशा नजर आता है लेकिन सरकार ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार के मन्त्री मोटरों में बैठ कर मिर्जा इस्माइल रोड से निकल जाते हैं। कभी उन्होंने ध्यान नही दिया कि कच्ची बस्ती वाले और गंदी बस्ती में रहनेवाले लोग किस तरह से रह रहे हैं। सरकार के सामने वे लोग प्रदर्शन करते हैं। डेपुटेशन ले जाते है, मंत्रीजी से मिलने की कोशिश करते हैं, विधान सभा के सामने प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग पेश करते हैं कि हमें अपनी जमीन पर बसाया जाय, हमें बसने के लिये भूमि दें, मकान बनाने की इजाजत दें, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान सरकार जो समाजवादी सरकार कहलाती है, अपने आपको सोशलिस्ट कहती है, जो सरकार अपने आप को प्रगतिशील कहती है, आज राजस्थान सरकार अपने आप को गरीबों की हमदर्द कहती है वही राजस्थान सरकार गरीबों को जमीन पर से हटाने के लिये इस प्रकार का कानून लाती है। कच्ची बस्तियों और गंदी बस्तियों में बसनेवाले बार बार इस सरकार से कहते हैं कि हमें जमीन दी जाय, मकान बनाने के लिये सुविधा दी जाय लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केन्द्रीय सरकार कहती है कि रुपये लो, ग्रान्ट लो स्लम क्लीयरेन्स के लिये पैसे मिलेंगे लेकिन राजस्थान सरकार उनको उनके मकानों के पट्टे नहीं देती, उनको जमीन नहीं देती। इसके कारण, उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट होस्टल से अजमेर रोड पर जाते है तो एक ब्रिज बना हुआ है उसके दाहिनी ओर राजस्थान सरकार की जमीन है जिस पर हजारों लोग बसे हुए हैं झोंपड़ियां बनाकर, शान के छप्पर डाल कर, गाड़ी भूसा खड़ी करके उस छोटे मकान में वे रहते हैं, उसमें अपनी क्रिया कर्म चलाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनके साथ में उसी मकान में माता, पिता बड़े बूढ़े सभी उन झोंपड़ियों में रहते हैं। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी उनकी ओर ध्यान दिया कि वे क्यों झोंपड़ियों में झुग्गियों में रहते हैं और क्यों वे नर्क की जिन्दगी बिता रहे हैं, क्या आपने उनको प्लोट देकर, जमीन का टुकड़ा देकर उनको बसाने की तरफ कभी ध्यान दिया। आपके मन में तो यह आया कि ये लोग सरकारी जमीन पर क्यों बसे है, उन्होंने झोंपड़े क्यों बना लिए हैं, कच्चे मकानों को शान से क्यों छाप रहे हैं, उनका कब्जा इन पर से हटाया जाय यह ध्यान आपके मन में पैदा हुआ। क्या यह इन्सानियत है ? क्या यह मानवता है ? क्या यह आपका वेलफेयर स्टेट है, क्या यह सोशलिस्ट सरकार समाजवाद लाना चाहती है गरीबों के साथ हमदर्दी रख कर उनको ऊंचा उठाना चाहती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है उस सरकार का इन गरीबों के साथ किस तरह का रवैया है।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जो कानून बनने जा रहा है उसका सबसे पहले पहला वार यदि किसी पर होगा या पहला मुकद्दमा यदि किसी के खिलाफ चलेगा तो यह उन लोगों के खिलाफ नहीं चलनेवाला है जिन्होंने बड़े बड़े प्लोटों पर कब्जा कर लिया है और जिनको रेगुलेराइज करके मान्यता दे दी है। ऐसे बड़े अफसर, बड़े अधिकारी और बड़े मन्त्री जो हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यहां विधान सभा में सवाल उठाते हैं चाहे मोटर विहिकल बिल पर बहस हो या दूसरों पर हो, आज राजस्थान सरकार का दम नहीं है कि बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सके। लेकिन यह निश्चित है कि यदि यह कानून पास हो गया और एस्टेट ऑफिसर बन गये तो उनका वार इन गरीब लोगों पर होगा। मैंने सरकार से पूछा कि कितने साल के कब्जे को सरकार अन-ऑथोराइज्ड मानती है ५० साल, ६० साल या १०० साल कुछ तो कहे कि इतने साल से बसे हुए लोगों को अन-ऑथोराइज्ड मानती है। आज जयपुर में लगभग ७५००० लोग ऐसे हैं जो कच्ची बस्तियों में झोंपड़े बनाकर रहते हैं। आज से नहीं बल्कि जब से बापू बाजार और नेहरू बाजार बना तब से और उससे भी पहले से जब कि मिर्जा इस्माइल रोड बनी थी तब उन लोगों को यमुनाडेरी और लालकोठी भेज दिया, उस समय की सरकार ने उनको वहां भेजा। उन्होंने सरकार की ईमानदारी पर विश्वास करके वहां जाना मंजूर किया। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि भूतपूर्व राजाओं की सरकार की हमदर्दी हमारे साथ है लेकिन उनके बाद में जो सरकार आयेगी वह बेईमान निकलेगी और कहेगी कि पट्टा दिखाइये, कौनसे ऑर्डर से बसे हो कैसे, बसे हो, किराया क्यों नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर में ७५ हजार गंदी बस्तियों में रहनेवाले लोग हैं, मैं केवल जयपुर शहर की बात करता हूँ। बाकी विधान सभा के सदस्य अपने अपने इलाके की सोचें। वहां पर इंपूवमेंट ट्रस्ट के क्षेत्र हैं उनमें जो लोग पीढ़ियों से रहते आये हैं, जिनका जन्म वहां हुआ है जिनके बाप दादे वहां पर रहते आये हैं उन सारी जमीनों के बारे में उनके पास कोई पट्टा नहीं है कानून कहता है कि सात साल के बाद पजेशन हो जाता है। सात साल के बाद कानूनी रूप से पजेशन हो जाता है और व्यक्तिगत जमीन के बारे में है कि बारह साल के बाद पजेशन हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी के पास पट्टा नहीं है, किसी के पास रसीद नहीं है तो सरकार उसको अनाथोराइज्ड ऑकूपेन्ट मानेगी और उसके बाद उसको नोटिस देगी और फिर उस जमीन से हटा दिया जायगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि नोटिस कौन देगा? नोटिस अदालत नहीं देगी। आज जो जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को को सेपरेट किया है वह इसलिए किया है कि राजस्थान में रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके, लोगों की जुडिशियरी में आस्था बन सके, इसलिए एक्जीक्यूटिव तो अलग किया जाय। लेकिन इससे ऐसा मालूम होता है कि इस कानून की धाराओं के अनुसार, जहां तक सरकारी जमीन का सवाल है, सरकार एक

(श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल)

नया एस्टेट आफिसर अपॉइन्ट करेगी। और उसके बाद कोई सिविल कोर्ट नहीं, कोई जुडिशियरी नहीं बल्कि वह एस्टेट आफिसर अनॉथोराइज्ड आकूपेन्ट्स को नोटिस देगा कि तुमको क्यों नहीं हटाया जाय, तुम्हारा कब्जा क्यों नहीं हटाया जाय ? अब जिस व्यक्ति को नोटिस दिया है, उसकी मंत्री महोदय तक कोई पहुँच हुई, कोई नेता उसका जान पहचान का हुआ, किसी नेता का वह वोटर हुआ तो वह उस मंत्री से या नेता से टेलीफोन करवायेगा कि मेरे को वहां से नहीं हटाया जाये, मुझे वहां से नहीं उखाड़ा जाय और जो मेरे को नोटिस दिया गया है उसे विथड्रा किया जाय। तो इससे होगा यह कि जिन लोगों को नोटिस जारी होंगे, जिनके लिए मंत्री के या नेता के नोटिस को विथड्रा करने के लिए टेलीफोन जायेंगे उनके नोटिस तो विथड्रा हो जायेंगे और जिनकी जान पहचान किसी मंत्री या नेता से नहीं है उनको हटा दिया जायगा, उनको वहां से उखाड़ दिया जायगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर एक्जीक्यूटिव आफिसर्स का स्टेन्डर्ड क्या है ? आपको एस. डी एम. का मामला याद है, जो नीम के थाने में था, जो कागजों में तब्दीली कर सकता था, जो एफ. आई. आर बदल सकता था और सरकार के कागजों को टेम्पर विथ कर सकता है क्यों कि उस तरह के गजेटेड आफिसर आपके कृपा-पात्र हैं। बाड़मेर का केस आपने सुना होगा। इस तरह के एक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हजारों आफिसर हैं जिनको आप आर. ए. एस. आफिसर कहते हैं जिनको गजेटेड आफिसर कहते हैं। और जिन गजेटेड आफिसर के नीचे लोगों को पावर नहीं देते. है, इन गजेटेड आफिसर्स की. इन्टेग्रिटी के बारे में, इनकी मारेलिटी के बारे में और इनकी आनेस्टी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि वे किसके इशारे पर चलते हैं, वे मंत्री महोदय के इशारे पर और नेताओं के इशारे पर चलते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इस सदन के समक्ष आये हैं। इसलिए सरकार इस कानून के जरिये, इन धाराओं के जरिये जो कानूनी व्यवस्था करना चाहती है, उसके अन्दर यह अधिकार इन अधिकारियों को देना चाहती है है जो सरकार के इशारों पर चलते हैं। इससे होगा, उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी आफिसर ने सरकार के कहने से नोटिस विथड्रा नहीं किया या किसी को उखाड़ने की व्यवस्था नहीं की तो उसको आप बी. ड. ओ. बना देंगे, उस आफिसर को ट्रान्सफर कर देंगे और उसकी जगह किसी दूसरे आफिसर को रख देंगे। इस प्रकार जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में विक्टीमाइजेशन हुआ करता था उस प्रकार यह सरकार भी विक्टीमाइजेशन करना चाहेगी। इस आधार पर, मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार इसका उस समय दुरुपयोग करेगी जिस समय चुनाव आयेंगे। उस समय होगा क्या, इन गन्दी और कच्ची बस्तियों के अन्दर जो राजस्थान के खिलाफ हैं—वैसे मैं जानता हूँ कि आज राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के जो हरिजन हैं जो इस जातियों के लोग हैं, जो अनुसूचित जन जातियों के लोग हैं वे इस सरकार के खिलाफ हैं, वह कांग्रेसी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और इस तरह कांग्रेस हुकूमत का पाया टूट रहा है। अब सरकार के सामने समस्या है इनको काबू में कैसे किया, इनके वोट अपने कब्जे में कैसे रखे जायं। तो उसका एक ही रास्ता है, कि तलवार अपने हाथ में रखो एक तमन्चा अपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाथ में रखो और चुनाव के पहले नोटिस जारी करो। उसके बाद जब ये लोग आयें, किसी नेता को अपने साथ लेकर आयें तब यह कहा जाय-जो हमारी मदद करेगा उसकी मदद हम जरूर करेंगे। अब चुनाव का वक्त पास आ रहा है, उस समय नोटिस जारी होंगे और वे विथड्रा तब होंगे जब चुनाव हो जायगा। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कहता। आपको मालूम है कि राजस्थान में एक मीणा जाति है। उनके ऊपर राजस्थान की सरकार कुछ अत्याचार करती है और उस अत्याचार के खिलाफ मैं ही आवाज बुलन्द नहीं कर रहा हूँ बल्कि मीणा जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, श्री भैरव लाल 'काला बादल', वे आवाज बुलन्द कर रहे हैं। क्योंकि वे कांग्रेस के मेम्बर हैं इसलिए वे कहते हैं कि वे भूख हड़ताल करेंगे, अगर मीणा जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों को नहीं रोका तो वे भूख हड़ताल कर देंगे, अनशन कर देंगे। तो यह जो बगावत कर रहे हैं, यह सही कर रहे हैं क्योंकि आखिर वे मीणा जाति की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य की प्राइवेट बातों को यहां न कहें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह प्राइवेट बात नहीं है, उन्होंने अखबारों में लिखा है।

श्री रामकिशन : यह सार्वजनिक घोषणा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और बाकायदा नन्दा साहब को लिख कर दिया है।

श्री गिरधारीलाल : नहीं दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर आप कहते हैं कि नहीं दिया है तो मैं अखबार पेश कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है। माननीय सदस्य बैठे हैं वे कहते हैं कि मीणा जाति पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं की, घोषणा नहीं की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की घोषणायें हो रही हैं। आज भैरवलाल कालाबादल में हिम्मत आई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूसरे माननीय सदस्यों में हिम्मत आयेगी और वे भी इन अत्याचारों को देख कर खड़े होंगे और कहेंगे कि सरकार ने, जिनके वोटों से जीत कर हम आये हैं, उन पर अत्याचार किया है, अन्याय किया है और वे बगावत करेंगे। मैं कहता हूं कि आज सरकारी पक्ष में भी यह स्थिति है कि जिनके प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में हैं, वे उनके लोगों को नौकरियां देते हैं और जिनके प्रतिनिधि नहीं है, उनकी बात नहीं सुनते। नतीजा यह हो रहा है कि जगजीवन राम जैसे नेता ने भी कहा है कि हिन्दुस्तान में पिछले पन्द्रह सालों से जिन पर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है तो वह हरिजन के साथ हुआ है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कच्ची बस्तियों में रहता कौन है? इन कच्ची बस्तियों में मंत्री नहीं रहते, इनमें कोई बड़े बड़े आदमी नहीं रहते। इन कच्ची बस्तियों में रहते हैं हरिजन, चमार, खटीक, कोली और छोटी छोटी जातियों के लोग रहते है, इनमें मजदूर रहते हैं और छोटे तबके के गरीब लोग रहते हैं जो मकान बना नहीं सकते, जिनको प्लाट मिल नहीं सकता। जिनके पास जमीन है,

Page No. 73

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्लाट हैं उनको यू. आई. बी और म्यूनिसिपेलिटी से प्लाट का पट्टा मिल नहीं रहा है क्योंकि उनकी वहां सुनवाई नहीं है। तो वे मकान बना नहीं सकते इसलिए वे झोंपड़ी बना कर पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य रोजाना गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं, हमदर्दी दिखाने का दावा करते हैं और समाजवाद के नारे लगाते हैं, जो छोटे आदमियों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं—वे चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों—वे यह सोच लें कि यह सरकार कभी भी प्रहार कर देगी। वे यह मान कर चलें, जिनका मंत्रि-मंडल में प्रभाव है-क्योंकि आपके यहां दो गुट हैं, जिनके मंत्री हैं उनकी बात मान ली जायगी लेकिन अगर कोई दूसरा मंत्री होगा तो वह आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए यह बात मान कर मत चलो कि कांग्रेस की हुकूमत है, यह मान कर चलो कि इन मंत्रियों में दो गुट हैं, उनके जो सदस्य होंगे उनकी किसी भी बात को मान लिया जायगा लेकिन और किसी की बात को नहीं माना जायगा और उनके साथ हेरेसमेंट होगा, उनका विक्टीमाइजेशन होगा, यह सोच कर चलो,

श्री गोकुलचन्द (कटूमर) : भूख हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहे हैं ऐसा कह कर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भूख हड़ताल के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं यह तो उनकी आत्मा कर रही है, जो उनका सही रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप हंसो मत गोकुलचन्द जी, वे गरीबों के प्रतिनिधि हैं जिनके दिल में उनके लिए दर्द है। आप डरो मत कि १९६७ में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हम टिकट देंगे और जिता कर इस विधान सभा के अन्दर लायेंगे। आप गरीबों, दलितों और पद-दलितों के लिए आगे आओ....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : यह हमसे ही सीखा है। आप इनको क्या सिखायेंगे यह हमसे ही सीखा है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो भूल गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हां भूल गये, लेकिन इससे क्या। सीखा तो हमसे ही है। जो अंग्रेजों के वक्त में हमने किया वह आप कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि अंग्रेजों के वक्त में आपने किया। अंग्रेज चले गये तो आपकी बुद्धि भी चली गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह आप में रह गई है। वह आपके लिए छोड़ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपमें बुद्धि है यह हम कब बता रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : अब आपके लिए चर्चिल को नहीं बुलाया जा सकता। हम राज्य करेंगे और जनतंत्र चलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि चर्चिल को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन जो चर्चिल बनने जा रहे हैं उनको भी जिन्दा नहीं छोड़ा जा सकता।

श्री चन्दनमल वैद : (उप मंत्री,-उद्योग) : और कुछ नहीं तो जनसंघ के नेताओं में हेकड़ी तो है ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है....

श्री भैरोंसिंह : हम भी कह रहे हैं, इनसे सीखा है।

श्री चन्दन मल वैद : हम भी यही कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अंग्रेजों की तरह आज सरकार व्यवहार कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को टुकड़े टुकड़े करके रखा, बटवारा करके रखा, जाति और समाज को बांट कर रखा, नीचे के तबकों को उभरने नहीं दिया, बड़े बड़े लोगों को उभरने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर शहर में, जितने कांग्रेसी एम. एल. ए. यहां बैठे हैं उनमें से किस किसके बंगले हैं? कालाबादल जी! आपका बंगला है? गोकुलचन्द जी! आपका बंगला है? हनुमान सिंह जी! आपका बंगला है? जितने यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रतिनिधि सदस्य हैं क्या उन के बंगले हैं....

श्री भैरोंसिंह : है, अमृतलाल जी ने बनाया है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : और किसका बना है। अमृतलाल जी ने डेढ़ लाख का बंगला बना लिया क्योंकि वह मंत्री रह चुके हैं। वे मिनिस्टर रह चुके हैं इसलिए बना लिया है। सम्पतलाल जी मिनिस्टर रहे इस लिए बन गया। मैं साधारण सदस्यों की बात कहता हूं....

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : जिनके बाल बच्चे हैं वे बंगले नहीं बनायेंगे तो क्या झोंपड़ी बनायेंगे।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : झोपड़ी में रहने वाले लोगों के भी बाल बच्चे हैं, उनको आप बेदखल नहीं कर सकते, उनके कब्जे को तोड़ नहीं सकते, उनकी झोंपड़ी को तोड़ कर नहीं फेंक सकते। आप भले ही बंगले बनायें या महल खड़े करें। मिनिस्टरों ने जयपुर में बंगले बना लिये, दो दो लाख की जायदाद बनाली। जयपुर में नहीं बनाई तो उदयपुर में बना ली। सी स्कीम में बंगले बना रखे हैं, और प्लाट ले रखे हैं और प्लाट बेच कर कमाई कर रहे हैं, धन्धा कर रहे है, किसी के नाम भी सेल कर दिया। नियमानुसार प्लाट का सेल नहीं हो सकता है लेकिन रेजीडेंसी के पास दो प्लाट्स का सेल हुआ है टोंक रोड पर दामादों के प्लॉट लाख लाख रुपयों के खड़े है। आज जयपुर शहर में मंत्री होने के कारण उनके लाख लाख रुपयों के प्लॉट करा लेते हैं और मकान बना लेते हैं लेकिन आज गरीब एम. एल. ए. बंगला नहीं बना सकता। आप दूसरे छोटे मोटे लोगों की बात छोड़िये। मैं यह कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानून से फिर दिक्कत आवेगी। सरकार ने सदन में झोपड़ियों में रहने वालों के लिए आश्वासन दिया था और श्री बरकतुल्लाखां साहब ने कुछ उनके लिये कहा था लेकिन नन्दवाना साहब ने कहा कि बरकतुल्लाखां कौन होते हैं। मैं कहूंगा वैसा होगा। जोधपुर से आने वालों में और उदयपुर से आने वालों में आपस में झगड़ा है वे आपस में लड़ लें।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देखते हैं कि दोनों में से किस की जीत होती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों में और झोपडियों में रहने वाले लाखों की संख्या में लोग हैं उनकी राय आनी चाहिए और इसीलिए मैंने इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है। उनकी क्या राय आती है, आया वे चाहते हैं या नहीं कि सरकार को ऐसा पॉवर रहे। आप सिविल जज के अधिकार के पॉवर्स उनको देना चाहते हैं। एक तरफ तो आप एग्जि-क्यूटिव और जूडिसियरी को अलग अलग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एग्जिक्युटिव ऑफिसर को जुडिशियल पोवर्स दे रहे हैं जैसा कि आपने क्लॉज़ ८ में लिखा है।

(समयस-माप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और बोलना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस अधिकारी को सिविल जज के स्पेशल पॉवर्स देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह इम्पार्शियल जस्टिस कर सकेगा। आपने जुडिशियरी और एग्जिक्युटिव को सेपरेट किया है। मगर इसमें लिखा है कि बकाया की वसूली, एज एरियर्स ऑफ लैन्ड रेवेन्यू ली जावेगी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप किन लोगों से यह वसूल करेंगे। मैं कहूँगा कि आप गरीबों से वसूल करेंगे अमीरों से नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि आज १९५० से लेकर आज तक स्टेट गेरेज की बकाया भूतपूर्व मंत्रियों में बाकी हैं और उसको आप आज तक वसूल नहीं कर पाये हैं। मत्स्य स्टेट के मिनिस्टरों में स्टेट गेरेज की बकाया है और राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों में भी बाकी है लेकिन सरकार उनको वसूल नहीं कर रही है। एरियर्स वसूल करने के लिये कितने भूतपूर्व मंत्रियों को सरकार ने नोटिस दिये हैं, मैं समझता हूं कि आपने किसी को भी नोटिस नहीं दिया होगा। आप यह कहेंगे कि हमारे पास उनकी लिस्ट नहीं है। मैं यह कहूंगा कि अगर आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप आंकड़े मेरे से ले लीजिये। पी. ए. सी. की रिपोर्ट देख लीजिये। आप उनसे वसूल नहीं करते। अगर ये ही रुपये किसी गरीब में बाकी होते तो आप बहुत जल्दी वसूल कभी के कर लेते। हमने म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूव-मेंट बोर्ड की जमीन को शामिल कर दिया है। इसमें भी हम अधिकारियों को मुकर्रर करेंगे। म्युनिसिपैलिटी का कमीशनर या कोई अधिकारी जिसको वह रिजेक्ट करना चाहे उसको रिजेक्ट कर देगा। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी कैसे हैं इसको सभी जानते है, आज म्युनिसिपैलिटी और ट्रस्ट में क्या हो रहा है और किस प्रकार से काम चल रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। हमने म्युनिसिपैलिटीज में यह रखा है कि इजेक्टमेंट के नोटिस देकर किसी से खाली करा सकते हैं मगर यही बात आपने पंचायतों में नहीं रखी है क्योंकि पंचायतों में आप जानते हैं कि आपके ही आदमी हैं जो इस प्रकार की जमीनों पर काबिज हैं। पंचायतों में भीखाभाईजी का लड़का और भवानीशंकरजी के लड़के के नाम जमीनें हैं। यदि इस प्रकार का प्रोविजन कानून में रखते हैं तो उनको उन जमीनों पर से हटाना पड़ता है। अगर इस प्रकार का कानून लावें तो फिर पंचायतों में खाऊं खाऊं कैसे रहे।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज यह कानून जो सरकार सदन में पास कराने जा रही है वह एक प्रकार से एन्टी सोशियलिस्ट हैं, समाजवाद के खिलाफ है प्रोकेपिटलिस्ट है, पूंजीवाद का पोषक है और गरीबों का गला घोटने वाला है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून, काला कानून कभी भी आज से पहले सदन में नहीं आया और न आगे भी आएगा। मैं समझता हूं कि इस काले कानून का श्रेय मन्त्री महोदय आपने लिया है यह आपके लिए ठीक नहीं है। आपको इस प्रकार का काला कानून पास नहीं करना चाहिये। आप तो प्रगतिशील हैं। आप इसको एक बार जनमत के लिये प्रसारित कर दें और तीन महीनों में जनता की राय आपको मिल जावेगी। तीन महीनों के बाद आप और हम इसको सिलेक्ट कमेटी में बैठकर विचार कर लेंगे और फिर इसको पास कराएं। उस समय यह जनहित के लिए अच्छा कानून बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) [प्रस्ताव इस प्रकार है :-

"राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को दो माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

जैसा कि इस बिल के द्वारा विदित है कि गवर्नमेंट लैन्ड और गवर्नमेंट प्रोपर्टीज या ऐसी इमारतें जो गवर्नमेंट की हों और उसमें कोई व्यक्ति अनअॉथोराइज्ड कब्जा कर ले और उसको बेदखल करने के लिये और जो रकम बकाया है उसकी वसूली करने के लिये यह कानून सरकार द्वारा प्रस्तुत हुआ है। इसमें खास तौर से इस प्रकार का प्रावधान रखा गया हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसी सरकारी इमारतों या जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा उसको बेदखल करने के सम्बन्ध में यह कानून लाया गया है और मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्य महानुभावों ने अपने विचार प्रकट किये और अपने भाव प्रकट करते हुए गंदी बस्तियों और गरीब लोगों का जिक्र किया है वह वाकई में विचारणीय प्रश्न है। जो यह कानून लाया गया है उसमें यह स्पष्टतः नहीं बताया गया है कि जैसी की सरकार की मंशा है और जिस प्रकार से हम लोग अपने विचार प्रस्तुत करते आये हैं कि ऐसे लोगों को जमीन दी जावे जिनके पास जमीन नहीं है और जो गरीब हैं और सरकार के जो इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं उसकी अवहेलना जो की जाती है उसके लिये कुछ न कुछ करना जरूरी है और कोई न कोई कानून हमें बनाना होगा। अगर सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई तो जो गरीब लोग हैं उनको कोई जमीन नहीं मिलेगी और लोग अनधिकृत कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो उन लोगों को बेदखल कर दिया जावेगा और कठिनाई आवेगी। इसलिये कोई न कोई व्यवस्था और

Page No. 77

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

समाधान जरूर होना चाहिये। जिससे गरीब लोग कुछ कठिनाइयों से बच सकें।

जहां तक स्लम क्लीयरेन्स और कच्ची बस्तियों का सवाल है, सरकार पूर्णतया जागरूक है और उसके लिये सरकार ने प्रयत्न किया है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार गंदी बस्तियों के बारे में कोई व्यवस्था करने के लिए नहीं सोचती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। सरकार ने गंदी बस्तियों के लोगों को हटाने के और स्लम क्लीयरेन्स के लिए सरकार ने प्रावधान किया है....

एक माननीय सदस्य : एक तरफ माननीय सदस्य कहते हैं कि यह प्रश्न विचारणीय है, सरकार ने ऐसा किया है, दूसरी तरफ कहते हैं यह दोनों आपस में विरोधाभास प्रकट करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने यह बात तो नहीं कही कि सभी गंदी बस्तियों के लोगों को पूरी तरह से बसाया है। मैंने यही कहा है कि ज्यादातर अभी नहीं बस पाये हैं लेकिन यह नहीं कि सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार को इसके लिए पूरा ध्यान है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से कार्यवाही कर रही है। इसमें सरकार पूरी तरह से ताल मेल बिठाकर किस तरह से व्यवस्था करना चाहती है वह तो जैसा कि हमारा नारा है और समाजवाद में हम विश्वास रखते हैं और यह चाहते हैं कि गरीबों का हित हो, उस प्रकार का प्रावधान हो। हम जिस लाइन पर चलते हैं यह उस पर ज्यादा मौजू रहेगा। स्लम क्लीयरेन्स की जो हमारी प्लानिंग है उसको पूरा करने के लिए हमने कदम उठाये हैं वह हमारी पोलिसी है उस पर निर्धारित करती है। हमने जो पोलिसी एडोप्ट की है और जिस पर हम चलते हैं उसको पूरी करने की आवश्यकता है और उन लोगों की समस्या किस प्रकार से हल हो सकती है उस पर जागरूक होकर काम करने की आवश्यकता है।

जहां तक प्रश्न है उन लोगों का जो काफी अर्से से ऐसी गन्दी बस्तियों में बसे हुए हैं, कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं, जिनको वहां बसे हुए कई साल हो गये हैं, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है।

बहुत से कानूनों में जहां एड्वर्स पजेशन का सवाल आता है, किसी प्राइवेट आदमी की जमीन है जायदाद है, उस पर लोग कब्जा कर लेते हैं तो वहां एड्वर्स पजेशन का सवाल आता है पर सरकार की जमीन पर एड्वर्स पजेशन का सवाल उन बस्तियों में नहीं, इन बस्तियों में सरकार सफाई का प्रबन्ध नहीं करती, उन लोगों को प्लाट्स देने की व्यवस्था नहीं करती, जो लोग आक्शन से प्लाट्स खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था नहीं करती तो यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसमें एस्टेट ऑफीसर बना कर प्रावधान करने का लिखा है पर यह लिखा है कि उसके पास अपील के बाद आगे कोई कहीं अपील नहीं कर सकता। यह मैं समझता हूं उचित नहीं है। सब जगह फर्स्ट अपील के बाद में सेकिन्ड अपील का प्रावधान रखा है। पर इसमें फर्स्ट अपील के बाद आगे की अपील पर रोक लगा दी गई है यह ठीक नहीं है। इसमें मैं समझता हूं सेकिन्ड अपील का प्रावधान होना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार समाजवाद में विश्वास नहीं करती और समाजवाद का थोथा नारा लगाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार तो समाजवाद में विश्वास करती है और समाजवाद लाने में कामयाब भी हुई है पर जहां जहां आपकी अपोजिशन की म्युनिसिपैलिटियां हैं, जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है दूसरी जगह हैं वहां आपने इन लोगों को बसाने का क्या प्रबन्ध किया है? वहां आपने कोई प्रबन्ध इन लोगों के बसाने का किया होता तब तो आपका यह बोलना समझ में आ सकता था कि यह सरकार समाजवाद में विश्वास नहीं करती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जयपुर की कच्ची बस्तियां अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के एरिया में हैं, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट कोई स्कीम पास नहीं करती, गवर्नमेंट अलॉटमेंट इन लोगों को नहीं करती। कच्ची बस्ती कोई जौहरी बाजार में थोड़े ही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां इस समस्या को हल करने के लिये किसी प्रकार के सुझाव राजस्थान सरकार के पास भेजे हैं? अगर आपके पास सुझाव हों, उनको कार्यान्वित करने की योजना हो, कोई योजना बनाई हो इन कच्ची बस्तियों के लोगों को बसाने की तब तो आपका कहना कुछ समझ में........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछले साल १७ सितम्बर, १९६३ को एक मेमोरेन्डम सभी लोगों को पेश किया है, सरकार को पेश किया है, उसमें पूरा प्लान दिया है, पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो योजनाएं इस सम्बन्ध में बनाई गई हैं जो यह कानून आया है, सरकार की जमीनों पर, सरकार के मकानों पर, बिल्डिंग्स पर अनोथोराइज्ड ओक्यूपेशन कर लिया है उन लोगों के लिये आया है। इससे हमें यह शंका नहीं करनी चाहिये कि यह कच्ची बस्तियों में जो लोग बसे हुए हैं उनके लिये नहीं है। इन बस्तियों के लोगों को किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, परेशानी नहीं होने दी जायगी, इस प्रकार का आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है।

तो जो लोग गन्दी बस्तियों में बसे हुए हैं, कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं, जिनके पास प्लाट्स नहीं है, उनके लिये यह कानून पास किया जा रहा है, यह समझना ठीक नहीं है। यह उन लोगों के लिये है जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है, सरकारी बिल्डिंग्स पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है जो पैसा देते नहीं हैं और कानूनी कार्यवाही में बहुत लम्बा समय बिता देते हैं। उनके लिये यह प्रावधान रखा है। मेरा सरकार से सुझाव भी यही है कि ऐसी व्यवस्था उन्हीं लोगों के खिलाफ लागू की जायगी जो सरकार की जमीन पर, बिल्डिंग्स पर कब्जा किये हुए हैं।

पंचायतों के लिये कहा गया कि पंचायतों पर यह कानून लागू नहीं किया। जो पंचायतों के अन्दर भी अनोथोराइज्ड ओक्यूपेशन हो जाता है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन जमीनों पर भी यह कानून लागू होना

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहिये। वहां भी लोग अनधिकृत रूप से पंचायतों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं वहां के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था यदि की गई तो बहुत अच्छा रहेगा।

तो इतनी बातें मैंने इसके सम्बन्ध में बताई, इतनी कमियां उसमें हैं, उनको दूर करने के लिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (बैर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को दो माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय यह मेरा प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं वे आशंकाएं तो इस बिल के सम्बन्ध में हैं ही। मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी वे यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं कर सके कि क्यों इस बिल को लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला दो तरफा है। एक तरफ सरकार पर दबाव डाला जाता है कि शहरों को सुव्यवस्थित और सुन्दर ढंग से बनाया जाय और दूसरी तरफ यह सवाल है कि अनधिकृत रूप से जो लोग बस गये हैं उनको किस तरह से हटाया जाय। सरकार की मंशा पर तो शक नहीं पर सरकार की बुद्धि पर शक है, सरकार की बुद्धि पर सरकार द्वारा किये गये हर काम से शक होता है कि वह ठीक प्रकार से अपनी बुद्धि को काम में नहीं लेती, इसलिये सरकार की बुद्धि पर शक हो रहा है।

सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर। मैं ग्राम पंचायतों की बात नहीं करता, शहरों की बात यहां रख रहा हूं, शहरों का विकास हो रहा है, और जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने खड़े होंगे यह विकास चलता रहेगा। यह प्रश्न केवल जयपुर, कोटा और राजस्थान के बड़े बड़े शहरों से ही सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि हिन्दुस्थान के हर बड़े शहर से रखता है। मजदूर गांवों से आते हैं, क्योंकि गांवों में कोई रोजगार नहीं, धंधा नहीं, आनन्द नहीं इसलिये धीरे धीरे गांवों की आबादी शहरों की तरफ बढ़ी चली आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि उद्योग कायम करने पड़ेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिये और दूसरी तरफ गांवों से ग्रामीण, हरिजन, मजदूर शहरों में आकर रहते हैं, मकान बनाते हैं, मिलों और कारखानों में काम करते हैं तो उन लोगों को कम से कम रहने के लिये तो जगह चाहिये ही पर जब इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे लोग जहां भी जगह मिल जाती है वहीं पर बस जाते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो इन कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं।

दूसरे कुछ लोग विभाजन के बाद हिन्दुस्थान में आये और उन लोगों को ठीक तरह से बसाने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की ऐसे लोग हैं और तीसरे वे लोग हैं जो

(श्री रामकिशन)

समाज में प्रतिभाशाली और सशक्त वर्ग के लोग हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।

अगर इस तीसरे प्रकार के सशक्त वर्ग के लिये यह बिल लाया गया है तब तो सरकार को धन्यवाद देता हूं। पर इसके दो हिस्से और हैं। गरीबों को बसाने के लिये कोई योजना सरकार नहीं बनाती इसलिये सरकार से निवेदन है कि इस पर अच्छी तरह से विचार करे।

सतीशचन्द्रजी ने कच्ची झोंपड़ी वालों की बात कही। मुझे एक छोटा सा हल्का सा बयाना नगरपालिका के सम्बन्ध में उदाहरण रखना है। बयाना एक छोटी सी जगह है। सन् १६५६ से बयाना कस्बे में बाढ़ आती है, पानी भर जाता है। जहां हरिजन, जाटव, बलाई रहते हैं वहां पानी भर जाता है। क्योंकि हिन्दू सभ्यता के अनुसार इन लोगों को नीची जगह में बसाया गया था। तो ये लोग नीची जगह में शहर के नीचे के हिस्से में रहते हैं जहां बरसात में पानी भर जाता है।

एक तरफ तो बाढ़ आती है और सरकार १६५६ से १६६४ तक इन्तजाम नहीं कर पाती बाढ़ का, और दूसरी तरफ जब लोग सरकारी मकानों में बस जाते हैं तो नगरपालिकाएं और सरकारी अधिकारी उनको नोटिस देते हैं कि उनको उन मकानों में से निकाला जाय। तो मैं सरकार पर अभियोग लगाना चाहता हूं कि आप १० साल से प्रबन्ध नहीं कर सके और हरिजन और दूसरे लोगों को मार रहे हैं। अगर वे लोग सरकार के खाली मकानों में बस जाते हैं, खाली प्लाटों पर बस जाते हैं तो फिर यह कानूनी विवाद उन पर लगाया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बाढ़ों को रोके, मजदूरों के बसने का प्रबन्ध करे, इन दोनों जिम्मेदारियों को वे पूरा नहीं कर पाते और जब लोग शाम को विश्राम करने के लिए, अपने बच्चों को रखने के लिए जब झोंपड़ी डाल देते हैं तो सरकार कानून लाना चाहती है कि इनका कब्जा अनधिकृत है। तो सबसे पहले मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इस कानून को लाने से पहले ऐसा वर्ग जो शहरों में बस रहा है उनको बसाने के लिए क्या व्यवस्था की है? जो कोई इंडस्ट्री लगाता है उसके लिए कन्वर्जन जल्दी हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। मैं कारखानों और उद्योग का विरोध नहीं करता हूं लेकिन उसी कारखाने में जो जमदूर काम करने आते हैं, मिट्टी डालने आते हैं, सीमेंट ढोने आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका कब्जा गैर कानूनी है इसलिए आपको हटा दिया जायगा। इस संबंध में सरकार को निश्चित नीति अपनानी चाहिए। शहरों में जहां जहां बड़े मकान बने, क्योंकि उन मकान बनाने के लिए मजदूर भी रहेंगे और बसेंगे, जैसे दिल्ली में दस साल पहले शायद १६५६-५७ में केवल दो लाख ऐसे व्यक्ति थे जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते थे अब वहां १२ लाख लोग बस गए हैं, तो वहां मजदूरों के लिए भी मकान होने चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां जहां बड़े लोगों को बसाने के लिए प्रबन्ध करें उनके बीच में वहां पर सरकारी जमीन होनी चाहिए जो मजदूरों के लिए रहनी चाहिए, वहां उनके लिए मकान बनने चाहिए जिसमें पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था हो।

(श्री रामकिशन)

दूसरा मेरा निवेदन है कि मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी करता हूं कि यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके लिए अभी समाजवादी शब्द कहा। उनको यह भ्रम कैसे हो गया कि यह समाजवादी सरकार है, इनका चेहरा है समाजवादी लेकिन मन है पूंजीवादी। जैसे बदसूरत आदमी पाऊडर लगाकर अपनी असली शक्ल को छिपाने की कोशिश करता है वैसे ही हमारी सरकार का मन भयंकर रूप से पापी पूंजीवाद का मन है और उस पर समाजवाद का चेहरा लगाने के लिए इस तरह की बातों को करते रहे हैं, वह समाजवादी सरकार नहीं है। जो समाजवादी सरकारें होती हैं, उनकी आवास के सम्बन्ध में कुछ नीति होती है, वे बड़े बड़े प्लाट्स किसी को नहीं देते। मंत्रिमंडल के कई सदस्य समाजवादी देशों का भ्रमण करके लौटे हैं उन्होंने देखा होगा कि यूरोप में बड़े बड़े मकान नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि गरीब लोगों को भी रहने के लिए जगह मिल सके। यहां की तरह नहीं कि आप १०-१० हजार गज का प्लाट लेकर पूरे जयपुर या पूरे जोधपुर को घेरलें। जब बड़े २ प्लॉट्स प्रभावशाली लोगों के पास चले जायेंगे तो गरीबों के पास क्या रहेगा ? शहरों का विकास जो सरकार करने जा रही है उसमें सरकार की एक निश्चित नीति होनी चाहिए जिससे जमीन की बचत हो सके। आज मंत्रियों और उप-मंत्रियों के घरों के सामने बड़े बड़े और लंबे बाग हैं, मैं उनके स्वास्थ्य के लिये शुभ कामना करता हूं, वे आनन्द से रहें, मौज में रहें, उनसे हमारा विरोध नहीं लेकिन हमारा विरोध तो उन परम्पराओं से है। वही सामन्ती राजभवन १५ मील में ही होगा। तो सरकार जब तक अपने मन को नहीं बदलेगी तब तक उनका इरादा नहीं बदलेगा और अगर इरादा बदलेगा, तो दिमाग भी बदलेगा। दिमाग बदलेगा तो सारे कानून गरीबों के संरक्षण के बनेंगे। आज जो भी कानून आता है, उसमें गरीबों पर चोटें होती हैं। इसलिए आप एक निश्चित नीति बना दीजिए कि बड़े बड़े प्लॉट्स नहीं दिए जायेंगे और मजदूरों के लिए नियम बनाएं कि हर क्षेत्र में जहां पक्के मकान बनेंगे वहां मजदूरों के लिए भी जमीन रिजर्व की जायगी, चाहे नगरपालिकाएं बनाएं चाहे सरकार बनाए। तो फिर आप देखेंगे कि इस कानून को अमल में आने की जरूरत नहीं है और अनधिकृत कब्जे कम हो जायेंगे।

तीसरा प्रश्न विचारणीय यह है कि जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में ऐसे हैं जो ५०-५०, ४०-४० साल से वहां बस गए हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जिन लोगों ने मकानोंका निर्माण करलिया है उन लोगों के संरक्षण के लिए कानून में व्यवस्था होनी चाहिए।

दरअसल समस्या तो सरकार ही पैदा करती है। हमारी जानकारी है कि शहरों में जहां नगर विकास मंडल बने हुए हैं वहां लोगों की दरखास्तें १०-१० साल से पड़ी हैं जिन पर कोई फैसला नहीं होता। यदि उनको जगह नहीं मिलती तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि उनको मंत्रियों के मकानों में घुस जाना चाहिए ताकि उनको मालूम पड़े कि जनता की क्या हालत है। नावें में जब पर्याप्त मकान नहीं बने थे नागरिकों ने मंत्रियों और राष्ट्रपति

Page No. 82

(श्री रामकिशन)

के भवनों पर कब्जा किया तब सरकार की समझ में आया, लेकिन हिन्दुस्तान की जनता कमजोर है, नहीं तो उनको मंत्रियों की कोठियों पर, कलक्टरों और गवर्नमेंट होस्टल के लॉन्स पर आकर बसना चाहिए तब आपको महसूस होगा कि आखिर समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। हमारी गति धीमी है। एक तरफ देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, आर्थिक रूप में नहीं, बल्कि आबादी वाला विकास हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार के सोचने के तरीके वही पुराने हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन तीन सुझावों पर गंभीरता से विचार करे और साथ साथ जब मंत्रीजी बोलें तो घोषणा करें कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको बेदखल करने का इरादा नहीं है और अगर कहीं है तो इस बिल को, मैंने जैसे कहा, जनमत के लिए प्रसारित किया जाय, तब ही इस संबंध में फैसला किया जा सकता है।

श्री बरकतुल्ला खां : जो एश्योरेन्सेज़ इस हाऊस के अन्दर सरकार ने कच्ची बस्तियों के लिए दी थीं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : जो एश्योरेन्सेज़ सरकार ने कच्ची बस्तियों के बारे में दी थीं उसके लिए सरकार कमिटेड है और सरकार उनको ऑनर करेगी। यह बात आपके सामने लाना चाहता हूं क्योंकि इस बिल से गलतफहमी पैदा हो रही है कि शायद हम लोग कच्ची बस्ती वालों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मन्शा यह है कि जो कच्ची बस्तियों में पहले से बसे हैं उनको डिस्लॉज या डिस्प्लेस न किया जाय और अगर किया भी तो उनको आल्टरनेटिव लैंड देंगे, आल्टरनेटिव प्लॉट्स देंगे और उनको बरबाद नहीं करेंगे। सिर्फ अनअथोराइज्ड कन्सट्रकशन को रोकने के लिए, एन्क्रोचमेंट रोकने के लिए, यह बिल सरकार ला रही है। जहां तक बिल के अन्दर एग्जेम्पशन प्राप्त करने का सवाल है यह पूरे राजस्थान के लिए बनाया जा रहा है लेकिन सरकार को अख्तियार है कि जिन कच्ची बस्तियों के लिए सरकार ने एश्योरेंसेज़ दी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाय। हम अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए यह कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से फिर एश्योर करता हूं कि जो भी एश्योरेंसेज समय समय पर आन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस कच्ची बस्तियों के लिए दी गई हैं उनको सरकार ऑनर करेगी और सरकार कमिटेड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस मैं एक प्रोविजो जोड़ दिया जाय कि गवर्नमेंट उन सारे ऑक्युपशन्स को रिकोग्नाइज करती है। ५८, ५९ या ६० जो भी पीरिड हो उसको रख दीजिये। इसमें एक इस प्रकार का प्रोविजो जोड़ दीजिये....that under the law they shall not be taken to be unauthorised. खाली एश्योरेन्स से काम नहीं चलता। पट्टे नहीं मिले। आप साल दो साल के हैं, इलेक्शन में जीत कर आयें या न आयें। आपका एश्योरेन्स ही न रह जाय इसलिए आप इसी कानून में एक प्रोविजो जोड़ दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जब अन्त में अपना वक्तव्य दें तब बता दें तो अच्छा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तब तक प्रोविजो ड्राफ्ट करवा लीजिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष जी, मिनिस्टर जाय या न जाय, जीत कर आये या न आये उससे कोई बात नहीं । सरकार की जो नीति है वह तो रहती । जो भी मिनिस्टर यहां हाउस में कमिट करता है वह गवर्नमेंट की नीति है और जब गवर्नमेंट की नीति है तो मिनिस्टर रहे या न रहे वह नीति कायम रहती है । जो भी मिनिस्टर बाद में आवेगा वह सरकार की उसी नीति पर चलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : इस सरकार में रिवाज दूसरा है । पहले यह था कि हाकिम चला जाता था लेकिन हुक्म कायम रहता था । अब हुक्म चला जाता है और हाकिम रह जाता है ।

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : कलेक्टर ने उनको नोटिस दे दिया है और उन लोगों को उन जमीनों से हटाया जा रहा है ।

श्री बरकतुल्ला खां : कितने कच्चे मकान हैं जिनके लिए नोटिस दिया गया है और कितने पक्के अन-ऑथोराइज्ड मकान हैं ?

श्री गोविन्द सहाय : लोगों को नोटिस दिये गये हैं, हाइकोर्ट में और रेवेन्यू बोर्ड में पन्द्रह-पन्द्रह साल से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे भैरोंसिंह जी को टाइम दे गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीरा बाद) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति में सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यह बिल किस तरह से आया है । सवाल यह है कि पहले इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने सन् १६४६ में एन ऑर्डिनेन्स रिक्वीजिशन एन्ड इविक्शन ऑर्डिनेन्स, १६४६ निकाला । उसको निकालने के बाद इस सरकार को कोई दिक्कत हुई हो ऐसी बात नहीं है । लेकिन दिक्कत कहां पैदा हुई ? कलकत्ता में दिक्कत पैदा हुई । कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह होल्ड कर दिया कि इस तरह की चीजें ऑर्डिनेन्स के खिलाफ हैं । अब सवाल यह उठा कि ऑर्डिनेन्स के खिलाफ हैं और इस तरह के बातें उठ गई हैं, हमने यहां भी बहुत सी चीजें कीं कि जिनमें सरकार ने गलतियां कीं, सरकार ने गलत ढंग से कॉन्स्टिट्युशन को तोड़ कर, लोगों को हटाया मैं यहां की नहीं कहता, अजमेर की कहता हूँ अजमेर में जिस प्रकार से ज्यादतियां कीं, जिस प्रकार एक अकबर बादशाह भेंट बांट रहा हो,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर आया और बंटवारा शुरू हो गया। मन माने ढंग से एडमिनिस्ट्रेटर आया अपनी पोलिटिक्स चलाने के लिये जाते जाते रात के दस बजे ७५ हजार रुपयों का नुक्सान देकर भारत सेवक समाज के ठेके के दस्तखत कर दिये। दस्तखत कर दिये। केस चला। दूकानें तोड़ दीं। कोर्ट में मामला चला गया। फिर तो तरह तरह के लालच दिये और आज भी वह बिस्कुट वाला मदारगेट के सामने है। वह राजी नहीं हुआ, केस लड़ता रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स कॉन्स्टिचुशन के जो फन्डामेंटल राइट्स हैं लोगों के उनके खिलाफ चल नहीं सकेंगे, ठहर नहीं सकेंगे और गवर्नमेंट को जो नुक्सान हुआ है उसको यहां पर लाने की कोशिश की गई है। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि हमने कॉन्स्टिचुशन की यहां पर कसम खायी है उस कॉन्स्टिचुशन की स्पिरिट को कानून के द्वारा मोल्ड करना, उसको अपनी ज्यादतियों के लिये काम में लाना कहां तक वाजिब है इस पर सदन को बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा।

यह बिल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से आया हो, लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि यह बिल लॉ डिपार्टमेंट की ओर से आया है। उसी ने इसको रखा है। मैं नहीं जानता, अभी एक विचार सामने आया था। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार ने जो कुछ कहा है, गरीबों के लिए वह कमिटेड है। लेकिन यह कानून उनके हितों के विपरीत लाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं समझना चाहता हूं, वे सम्माननीय मन्त्री चले गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप एश्योरेन्स सरकार की ओर से देते हैं एश्योरेन्स सही हैं तो फिर इस कानून की क्या जरूरत है? इस कानून को लाने की जरूरत क्या है? जब आप एश्योरेन्स देते हैं आम पब्लिक को कि हम इस प्रकार से नहीं हटायेंगे, जो बसे हुए हैं उनको नहीं हटायेंगे, फिर यह क्यों? अन-अथोराइज्ड ओक्युपेशन की आप बात करते हैं। कइयों के हुए हैं। उनको हटाने के लिए इतना एक्जोस्टिवली डिक्टेटर अय्यूब के पाकिस्तान में इस तरह का कानून नहीं होगा। इस डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में पलटने के लिए यह कानून लाया जारहा है। आप इसकी धाराओं को पढ़े। इस प्रकार की धारायें। उससमय सेन्टर में जब एम.एल.ए. कहलाते थे, उन धाराओं पर बहस हुई, पंजाब के अन्दर मार्शल लॉ लगा हुआ था और अंग्रेजों ने अत्याचार किये थे। उस समय इस प्रकार का एक एक्ट लगा दिया गया। और उसमें यह दिया गया है कि पहले किसी से ज्यादतियां हो गई हों, किसी को सजा दे दी गई हो, मार्शल लॉ के समय किसी पर भी कोई ज्यादतियां की गई हों तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जायगा। उसी के अनोलोगस यहां पर इस एक्ट में धारा रख दी है कि किसी अधिकारी वह कोई ऐसी बात कर दी हो किसी को हटा दिया हो, किसी को उठा कर फैंक दिया हो जमीन से, कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ कर दी हो, तो उसके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। जो एक साधारण आदमी को संविधान के अन्तर्गत अधिकार हैं उससे आप उसको वंचित करने जा रहे हो। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के पास ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें ज्यादतियां की गई हैं अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इस प्रकार के कानून लाने का क्या हक है ? मुझ से पूछा जाय कि सरकार इस प्रकार के आरबिट्रेरी पावर्स लेना चाहती हैं सुशासन के लिए यह तो समझ में आ सकता है, लेकिन अपने आई. ए. एस., आर. ए. एस. अफसरों की ज्यादतियों को दबाने के लिए, अपने अधिकार सरकार, खनको डेलीगेट करना चाहती है जिसमें वे बच सकें, छोटे से छोटे अधिकारी के द्वारा जनता पर की गई ज्यादतियों को पोषण देने के लिए, उन अफसरों को बचाने केलिए, आप इस प्रकार के कानून इस सदन में लाते हैं और आप उनको बचाना चाहते हैं। एक आदमी कोर्ट में चला जाय कि उसने इस प्रकार की उसके खिलाफ ज्यादती की है, कोई इस प्रकार की शिकायत कर दे कि उसने कोई उसके विरुद्ध ज्यादती की है, उसके हक को मार कर, उसके फन्डामेन्टल राइट को कुचल कर आप इस प्रकार की ज्यादती करने वाले को बचाने के लिए इस प्रकार का कानून लाते हैं, मैं समझता हूं कि यह सर्वथा विपरीत है, डेमोक्रेसी के विरुद्ध है।

"Necessary force will be applied" What do you mean by necessary force ? You will break their heads, catch their arms, what will you do with the ladies and children who are staying there ? How much power do you want to give ? what will be the quantum of necessary force ? What will be that force which will ve applied on those helpless and poor people ?

I will say these hard times,...

मैं गवर्नमेन्ट को वार्निंग दूंगा इस प्रकार के स्वीपिंग लेजिस्लेशन लाना इस जनतन्त्र के अन्दर यह कहां तक वाजिब है, इसको सोचना चाहिये।

The days of every Government are numbered.

हम दस साल बीस साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन आज जो कुछ हम कर रहे हैं, वह आगे आने वाले इतिहास में जावेगा। उस वक्त मालूम होगा कि डेमोक्रेसी ने क्या किया। मैं जानना चाहता हूं इस बात को, कि इस के अन्दर जिस प्रकार के पावर्स हैं, आप लें तो समझ में आ सकता है कि आप को चिन्ता हो है पब्लिक की। स्टेट गवर्नमेन्ट को यदि पॉवर्स हैं, तो वहां हमारे लोग बैठे हुए हैं, और पब्लिक राइट्स की परवाह करके इसकी कद्र करते हैं। लेकिन इसके जरिये हैरास्मेन्ट और दूसरी चीजों के अधिकार आप देते हैं, अपने अधिकारियों को, तो किसी प्रकार भी इस प्रकार के अधिकार देने के लिए सदन को तैयार नहीं होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं आप ने कभी गौर फरमाया या मौका मिला कि कलकत्ता में क्या हुआ ? कुछ लोगों की निगाह में है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं वह इस प्रकार की लिस्ट सदन के अन्दर पेश करे कि किन २ अधिकारियों के द्वारा अनअथोराइज्ड ओक्युपेशन माना गया है, कितने कितने केसेज है, क्या क्या स्थिति है उसका पूरा पूरा विवरण सदन के अन्दर पेश होना चाहिये।

मैं कहता हूं it is loot. यह लूट है।

इसमें सारे अफसरों ने सारे जयपुर के कैपिटल को इसके हर हिस्से को हर मोहल्ले को घेर रखा है। मैं चाहता हूं कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकार इनकी एक लिस्ट पेश करे। पर यह भी नदारद है। सरकार लिस्ट नहीं बनाती इन सेक्रेटरियों की। और इसके बाद तो और भी अल्लाह का नाम है। कम पैसे में सब ने जमीनें लीं और बाकी जनता को ऊंचे ऊंचे भावों पर बिकवाई गई।

इस कानून के बनने से पहले ये क्या करते थे जब कि कानून नहीं था मैं पूछूंगा क्या आप सोते रहे? किस तरह से अनग्रॉथोराइज्ड बात कहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को राइट लेना है तो यह ले कि इन लोगों ने किस सीमा तक सरकारी पदों का दुरुपयोग किया है करप्शन के लिये अनग्रॉथोराइज्ड ऑक्युपेशन के लिये। इन्होंने ये कारनामे किस तरह से किये हैं? आप हम सब जानते हैं।

पहले तो बड़े बड़े ठाकुरों की जमीनो के लिये कह दिया कि इन का एक्वीजीशन कर लो। कलेक्टर का नोटिस भी उनको चला गया। उनको बुलाया गया, आये, बातचीत की उनके साथ, कहा, हम इसे छोड़ देंगे प्रोवाइडेड तुम आधा हम अफसरों को दे दो। अफसरों ने इस तरह से जमीनें ली हैं। और खुद ने डेढ़ दो रुपया में, कम पैसे में ली हैं। उसकी लिस्ट सदन में पेश की गई है। और जब कम कीमत पर जमीन उनको देने को वे राजी हो गये तो फिर उनको छोड़ दिया। उनको इसकी फिक्र नहीं कि वे उस प्लाट को दस बीस या तीस में बेचे। कितने ठाकुरों को, बड़े-बड़े लैंड-होल्डर्स को, इन लोगों ने ओब्लाइज किया? कोई एक अफसर एक साल भी रह गया आई. सी. एस. या आई. ए. एस. या आर. ए. एस. तो उसने फायदा उठा लिया। ऐसी बहुत सी चोर बिल्डिंगें यहां इनकी है। आज करप्शन मिटाने की आप बात करते हैं तो जिन्होंने नौकरी ऐसे अफसरों ने की है उन से सब से रिटर्न लिये जावें कि उनकी तनख्वाह क्या है, वे उस में किस तरह से गुजारा करते है और इस शहर के अन्दर जयपुर में किस तरह से उन्होंने जमीनें एक्वायर की हैं? किस तरह से लोगों को दिक्कत में डालकर अपनी और अपने डिपार्टमेन्ट के लोगों को पैलेशियल बिल्डिंगें बना ली हैं! इन सब की लिस्ट आप नहीं बनाते। अगर बनाते तो इस तरह के अफसरों के ऑर्डर नहीं निकलते। पल्लू और कल्लू की आप बात करते हैं। लेक्चर झाड़ते हैं। आपके लेक्चरों को लोग नहीं सुनते। लोग इनके बंगलों को अपनी आंखों से देखते हैं। जानते हैं लोग आपको भी और इनको भी। यहां पर बिल्कुल ऐसी ऐसी जमीनें हैं जिन पर करप्शन के सिवाय जिसको करप्शन और भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कहनी चाहिये, और कुछ नजर नहीं आवेगा। हवाई जहाज में बैठकर जयपुर में अगर नीचे डाली जावे तो करप्शन के कीड़े बिलबिलाते इक सेक्रेटरियों और आई. ए. एसों और आर. ए. एसों की आलीशान कोठियों में नजर आवेंगे। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

(हियर, हियर की आवाज)

यह कानून तो आप इन कीड़ों को समाप्त करने के लिये लाते कि जिस जमीन को एक बार लिखकर लेने की बात कहने के बाद खुद को टुकड़ा मिल जाने से छोड़ दिया और बाकी की जमीन कई गुना कीमत पर बेचने के लिये छोड़ दिया। आज वही अन अर्न्ड मनी है इनके पास जिसको अनएकाउन्टेड आप मानते हैं।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अपने लिए वही जमीन सवा दो रुपया, दो रुपया ढाई आने गज ली तो आज गरीबों को कहते हैं कि तुम से आठ रुपया लेंगे। आठ रुपया गज दो। इन सेक्रेटरियों की एक लिस्ट निकल जावे कि राजस्थान जब से बना है तो उन लोगों ने कहां कितनी-कितनी जमीन किस किस भाव से ली है। यह भी लिस्ट निकले कि सवा रुपया गज की कौनसी जमीन इनको दी गई है तो इनकी शक्ल उसमें कांच की तरह दिख जायगी। तो जो करप्ट मशीनरी आप खतम करना चाहते हैं उसके लिए आप बिल लाइये। उनके पास जो अनएकाउन्टेड मनी है उसका पता लगाइये। यह मनी चीजों की कीमतें बढ़ाने में जिम्मेदार हैं। यह अनएकाउन्टेड मनी क्या है, कैसे निकल सकता है ! इस पर कानून लावें।

कोई आदमी अपनी तिकड़म से पैसा कमा लेता है तो अपना क्या बिगड़ा ? कह सकते हैं आप। पर मैं कहता हूं बिगड़ता यह है कि यह ब्लैक मनी, यह अनएकाउन्टेड मनी सारे समाज को खाती है। उनका कैसा विलासी जीवन है, ऐश का जीवन है, उनके जीवन की निश्चिन्तता है उनको कुछ नहीं है करने के लिये, वे अमर-बेल की तरह इस समाज की छाती पर बढ़ रहे हैं। और ये गरीब उनका बोझा ढोते हैं। वे कुछ काम नहीं करते, निकम्मे पड़े रहते हैं। उनके हिस्से का काम गरीबों के कन्धों पर पड़ता है। आज जो हमारा प्लानिंग है उससे ब्लैक मनी एक्युमुलेट हुई है उसका सारा लाभ ले लोग उठा रहे हैं गरीब का स्टैन्डर्ड नहीं बढ़ा इनका बढ़ा है। और इस वजह से प्राइसेज भी बढ़ी है। प्राइसेज बढ़ी, कन्ट्री में, कोई चिन्ता नहीं अगर सब का डेवलपमेंट होता तो, पर हुआ नहीं ऐसा। कन्ट्री में डेवलपमेंट के लिये विदेशों से हमें काफी सहायता मिली, काम यहां बढ़े, हमारी सम्पत्ति बढ़ी, पर इस की अच्छाई कुछ लोगों में मिल जावे यह खतरनाक मोड़ है। हमें इसे बदलना होगा। मैं कुछ लोगों में उनको मानता हूं जो इस तरह से ब्लैक मनी लेते हैं, जमीनों का कब्जा इस तरह से दे देते हैं और इस तरह से अपने पॉवर को मिसयूज करके कमाया है। वे लोग उस ब्लैक मनी को लेकर बैठ जावें तो हमारे प्लानिंग का नव-निर्माण का जीवन का रस वे शोषण करते हैं। ये अमरबेल की तरह से समाज पर छा गये हैं। उनसे बचने के लिये सरकार को कुछ करना चाहिये।

इस हमारी मशीनरी जो सरकारी है इसकी चर्चा आप होटलों में सुनिये, वहां ईनक-रिंग देखिये। आप वहां से निकल भागते हैं, हम बैठकर देखते हैं कि उनके टाउंट्स किस तरह से काम करते हैं। उनसे बचाइये इस राजस्थान को। जो डेमोक्रेटिक राइट है जनता को उसके खिलाफ जो ये काम करते हैं और जिनके गरीब शिकार बने हैं उन अधि-कारियों से आप इस डेमोक्रेसी को बचाइये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट और उपाध्यक्ष महोदय। कानून आप गरीब के लिये बनाते हैं। अमीर कानून से राज करता है। इस चीज को अगर झुठलाना है डेमोक्रेसी मे, कांग्रेस की इस हुकूमत में जिसमें इसका बीज बोया गया है, पर आज कांग्रेस के लम्बे शासनकाल के बाद भी डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास हिल गया है उनका विश्वास वापिस जमाना है तो मैं

Page No. 88

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपसे अपील करूंगा कि आप सब शहरों में वेस्टेड इन्टेरेस्ट की जो क्लास है, वह जो कानून का फायदा उठाती है और गरीब को रगडती है उसकी उस रगडन से जनता को बचा लीजिये और उसका मुंह उस क्लास की तरफ कर दीजिये। आप इतना ही कर लीजिये कि आप उनसे पूछिये कि तुमने यह बंगला कितने में बनाया, कहां से पैसा लाये, कितना इस बंगले से कमा रहे हो उसका इन्कम टैक्स ही दे दो तो मैं समझूंगा कि हम ठीक डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। पर नहीं, वे आज इधर नहीं मुड़ रहे हैं। मैं डिप्टी मिनिस्टर से कहूंगा सरकूलर आपका है कोई अफसर आर. ए. एस. या आई. ए. एस. महरबानी करके जिनके अपने मकान हैं उनमें चले जावें। जिनका अपना मकान है वे उसे अपने काम में लें। आपका सरकूलर है। सब भाइयों पर लागू होता है पर आज तक इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इसको उठाकर ताक में रख दिया है। आज भी वे सरकारी मकानों का उपयोग करते हैं और अपने मकानों का किराया खाते हैं। यह सारी स्थिति राजस्थान में चल रही है। आपकी आंखों के नीचे चल रही है। अगर आप अपनी बात इनसे नहीं मनवा सकते तो फिर सरकूलर क्यों निकालते हैं? अपनी बेइज्जती इनसे क्यों करवाते हैं? आपकी इज्जत हमारी वजह से है, इस चेयर की वजह से है। आपकी इज्जत जाती है तो हमारी भी जाती है। आपके पीछे हम भी बेइज्जत होते हैं। आपका सरकूलर ताक में रख दें और सरकारी मकानों में बैठे रहें और अपने मकानों का किराया खाते रहें और फिर कहें डेमोक्रेटिक सोशियेलाइजेशन लाना चाहते हैं, अनआँथोराइज्ड आँक्यूपेशन को दूर करना चाहते हैं, आपकी इन बातों पर इन कारनामों की लाइट में विश्वास नहीं होता। इसलिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसमें ऐसी धाराएं जोड़ी जा सकें जिसमें सही डेमोक्रेटिक स्पिरिट आए, इस तरह के कारनामे इन अफसरों के रोके जा सकें, ब्लैक मनी रुके, और देश में से गरीबी दूर करने की जो हमारी लड़ाई है, उसको आगे बढा सकें। ऐसे प्रोवीजन्स इसमें जोड़ने का हमको मौका दीजिये और इसको पोस्टपोन करके इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि बोलना चाहें तो दूसरों के भी एमेंडमेंटट्स हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सब बोलेंगे तो समय बहुत हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। वाद-विवाद के मध्य स्पष्टीकरण में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ भी किये, और सदन को इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी कच्ची झोंपड़ियां उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा।

मैं तो ऐसा मानकर नहीं चलता कि उनका यह आश्वासन कोई कानूनी रूप ले

(श्री भैरोंसिंह)

सकता है और जब तक कानून में इस प्रकार के आश्वासन का समावेश नहीं हो पाता उस समय तक हम उस सरकारी अधिकारी को, जिसको इविक्शन के अधिकार देकर इस सारे मसले के लिए नियुक्त करने वाले हैं, वह अधिकारी उन व्यक्तियों के साथ इस कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं करेगा, ऐसा मानकर नहीं चल सकते।

इस कानून को सदन में पेश करने की आवश्यकता भी इस कारण से महसूस हुई है कि ऐसे मसलों पर उसे इविक्शन के पॉवर हों। ऐसे मसलों पर लोक सभा में वाद-विवाद हुआ। सरकार के कई मन्त्रियों ने दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों वालों को कई प्रकार के आश्वासन दिये थे। उन आश्वासनों के हिसाब से उन लोगों का इविक्शन नहीं हो सकता था। लेकिन कानून में इस प्रकार के प्रावधान न होने के कारण दिल्ली में इस प्रकार की समस्याएं कई बार पैदा हुई हैं। एक तरफ सरकार का आश्वासन और दूसरी तरफ कानून का प्रावधान। इस दोनों के बीच जो कन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई उस कन्ट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार दिल्ली में लाठी चार्ज जैसी घटनाएं भी हुई हैं।

आज वही स्थिति हम यहां निर्माण करना चाहते हैं। जयपुर में कौन-कौन सी कच्ची बस्तियां हैं, या राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में नगरों में कौन-कौन सी कच्ची बस्तियां हैं इसकी आज राज्य सरकार के पास कोई लिस्ट नहीं है। कौन लोग उन बस्तियों में रह रहे हैं, और वे वहां कितने अरसे से रह रहे हैं इसका राजस्थान सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया है। अब इसके अभाव में किन किन लोगों पर हमारे सरकार के ये आश्वासन लागू होंगे इस प्रकार की घोषणा भी हमारी सरकार की ओर से अभीतक नहीं हुई है। तो आज कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए इस इविक्शन ऑफिसर के पास कोई एप्लीकेशन देकर उसको हटाये जाने के लिए उसको मजबूर कर सकता है। कानून के अन्तर्गत सरकारी जमीन पर, नगर विकास मण्डल की जमीन पर, किसी व्यक्ति ने अगर अधिकार कर रखा है, उसे हटाया जावे इस एप्लीकेशन पर कॉग्नीजेन्स लेकर उसे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अब जब यह कार्यवाही होगी और वह व्यक्ति जो कच्ची बस्ती में रहता है उसके सामने मुकद्दमा लड़ने के सिवाय चारा नहीं होगा। मुकद्दमा लड़ने के लिये वह गरीब आदमी वकीलों को महनताना दे या कुछ लोगों की जिनकी मन्त्रियों के पास तक पहुँच है उनको साथ लेकर उनके पास एप्रोच करे और उनके छपे हुए आश्वासन जो अखबारों में हों या विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में हैं इकत्र करे और फिर उनको बताये। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उनको हटाना तो नहीं चाहते पर फिर अपनी इस इच्छा को इम्पलीमेंट करके लिये जिस व्यवस्था को करने जा रहे हैं वह उस व्यवस्था में इम्पलीमेन्ट नहीं होगी इच्छा, वह हटेगा और हैरेसमेंट भी उसको होगा। उसको कैसे उस जमीन पर रहने दिया जावे, उन पर कानून लागू न हों ऐसी व्यवस्था कैसे की जावे यह आवश्यक है।

(श्री भैरोंसिंह)

यह इसलिए भी आवश्यक है कि पिछले महीने एक जुलाई को राजस्थान के जितने भी विकास मडएल हैं उन के अध्यक्षों का जयपुर में मुख्य मन्त्री के सभापतित्व में सम्मेलन हुआ। इसकी बैक ग्राउड यह समझकर चलना चाहिये कि कच्ची बस्तियों की मांग ने जोर पकड़ा। मैं इसके लिये तो स्वायत्त शासन मन्त्री की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उनकी मांग के प्रति सहानुभूति दिखाई और सदन में बार-बार यह आश्वासन दिया कि कच्ची झोंपड़ियों वालों को किसीप्रकारसे इजेक्ट नहीं किया जावेगा, बरबाद नहीं किया जावेगा डिसप्लेस नहीं किया जावेगा जब तक कि आटरनेट प्लॉट उनको नहीं दे दिया जावेगा। यह सही है कुछ घटनाओं को छोड़कर आश्वासन की पूर्ति हुई। लोगों को नहीं हटाया गया। इस प्रोब्लेम को लेकर मुख्य मन्त्रीजी से भी मिले थे? योजना भी प्रस्तुत की थी और विश्वास भी दिलाया गया था कि निकट भविष्य में इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने वाले हैं। यह उन्होंने लिया भी। सब जिलों के विकास मण्डलों का सम्मेलन हुआ। कुछ निर्णय लिये गये कि अमुक प्रकार के अमुक समय से पहले रहने वालों का उस जमीन पर अधिकार माना जावेगा। उसे हटाया जावे तो उसको कीमत उसे पूरी दी जावे। अगर उसे आल्टरनेट प्लाट दिया जावेगा तो उसका एरिया यह होगा। यह बात तो हुई। अखबारों में भी प्रकाशित हुई और पढ़ कर सरकार की तारीफ भी की हैं कि उन गरीब लोगों के लिये कुछ व्यवस्था करने का उसने विचार किया हैं।

पर आज कानून विधान सभा में प्रस्तुत हुआ इससे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मुख्य मंत्री के आश्वासन. यानी सरकार की व्यवस्था है उस केप्रतिकूल यहां यह कानून बनता है तो निश्चित रुप से मानकर चलना चाहिये कि इसके जरिये लोगों का हैरेसमेन्ट होगा। और यह भी इस प्रकार का कि गरीब के पास जहां मकान खरीदने को पैसा नहीं है उसको कानून की शरण लेने के लिये वकीलों की फीस देनी पड़ेगी, मुकद्दमा चलाएगा, कब वह विथड्रा होगा, पता नहीं इसका। पर यह निर्विवाद सत्य है कि उसका हैरेस बुरी तरह से किया जावेगा।

ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि आज कानून किनके लिये बन रहा है? जहां तक मन्त्री महोदय का कहना है इसके लिये वह यह है कि यह कानून उनके लिये बन रहा है जिन्होंने अनआँथोराइज्ड आक्युपेशन किया है। मैं भी साथ हूं उनके जहां तक अनआँथोराइज्ड ऑक्युपेशन का सवाल है। मैं भी चाहता हूं कि उनको जल्दी से जल्दी अविलम्ब उस स्थान से हटाया जावे। मुझे इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। पर मुझे डर हैं इसका दुरुपयोग होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा. कौन गरीब हैं, कौन अमीर है और किसने किस मजबूरी से मकान बनाया है। किस मजबूरी से, नीयत से पक्का मकान का कन्स्ट्रक्शन किया है यह डिस्क्रिमिनेशन कानूनी व्यवस्था में नहीं होगी तो इविक्शन अधिकारी का काम होगा कि वह इस तरह की किसी बात से प्रभावित नहीं होगा। वह तो केवल कानून की धाराओं से प्रभावित होगा। इसमें कच्ची बस्ती, कच्चे मकान, गरीब, मजदूर हरिजन इन सबका रेफरेन्स नहीं, आवेगा और केवल उनको हटाना है, कब्जा कर लिया है, इस दृष्टि को लेकर चलेंगे तो उसे तो कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

वह कानून के बाहर जा नहीं सकता और उनको किसी प्रकारकी राहत इस कानून के अन्तर्गत तो मिल नहीं सकती । आश्वासन वहां नहीं चलेंगे ।

इसलिये जो कुछ आश्वासन मंत्री महोदयों ने दिये हैं उनको इस कानून में इनकॉरपोरेट करने की गरज से इस कानून को आप जनमत जानने के लिये भेजें मुझे आपत्ति नहीं होगी । लोगों को सब तरह के अधिकार देकर लोग इसमें किस प्रकार के एमेन्डमेन्ट सजेस्ट करते हैं किस तरह की वे सुव्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ये सब बातें हमारे सामने आवेंगी । अगर इस सुझाव को भी सरकार मानने को तैयार नहीं होती हैं तो भी आपत्ति नहीं । इस कानून को पैसे विधान सभा में पास किया जावे इसके लिये इसे विचार करने के लिये सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे । वहां जाकर इन आश्वासनों को किस आधार पर इसमें इनकॉपॅरेट किया जा सकता है किस प्रकार की लेंग्वेज रखी जा सकती है किस तरह से एग्जीक्यूट इसे किया जा सकता है इन सब पर विचार किया जावे । इसलिये आवश्यक है कि इसे आप सिलेक्ट कमेटी में भेजें ।

मैं उदाहरण के रूप से कहना चाहता हूं । जयपुर में स्टेशन के पास बस्ती है एक बरोदिया की । कई बरसों से लोग वहां बसे हुए हैं । उस बस्ती के लोगों को कहा जावे कि तुम्हें हटना पड़ेगा । अब इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट उनको हटाने की फिराक में है । कई दिन तक उसने कोशिश की । पर वे हटे नहीं । वे अपने अधिकारों पर डटे रहे । इस बीच में अधिवेशन हुआ विधान सभा का । यहां आश्वासन दिया गया कि उनको नहीं हटाया जावेगा ।

मैं इस सन्दर्भ में एक बात कहना चाहता हूं । प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है लोगों पर । ६२ का इलेक्शन हो रहा था । वोट लेने थे तो ये कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं । मैं तो यह कहता हूं कि इनको जान बूझकर कच्ची बस्तियों में रखा जाता है जब कि आप तो बड़े बड़े आलीशान मकानों और कोठियों में रहते हैं । पूरी फेसिलिटीज और शहरी एमिनिटीज़ मिली हुई हैं । उनको कोई शिकायत नहीं रहती कि हमारे यहां बिजली का प्रबन्ध कर दीजिये, या कि पानी का प्रबन्ध कर दीजिये तो वोट दे देंगे । सार्वजनिक नल, गटर, और पूरी सड़कें, अस्पताल, स्कूलें सब हमारे यहां तो हैं । तो इन की हमारे यहां कोई मांग नहीं होती इसलिये हमारे वोटों के लिये ये प्रलोभन ये हमें नहीं दे सकते । पर कच्ची बस्तियों में रहने वाले इन सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों की यह मांग निरन्तर रहती है कि हमारे यहां बिजली नहीं है बिजली लगा दो, खम्भा लगा दो नल लगा दो पानी का, प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वह बना दो, छोटी डिस्पेन्सरी खोल दो, यह सड़क ठीक कर दो । उनकी मांग इस तरह की रहती है । उनकी मांग अगर पूरी कर दो तो उनके वोट की आशा रहती है मिलने की । तो इस भरोसे एक इलेक्शन में बिजली की व्यवस्था कर दी । दूसरे इलेक्शन में पानी की कर दी, तो तीसरे में स्कूल की कर दी । चौथे में सड़क की व्यवस्था कर देंगे । तो इस तरह से उनको निरन्तर अभाव में रखकर उनके वोटों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । उनका इस तरह से राजनैतिक शोषण किये जाने का यह एक भीषण षड्यन्त्र

Page No. 92

(श्री भैरोंसिंह)

है। उनके वोट लेने के लिये कुछ ऐसी बस्तियां रखी जावें और उनके सामने मांग रहे और उसकी पूर्ति सरकार बारी बारी से करती रहे। इस मांग पूर्ति के नाम पर उनका राजनैतिक शोषण किया जाता रहे यह उनका षड्यन्त्र है वरना मैं नहीं समझता कि सन् ४८ से हुकूमत करने वाले....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इसी वजह से जीते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस आश्वासन पर जीता हूँ कि कच्ची बस्तियों में से एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार ने आपके पहले आश्वासन दिया है और वह आश्वासन सरकार ने कोई पोलीटिकल मोटिव से नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस बराबर १५ साल से ऐसे आश्वासन देती आई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह आश्वासन दिया है कि राजस्थास में कच्ची बस्तियों में जो मकान हैं उनमें से एक को टूटने नहीं दूंगा और एक को भी टूटने नहीं दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं भी आपको कहता हूँ कि इस तरह की व्यक्तिगत बात कह कर उनको बरबाद नहीं करायें। यह भी गवर्नमेंट है और यह उसकी अच्छाई है उसकी अच्छाई का दावा मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह की नारे बाजी से काम नहीं चलता है और अपनी पर्सनल हीरोशिप इस तरह से नहीं बनाई जाती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार कोई अन्याय करना चाहे तो उसके लिए वह हमको डरा नहीं सकती। सरकार की अच्छाई का चित्रण तो आपने अभी ५ मिनट पहले ही अपने भाषण में कर दिया।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कच्ची बस्ती के बारे में बड़ोदिया का जिक्र कर रहा था। जब इलेक्शन का मौका आया, उपाध्यक्ष महोदय, तो वहां के लोगों को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से फर्जी पट्टे दे दिये गये और वहां के लोगों को कहा गया कि तुमको इतनी जमीन अलॉट की जाती है। यह फर्जी पट्टा मैं सदन के अन्दर पेश करता हूँ। सदन देखे कि वहां पर जो लोगों को पट्टे दिये गये वह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने एक एक आदमी के नाम से अलॉट करके फिर पट्टे दिये और उनको वह जमीन ३ रुपये ८ आने के हिसाब से दी गयी। लेकिन आज के दो महीने पहले उसी बड़ोदिया के लोगों को फिर नोटिस मिला कि हमने जो स्कीम बनाई है उसमें एक एक पट्टे वाले को ८ रुपये प्रति गज के हिसाब से देना पड़ेगा। लोगों ने अपने पट्टे बताये और कहा कि ये देखिये जब श्री देवीशंकरजी तिवाड़ी यहां के चेयरमैन थे तो उन्होंने ३ रु० ८ आने के हिसाब से लोगों को जमीन अलॉट की है। तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि यह देवीशंकर जी तिवाड़ी का जमाना नहीं है वह जमाना गया और अब तो रामकिशोरजी व्यास आये हैं जिनको आपने वोट नहीं दिये। क्या यह धोखा देने वाली बात नहीं है। ३॥ रुपये में पट्टे इश्यू करने वाला अर्बन इम्प्रूवमेंट

(श्री भैरोंसिंह

ट्रस्ट दो वर्ष के बाद उसी स्कीम के लिए ८ और ६ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पट्टे इश्यू करता हैं, स्कीम को चेन्ज कर देते हैं, और चेन्ज करने की कार्यवाही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा धोखा है, फोर्जरी है और फ्रॉड है। उस फ्रॉड के लिए किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यही प्रोब्लेम हैं कि जितने भी आज जयपुर में मजदूर हैं जिन लोगों को गांवों में मजदूरी नहीं मिलती है, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं, जो लोग मशक्कत करके सुबह शाम परिश्रम करके दो तीन रुपया रोज़ का मुश्किल से कमाते हैं वह पक्के मकान बानाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग १०-१५ रुपये में झोंपड़ी बनाते हैं और फिर उसमें रहते हैं और आज सरकार की इच्छा हैं कि ऐसे लोगों को उनकी जगह से हटा दिया जाये। मैं यह बात निवेदन करना चाहूँगा कि आज जयपुर में जो लोग बीस-बीस साल से रहते आये हैं उनको जमीन नहीं मिले और जैसा श्री ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि राजस्थान के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं चाहे वह यहां दो वर्ष से आये हों, चाहे ३ वर्ष से आये हों या ४ वर्ष से आये हों उनको जमीन के पट्टे मिल गए और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से उनको प्लॉट्स मिल गए। एक रुपये दो आने से लेकर २।। रुपये गज के हिसाब से उनको प्लॉटस मिल गए, उन लोगों को लोन मिल गया और मकान खड़े कर लिए। जो जयपुर के रहने वाले थे उनके मकान जो भी हैं उनको भी तोड़ने की कार्यवाही सरकार कर रही है। मैं कहता हूँ कि यह दोनों चीजें आपकी नहीं चल सकतीं। अगर आप जयपुर के लोगों को प्लाट्स देना चाहते हैं तो राजस्थान के ऐसे अधिकारी या ऐसे अमीर लोग जो राजस्थान के अन्दर कायम हैं जिनका यहां जन्म नहीं हुआ, जिनकी शिक्षा यहां नहीं हुई और राजस्थान में जिनका सर्विस का रेकार्ड देख लें तो कोई लम्बा नहीं है उन लोगों ने जयपुर में किस प्रकार से प्लॉट्स लिए-ऐसी सूची मेरे पास है। उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं वह गैर कानूनी हैं। मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जब तक उसका आबादी लैंड में कन्वर्जन नहीं होता तब तक मकान बनाना गैरकानूनी हैं। मैं माननीय उप-मन्त्रीजी से पूछूंगा कि ऐसा गैर कानूनी काम करने वाले को आपने कर्जा क्यों? सरकार के नियम साफ हैं कि आबादी की लैंड का किसी आदमी के पास पट्टा होगा, पट्टे की जमीन का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा उसी आधार पर मकान बनाने के गिए कर्जा दिया जा सकता हैं। फिर राजस्थान में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एगीकल्चरल लैंड पर जो मकान बनता हैं उसका नक्शा पास करती है और लोन संक्शन करने वाली ऑथोरिटी उसको कर्जा देती है, मकान बनता है और वह माकन टूटता जैसा सतीशचन्द्रजी ने कहा कि यह कानून नहीं हैं उनपर लागू होने वाला है जो कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले हैं। जैसे लालकोठी के लोगों पर नजर लगी हुई है कि कैसे वहां पर ४ मेहतर रहते हैं उनको हटाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लें, यहां ५ रिक्शे वाले रहते हैं उनको कैस हटाया जाये और उस पर कब्जा किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून का असर उन लोगों पर होगा। जयपुर में पोस्ट ऑफिस के सामने बस्ती है। आज

(श्री भैरोंसिंह)

हम लोगों को सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं लेकिन यहां कोई सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। और इसलिए नहीं की गई कि यहां के लोग अपने आप तंग होकर हट जावें। हथरोई के लोग सड़कों पर टट्टी जाते हैं। इसके लिए नगरपालिका को दरखास्त दी तो वह कहते हैं कि यह एरिया हमारे अन्दर नहीं आता, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को कहते हैं तो वह कहता है कि यह एरिया हमारे अन्दर नहीं है। तो लोगों ने कहा कि एरिया यदि आपके अन्दर नहीं आता है तो हमारे अन्दर टट्टी तो आपकी है। इसके लिए तो कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर वहां के लोगों ने लोटे हाथ में ले लिये और जाकर सरकारी अधिकारियों के बंगलों के पास पहुंच गये। तब मजबूरी में वहां पर टीनें खड़ी करके व्यवस्था की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई कच्ची बस्तियों की समस्या जयपुर में ही हो ऐसी बात नहीं है। जोधपुर में कच्ची बस्तियां हैं, बीकानेर में हैं, अजमेर में हैं और कोटा में हैं। जहां जहां भी ऐसे लोगों को काम की गुंजाइश मिलती है वहां वहां काम करने के लिए आते हैं और कच्चे मकान बनाकर लोग रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून के जरिये जिन लोगों का नुकसान हो सकता है उनका नुकसान न हो और जिन लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिये हैं जो कि गैर कानूनी हैं वह टूट सकें इन दोनों चीजों का समावेश रखते हुए इस कानून को लागू करने की चेष्टा की जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का भी प्रावधान इसमें रखें कि जिन लोगों ने प्लॉट्स सस्ती कीमत में लेकर बेचे हैं उनसे हम वापिस कैसे ले सकते हैं, जिन लोगों ने अनधिकृत लाभ उठाया है उनसे कैसे प्लॉट वापिस ले सकते हैं। कानून बिलकुल इनकम्पलीट है। जहां तक इस कानून में फोर्स एप्लाई करने का सवाल आता है, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या किसी का सर फोड़ोगे....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

....क्या हाथ तोड़ोगे। मैं बता दूं कि यह सरकार सर तोड़ती नहीं, हाथ नहीं तोड़ती यह सरकार तो आग लगाती है। कच्ची बस्ती में आग लगाती है, क्योंकि वहां से लोगों को हटाना चाहती है। सरकार जानती है कि कच्ची बस्ती खाली करवानी हैं तो आग लगा दो, पानी के नल काट दो, बिजली काट दो और लोग अपने आप चले जायेंगे।

जयपुर के अन्दर सिन्धी कैंप के अन्दर उनको हटाया था और आज के एक साल पहले इसी सदन में एश्योरेन्स दिया था कि जल्दी से जल्दी उनको प्लॉट दिये जायेंगे लेकिन आज तक नहीं दिये। इसका नतीजा यह निकलता है कि सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। सरकार ने तो बस एक नियम बना लिया है कि भूतपूर्व जो हारे हुए मन्त्री हों, चुनाव में हारे हुए व्यक्ति हों उनके अलावा शहर का कोई और व्यक्ति विकास नहीं कर सकता या यों कहना चाहिए कि

(श्री भैरोंसिंह)

अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तो उनका रिहेबीलीटेशन डिपार्टमेंट है। इसमें हारे हुए मंत्री, उप-मंत्री सबको एकोमोडेट करने वाला डिपार्टमेंट है। आप उनके रिहेबीलीटेशन की तो चिन्ता करते हैं लेकिन जिनको वास्तव में रिहेबीलीटेट होना चाहिए उनके बारे में कोई चिन्ता आपको नहीं है। इससे काम नहीं चलने वाला है। वास्तव में यदि सरकार रिहेबीलीटेट करना चाहती है तो सबसे पहले राजस्थान की विकास योजनाओं के द्वारा भारत सरकार से जो मदद मिल सकती है और राजस्थान की सरकार के पास पैसे की कमी आती है तो राजस्थान की सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर जो बस्तियां इस प्रकार की पड़ी हुई हैं उन बस्तियों के अन्दर ऐसी व्यवस्था की जाय कि लोग कम खर्चे के अन्दर वहां अपने निवास कायम कर सकें, आराम से रह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल बरसात हो रही है उन कच्ची बस्तियों में अगर छप्पर चूता है, झोंपड़े नहीं डाल सकते हैं, पानी के नाले को रोकने के लिए डोली नहीं लगा सकते हैं। डोली लगाते हैं और छप्पर डालते हैं चूते हुए मकान को रोकने के लिए तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कहेगा कि अनधिकृत रूप से कन्स्ट्रक्शन का काम कर लिया। क्यों नहीं इसको डिमोलिश किया जाय? यह चीजें रात-दिन चल रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे मसलों को एक बार खत्म करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एमेंडिंग बिल आप ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसी बिल में जो कुछ भी इन चीजों का समावेश हो सकता है उनका समावेश करके एक अच्छा बिल इस सदन में पेश किया जाय कि जिस बिल के जरिये अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों, अनधिकृत रूप से लैण्ड लेने वालों, जायदाद लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हृ सके और जो कच्ची बस्तियां हैं उन लोगों को राहत मिल सके।

इसी दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का जो सिलेक्ट कमेटी के लिए मूव किया गया है उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और १-२ दिन जितना भी समय मिले उसमें बैठकर विचार कर लिया जाय और इस बिल को पारित करवा दिया जाय इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :-

"राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के विषय में चल रही चर्चा के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा इस....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं बीच में करता हूँ कि माननीय उपगृह मंत्रीजी एक स्टेटमेंट देने वाले थे एक एड्जोनमेंट मोशन पर वह कब देंगे सदन का समय खत्म होने से पहले ?

श्री उपाध्यक्ष : आज देने वाले थे ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : देने वाले थे ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने यह फर्माया था कि यदि सूचना प्राप्त हो जाय तो आज दिया जा सकता है। तो यह प्रश्न मेरे डिस्क्रीशन पर छोड़ा था और कुछ लिबरल व्यूज से यह प्रश्न रखा गया था। इसलिए मैं इसको उचित रूप से पूरी सूचना आने पर कल देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कल निश्चित देंगे क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निश्चित दूंगा कहीं मीन-मेख नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इन्फर्मेशन तो जो आनी थी वह आ गई। क्यों कल के ऊपर टाल रहे हैं ? मामला बहुत सीरियस है। एक आदमी की मौत का सवाल है। भूख हड़ताल से आदमी मरा है। कम से कम उस विषय में सहानुभूति के नाते इस सदन को कान्फीडेन्स में लेते हुए आप आज ही बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, सहानुभूति का प्रश्न सभी के लिए है !

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से यदि कल देना चाहते हैं तो कल ही दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसकी मेडीकल रिपोर्ट काज़ आफ डेथ के सम्बन्ध में अभी आना बाकी है, और वह ज्यों ही आये, आज शाम तक आ जायेगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि शाम तक आ जाना चाहिए, इसलिए कल देने की स्थिति में हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That is all right.

श्री मथुरेश बिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के विषय में चल रही चर्चा और माननीय सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा अनऑथोराइज्ड कब्जे से हटाने के लिए जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके विषय में अनेक कच्ची बस्तियों में अनधिकृत कब्जे का स्पष्टीकरण नहीं होने का व इस बिल में अनेक प्रावधानों के विषय में आशंकाएं प्रकट की गई हैं। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा अनेक बिल इस सदन में प्रस्तुत होते हैं और उन पर यहां बहस होकर जब शंकाएं औरखामियां बताई जाती हैं तो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है। जस प्रकार म्युनिसपल एमेंडिंग बिल और अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल की भी यही शक्ल आई और उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। इसलिए इस बिल को भी जिसके अन्दर अनऑथोराइज्ड कब्जे से हटाने के लिए एक आम जनता के साथ खिलवाड़ होनी की आशंका है उसके ऊपर आशंका प्रकट की गई है और मेरी ऐसी मान्यता है कि इस बिल के अन्दर अनेक कानूनी खामियां हैं जिनके कारण इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना कावश्यक है, और इसी अभिप्राय से मैंने यह अपना मोशन दिया है और साथ ही इसके अन्दर जो खामियां मैं देख सकता हूं उसके लिए मैंने एसेंडमेंट भी दिया है।

Page No. 97

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

मैं उन कच्ची बस्तियों के ऊपर जिनके बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने तवज्जह दिलाई उनके अतिरिक्त कहना पसन्द करूंगा कि इस बिल के अन्दर जो पेश किया गया है इस तेजी के साथ और जो बिल पेश किये जाते हैं वही आभास इसमें मिलता है।

मैं सबसे प्रथम बतलाऊंगा कि इसका पहला क्लॉज जो डेफिनिशन का है उसमें पब्लिक प्रेमिसेज का डेफिनिशन है वही इतना डिफेक्टिव है कि जिसके कारण इसके अन्दर दुबारा गौर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "public premises" means any premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Sfate Government and includes any premises belonging to a Municipal Board or Improvement Trust.

माननीय उप-मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब आप एक अनऑथोराइज्ड कब्जे के एविक्शन के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि उनके क्लॉजेज पर कई एमेन्डमेंट हैं इसलिए विवाद को थोड़ा संक्षिप्त रखें और जो कुछ भी इस विषय पर कहना है वह एमेंडमेंट पर कहेंगे, अथवा एमेंडमेंट नहीं रखने की इच्छा हो तो वह बात अलग है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी माइण्ड मेक अप कर लें और सिलेक्ट कमेटी को भेज दें तो झगड़ा ही खत्म हो। इस सेशन में पास करा लेने की गारन्टी मैं लेता हूं।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : हां, माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा कि आपका आदेश है अपने अमेंडमेंट्स पर मैं विस्तृत रूप से बोलूंगा और इस वक्त तो सिलेक्ट कमेटी के मोशन पर कुछ मोटी बातें, जो खामियां दिखती हैं उसकी तरफ तवज्जह दिलाऊंगा।

पब्लिक प्रेमिसेज का जो डेफिनिशन दिया है और अनऑथोराइज्ड आक्युपेशन का जो डफिनिशन दिया है वही मेरे विचार से इन्कम्प्लीट है और उसमें एन्वीसेज नहीं किया गया है उन जमीनों के लिए जिनके अनऑथोराइज्ड कब्जा है और हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा कि आपने एन्वीसेज कर लिया म्युनिसिपल बोर्ड का और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का लेकिन पी० डब्लू० डी० की जमीन है सड़क से ५० फीट दोनों तरफ रहती है, फॉरेस्ट लैण्ड है, ग्राम पंचायत की लैण्ड है उनके ऊपर जिन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है उनके लिए इसमें हटाने के लिए या उसको पब्लिक प्रेमीसेज की डेफिनिशन में इन्क्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं रख रहे हैं। वह अत्यन्तावश्यक है मेरे विचार से। जो आपके समक्ष जयपुर, जोधपुर के अरबन एरिया की कच्ची बस्तियों के मुताल्लिक अनाधिकार कब्जे के लिए आशंकाएं प्रकट की गई हैं लेकिन आप दूसरे अरबन एरियाज को देखें वहां पर केवल म्युनिसिपल बोर्ड की लैण्ड के ऊपर ही नहीं बल्कि पी० डब्लू० डी०, फॉरेस्ट लैण्ड और पंचायत लैण्ड पर अनाधिकार कब्जा है और उनको हटाने के लिए अगर डेफिनिशन में

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

इन्क्लूड नहीं किया जाता है तो वह इसमें नहीं होगा। यानि जब आपने जनेरेलाइज़ किया है और म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इन्क्लूड किया तो वह भी इन्क्लूड होने चाहिए वर्ना इनको आप जनरल पब्लिक प्रेमिसेज की डेफिनिशन में लेकर चलते हैं तो any land belonging to any institution or Government, लेकिन आप जब दोनों के लिए स्पेसिफिकली लाते हैं तो बाकी जो और हैं उनके लिए भी लाना चाहिए।

उस तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाऊंगा। कि अनऑथोराइज्ड आक्युपेशन के अन्दर continuation without permission of any authority, अब यह ऑथोरिटी क्या है ? ऑथोरिटी के ऊपर कोई डेफिनेशन नही है, ऑथोरिटी से क्या अभिप्राय है ? आपका एस्टेट ऑफिस किस ऑथोरिटी को लीगल और किसको इल्लीगल मानेगा ? मैं अर्ज करूं कि आपके समक्ष जयपुर या दूसरे अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स का सवाल आता है या म्युनिसिपल बोर्ड्स या पंचायत ने जमीन पर इजाजत दे दी लेकिन दूसरे विभाग वाले जैसे रेवेन्यू विभाग वाले या पब्लिक वर्क्स विभाग वाले उसको अनऑथोराइज्ड कब्जा मानते हैं और यह कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड ने या पंचायस ने जो अधिकार दिये हैं वे गलत हैं तो इस ऑथोरिटी का क्या मतलब है ? आपके विभाग के द्वारा ऑथोरिटी दी गई और उसके अनुसार लोग उस पर काबिज हैं लेकिन दूसरे विभाग वाले कहते हैं कि जमीन हमारे ते निहित है, दूसरे विभाग ने दे दी है तो वे ऑथोरिटी नहीं हैं। तो जब तक स्पष्टीकरण ऑथोरिटी का नहीं होगा, ऑथोरिटी डिफाइन नहीं होती है तो यह गलत हो जाता है। आपका अभिप्राय बिल लाने का गलत हो जाता है इसलिये आवश्यक है कि इस डेफिनेशन को क्लियर करने को सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं तज्जवह दिलाऊंगा क्लॉज ६ की तरफ....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज बाइ क्लॉज तो उस समय लेते....

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं जनरल बता रहा हूँ। इसमें आपने कमी रखी है अपील की, फोर्स आप यूज़ करते हैं। आपने एस्टेट ऑफिसर की डेफिनेशन रखी है वह भी गलत है। मेरे ख्याल से उसका नाम एविक्शन ऑफिसर होना चाहिये। बिल की स्प्रिट के अनुसार गलत शब्दों को दूर करना है तो यह डेफिनेशन गलत रखी। आपका एपॉइन्ट करने का वही तरीका है जिस तरह से सेल्स टैक्स ऑफीसर आपने कर दिये और उनके लिए इतनी बड़ी आमदनी का तरीका रख दिया कि हजारों रुपये वे गांवों से वसूल करते हैं। मुझे आशंका दिखती है कि आपका एस्टेट ऑफीसर किसी को लीगेलाइज कर देगा और किसी को लीगेलाइज नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन इतनी वेग और इनकम्पलीट है कि उसका पूरी तरह से भरण-पोषण होने के बाद करेगा। आपकी जो बड़ी समस्या है अनऑथोराइज्ड एविक्शन करने की वह अभिप्राय इससे पूरा नहीं होगा।

इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने फोर्स इस्तेमाल करने का प्रावधान किया, प्रोपर्टी को सेल करने का भी रखा लेकिन यह नहीं रखा कि जब बाइ फोर्स

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

एविक्ट कराते हैं उस समय उसकी जो चीजें वहां हैं उनकी लिस्ट बनायेंगे या नहीं, जो प्रोपर्टी वहां पर पड़ी है उसका वेल्युएशन होगा या नहीं ? यदि नहीं होता है तो इसमें नुक्स है। अगर लीगल तरीका मानते हैं तो आपने कोई प्रावधान नहीं रखा कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ ऑफ कैसे करेंगे ?

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी का १० हजार रुपयों का सामान है उसको डिस्पोज़ ऑफ करने को आप कानून की सेक्शन १० में चले जाते हैं और एस्टेट ऑफीसर को पॉवर दे दी डिसपोज़ ऑफ करने की लेकिन उसका वेल्युएशन और लिस्ट बनाने का प्रावधान नहीं रखा इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका जैसा ड्रॉफ्ट हुआ है वह इन्कम्पलीट है और ऐसी कमियें इसमें रखी हैं कि जिनके कारण जिनको राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिलेगी और जो एविक्शन कराना चाहते हैं और उसके लिये जो मशीनरी है उनके लिये कानून की तहत पॉवर्स लेना चाहते हैं वह शंका पैदा करती है कि जिस तरह से आज बड़े आदमियों के साथ पक्षपात होता है और छोटे आदमियों को हैरेस किया जाता है वही हाल आपके ऑफिसर्स करेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मन्त्री) : डिस्पोज़ ऑफ ऑक्शन के जरिये करेंगे। बिडर को चॉइस है, हाइएस्ट बिड वेल्युएशन में आयेगी उसी कीमत में ऑक्शन की जायगी। जितनी हाइऐस्ट ऑफर आयेगी उसी कीमत पर एस्टेट ऑफिसर डिस्पोज़ ऑफ करेगा। ओपन मार्केट में बिड होगी।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : यह सही है कि ऑक्शन होगा लेकिन ऑक्शन वाले दिन और आपने बाई फोर्स जिस दिन एविक्शन कराया उसके दर्मियान उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी या क्या क्या चीजें आपने कब्जे में ली जिनको कि आप डिसपोज़ ऑफ करना चाहते हैं उस बीच में उसकी वेल्युएशन और लिस्ट बनाने का प्रावधान नहीं हुआ तो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि क्या क्या प्रॉपर्टी थी। कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से आपने उसको डिबार कर दिया, बोनाफाइडी को भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर डिक्लेयर नहीं कर सकता। ऐसी हालत में यदि उसकी १० हजार की प्रॉपर्टी है और उसको सेल करने के लिए आप उसको अपने कब्जे में लेते हैं तो लिस्ट के बगैर और वेल्युएशन कराये बगैर आप किस कीमत पर उसे डिसपोज़ ऑफ करेंगे ? आपके यहां जो ऑक्शन होते हैं उनको हम रात दिन देखते हैं। इन्डस्ट्रीज विभाग वाले और दूसरे विभाग वाले जो चीजें ऑक्शन करते हैं उनकी अगर असली कीमत १०,०००) होती है तो ऑक्शन में ५०००) में हाइयेस्ट बिडर को दी जाती है, तीन रोज तक बोली बोलकर भी इतने कम दामों पर दे दी जाती है। कमी इसमें यह है कि लिस्ट तैयार नहीं होती। यदि लोकेलिटी के दो आदमियों के दस्तखत होकर लिस्ट बने तो सही माना जा सकता है। इसके अभाव में आशंका यह है कि आपकी मशीनरी दूषित होने के कारण जनता की प्रॉपर्टी और जान-माल के साथ खिलवाड़ होगी। वह फ्रॉड करते हैं और जानबूझ कर कमी रखते हैं। आपके ड्राफ्ट्समैन के दिमाग में नहीं आता कि पब्लिक के दिमाग में आशंका नहीं हो उस तरह का प्रावधान रखें। इस समय मुझे

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

यही अर्ज करना है। अमेन्डमेंट पर मैं विस्तृत रूप से बाद में प्रकाश डालूंगा। इस बिल में अनेक कमियां हैं और उसका जनता के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभाव हो सकता है, उनके साथ बहुत बड़ा हैरेसमेन्ट होने की आशंका है इसलिए इन प्रावधानों को दुरुस्त करने के लिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इसे अच्छा रूप दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :-

"राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिक अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

मान्यवर, इस बिल के हरेक पहलू पर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से रोशनी डाली। सरकार ने अपने सामने लक्ष्य तय कर दिया कि समाजवादी व्यवस्था कायम करेंगे। जब भी कोई नया कानून आवे या पुराने कानून में अमेन्डमेन्ट आवे तो सरकार का फर्ज है देखने का कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, क्या जो सोशियल परपज और इकोनोमिक ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेन्टल्स तय किये हैं, पॉलिसीज के जरिये, विकास के जरिये जिस समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं उसके खिलाफ तो नहीं पड़ता है? यदि कानून में अमेन्डमेन्ट लाने से लक्ष्य में फर्क पड़ता है तो सरकार का कर्ज है उसको विथड्रा कर ले। इस हाउस में आज से पहले दो बिल पास किये-एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल और दूसरा म्युनिसिपेलिटीज (अमेन्डमेन्ट) बिल। वे इसलिए पास किये जायेंगे कि खाली जमीनें थीं राजा महाराजा और एक्स रूलर्स और जागीरदारों की। उन्होंने उनके जरिये फायदा उठाया और उन जमीनों की कीमतें बढ़ गई है इसलिये सरकार चाहती है कि उनके फायदे में से हमें भी हिस्सा मिले। प्लानिंग कमीशन का फैसला था, टैक्सेशन कमेटी का फैसला था इसलिये वे बिल लाये लेकिन कहीं तो उनमें कॉवेनेन्ट का झगड़ा खड़ा हो गया, कहीं व्हाइट पेपर का और कहीं और चीज का हवाला दिया गया

इस पर लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली गई। मगर कोई कानून इस बात के लिए नहीं बना सके कि उनकी प्रोपर्टी और प्लॉट्स को टैक्सेबल बना सकें, जिन्होंने इस विकास फायदा उठाया है और जितना फायदा उन्होंने उठाया है उसका कुछ हिस्सा ले सकें। यह कानून हमारे सामने नहीं आ सकता है। फिर समाजवादी सरकार कहती है....

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा कानून आ रहा है।

श्री केदारनाथ : मैं इस मसले की बात कह रहा हूं।

... कि इससे मजदूरों का फायदा होगा। यह ऐसा कानून है जिसको सबसे बड़ा गरीबों

(श्री केदारनाथ)

का ऑनस्लाट करने वाला कानून कहा जाय तो वाजिब होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मजदूरों की बात है, हरिजनों की बात है। ये लोग शहरों में कैसे आये, इस बात का देखें तो मालूम होगा कि जो लोग गांवों को छोड़ कर शहरों में आये उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ऐश-ओ आराम की मन्शा से नहीं आये। वे लोग शहरों में तब आये जब गांवों में एवेन्यूज आफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गये, जब उनके सामने रोजी और रोटी का प्रश्न उठा। वे लोग शहरों में आये और शहरों में आकर एक तरफ बसते हुए दिखाई दिये। और दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स क्लॉस के हैं, प्रिवलेज्ड क्लॉस के हैं उन्होंने जमीन पर कब्जा किया। मान्यवर लेकिन यह कानून उन पर लागू नहीं होगा। कारण, उन्होंने अपनी अनॉथोराइज्ड पजेशन को रेगुलराइज करा लिया है, उन्होंने कानून का फायदा उठाया है. सत्ता का फायदा उठाया है और म्यूनीसिपेलिटी, कॉर्पोरेशन का फायदा उठाया है। यह कानून उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने बड़े-बड़े मकान बना लिये हैं, बड़ी-बड़ी इन्स्टीट्यूशन बना ली हैं, बड़े-बड़े गार्डन्स बना लिये हैं क्योंकि उन सबने किसी न किसी का सहारा लेकर-किसी ने कोर्ट का सहारा लिया, किसी ने बड़ी-बड़ी पावर्स का सहारा लिया, किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन का लिया-उन सब अनॉथोराइज्ड पजेशन को रेगुलराइज करा लिया है। तो मेजोरिटी ऑफ देट क्लॉस, जिन्होंने शहर के विकास का फायदा उठाया, जिन्होंने कानून का फायदा उठाया, इस कानून की आर्बिट में नहीं आती।

लेकिन यह कानून उन पर लागू होगा, जो मजदूर हैं, गरीब हैं और हरिजन हैं-जो मजदूरी करते हैं और जो खोखे बना कर अपनी रोजगारी कमा रहे हैं, और जो कच्चे मकानों में और झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। जैसा कि जयपुर में रहने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इस कानून से उन गरीब और मजदूर वर्ग का ऑनस्लाट होगा, वे लोग इससे हार्डशिप में पड़ जायेंगे और सबसे पहली केज्वल्टी इस कानून की वही होंगे। तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि मिनिस्टर महोदय का इस हाउस में दिया हुआ एश्योरेन्स काम में नहीं आयेगा। जब कानून बन जाता है तो मैंने देखा है कि उससे नौकरशाही पनपती है और उसके बाद कौन कानून का फायदा उठाते हैं-यह हमने देखा है, उस कानून का क्या इम्पेक्ट होता है-यह भी हमने देखा है। मैं यह कहूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव समाजवादी व्यवस्था लाने का है या आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो नेगलेक्टेड हैं, जो कम्युनिटी और जो सेक्शन पिछड़े हुए रहे हैं, जिनका शोषण होता रहा है, जिनकी महनत और खून-पसीने पर विकास का महल खड़ा हुआ है, आज शहर में व्यवस्था के नाम से, खूबसूरती के नाम से उनकी जिन्दगी से खेलना चाहते हैं ? अगर आपकी यह मन्शा है, तो मैं यह कहूँगा कि यह कभी नहीं हो सकता और जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर देखे हैं बड़ी एड़ी म्यूनीसिपेलिट देखी हैं, किसी में ताकत नहीं है कि एक भी झुग्गी की घास को डेस्ट्राय कर सके। आज लोग मजबूत हैं इस बात के लिए। क्योंकि जो बड़े-बड़े आदमी हैं, वे कॉन्स्टीट्यूशन का फायदा उठा सकते है, कोर्ट्स में जाकर कॉन्स्टी-

(श्री केदारनाथ)

ट्यूशन में दिये हुआ सेफ गार्ड से अपनी सम्पत्ति बचा सकते हैं लेकिन आज जो गरीब मजदूर है, जो झुग्गी वाला है वह आज संगठित है, उसके पास भी ताकत है और उसकी जो कमाई कई चीज है, सिर ढ़कने के लिए जो उसकी बनाई हुई जगह है—उसको बचाये रखने के लिए उसमें भी ताकत पैदा हो गई है और आज कुछ लोग भी उनके साथ है। यह दोनों विचारधारा हमारे सामने चलती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कानून में आप सेफगार्ड दीजिये, एक एक्जेम्शन के नाम से आपको पॉवर रखनी चाहिए, जिसका इम्पेक्ट खराब न पड़े, जिससे गरीबों का ऑनस्लाट न हो और झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों पर इसका खराब असर नहीं पड़े। आपका विकास का नारा है और आप शहरों का विकास चाहते हैं तो इन झुग्गी झोंपड़ी वालों की हड्डियों पर विकास का महल खड़ा नहीं करें। जब आपने इसका सोशियलिस्टिक पर्पज निर्धारित किया है, तो सोचता हूँ कि जो मिनिस्टर महोदय हैं वे बड़े प्रगतिशील हैं, वे बात को समझते हैं, इम्पेक्ट को समझते हैं लेकिन क्योंकि कानून में कमी हैं इसलिए इस सिलेक्ट कमेटी में पेश करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। यह सिलेक्ट कमेटी में जाय और वहां इम्पेक्ट को देख कर यह विचार किया जाय कि कैसा बिल हो, कैसे उसमें प्रोवीजन इनसर्ट किये जायं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बात को वे लाजिमी मानेंगे। इसलिए मैं इस संकल्प को पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (अनेड़ा) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"राजस्थान सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन दो माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो कि आज इस सदन के सामने है, को एक प्रवर समिति में भेजने का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ, उसके कारण हैं और पहला कारण यह है कि इस हाउस में इसके पहले भी कई विधेयकों में कई अमेंडमेंट हमने इस तरह के पास किये हैं जिनकी मन्शा सरकार ने यह बताई कि इन अमेंडमेंट्स को पास करने से हमारे प्रान्त के अन्दर जितने भी गरीब लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा। मैं इस मामले में एक अमेंडमेंट जो हमने टेनेन्सी एक्ट में गई दफा पास किया, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। उस अमेंडमेंट को पेश करते वक्त जो सरकार ने मन्शा बताई थी वह यह थी कि इसको पास करने से गरीबों का फायदा होगा। पर ज्यों ही हमने पास किया और उसके बाद लाखों गरीबों का जो नुकसान हुआ है वह आपके सामने है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट आपके यहां पर हुआ और उसके जरिये एक सरक्यूलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कलेक्टर्स के पास भेजा। वह इस मामले में था कि एग्रीकल्चर लैंड के अन्दर जिन किसान लोगों ने मकान बना रखे हैं, उन मकानों के ऊपर किस तरह कब्जा दिया जाय—इसके लिए सरक्यूलर भेजा, उसमें रेगुलराइज करने की बात कही गई। उसमें

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यह कहा-एक वर्ग फीट जमीन का २५ नये पैसे देने के ऊपर उस जमीन के ऊपर उनको कब्जा करा दिया जाय और रेगुलराइज कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जब यह सरक्यूलर निकाला गया सारे राजस्थान के लिए, तो माननीय राजस्व उप-मंत्री जी, जो यहां पर हाउस में अभी नहीं हैं, ने कुछ डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इस ऑर्डर के लिए स्टे ऑर्डर दे दिये। उनके फलस्वरूप कुछ इलाके ऐसे हैं सारे राजस्थान में कि जहां एक एक किसान के ऊपर आठ सौ से लेकर अठारह सौ तक पैनल्टी लगाई गई है और उनके पास से जबर्दस्ती वसूल की जा रही है और कहा जाता है-तुमने इन एग्रीकल्चर लैंड के अन्दर मकान बना लिया है, इसलिए या तो इसे तोड़ दो या २५ नये पैसे वर्ग फीट के हिसाब से पैसा वसूल किया जायगा। मैं कहना चाहता हूँ कि बनेड़ा पंचायत समिति के अन्दर ऐसे गांव हैं, उसमें ऐसे लोगों के ऊपर पैनल्टी इम्पोज की है, वह पैंतीस हजार रुपये हैं और वह एक छोटा सा इलाका है। इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार को पता नहीं है कि किस वक्त यह मकान बनाया गया और उसके ऊपर कब से रह रहा है। आज से साठ वर्ष पहले हजारों लोगों ने मकान बना लिये उनके खिलाफ भी ऐसे नोटिस दिये गये। लेकिन यही नहीं, उन मकानों के लिये कहा जा रहा है-या तो मकान तोड़ दो या जो पैनल्टी इम्पोज की है वह दो।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कानून बनाया जाता है, तो सरकार हमेशा यही बात कहती है, जैसा मैंने अर्ज किया कि यह गरीबों के फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बहुत ही नम्र शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री की वह बात कहना चाहता हूँ, जो इस हाउस के अन्दर गये सेशन के अन्दर कही। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर लैण्ड जो उदयपुर में लिया है, और अभी इस सेशन में एक अमेंडमेंट हाउस के अन्दर किया कि उस जमीन के ऊपर बंगला बनाया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि गये सेशन में एक अमेंडमेंट पास किया था कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड पर बंगला बनायेगा, मकान बनायेगा तो वह डेढ़ सौ वर्ग फीट से ज्यादा जमीन पर नहीं बना सकता, अगर बनायेगा तो तहसीलदार से, कलेक्टर से, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से, म्यूनिसिपेलिटी से उसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस हाउस में कहा-मैंने अपने बंगले के लिए किसी से इजाजत नहीं ली है। वह एग्रीकल्चर लैण्ड है, इस बात को उन्होंने मंजूर किया। मैं पूछता हूँ कि सरकार ने क्या उनको नोटिस दिया-कि क्यों मकान बनाया, क्यों अनॉथोराइज्ड एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान बनाया सरकार ने उनको क्यों नहीं रोका? सरकार ने एक कानून पास किया और सरकार के सबसे बड़े अधिकारी उसको तोड़ते हैं, उनके लिए सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती है कानून के अनुसार? क्यों नोटिस नहीं देना चाहती है? उन्होंने गैर-कानूनी काम किया है उनके अगेन्स्ट एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वह मुख्य मन्त्री हैं और उसके विपरीत जो हरिजन जयपुर की गलियों में रहते हैं, कच्ची बस्ती में रहते हैं, अनकुपाइड लैण्ड है उसके ऊपर रहते हैं उनको सरकार हटा सकती है, उनकी झोंपड़ी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को तोड़ सकती है। जो लोग यहां पर रह रहे हैं अपने तन को ढंकने के लिए, बच्चों को धूप और बरसात से बचाने के लिए, गर्मी से तड़पते हुए बच्चों को बचाने के लिए झोंपड़ियों में रहते हैं उनको सरकार बर्बाद करना चाहती है। हमने इस हाउस में कहा था, आप कानून बनाना चाहते हैं, इस तरह की जमीन को अपने कब्जे में करना चाहते हैं तो उन लोगों की जमीन पर कब्जा करो, जिन लोगों को जमीन शहर में इसलिए दी गई है कि तुम यहां पर खेती करो, जिनको खेती करने के लिए आपने जमीन दी और वह जमीन रियायती रेट पर दी। मैं एक भीलवाड़ा का केस रखना चाहता हूँ। उपमंत्रीजी आप सुनें और इसकी जांच करवायें। मैं कह रहा हूँ, उसमें कितना तथ्य है। भीलवाड़ा में भोपालगंज नाम की बस्ती है, वहां पर एक बहुत बड़े सेठ भदादा के नाम से हैं, वहां के सबसे बड़े सेठ भदादा साहब, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेट्री हैं, भंवरलाल भदादा उन्होंने एक लैन्ड एग्रीकल्चरल लैन्ड के नाम से बहुत बड़ी जमीन महाराणा के समय में महाराणा से ले ली और जो उनको पट्टा दिया गया उसमें साफ लिखा गया है कि यह जमीन सिर्फ एग्रीकल्चरल लैन्ड होगी और इसी के काम में ली जा सकेगी। मगर मुझे दु:ख इस बात को कहते हुए है कि आज सरकार ने उस जमीन को भी सिटी लैण्ड में कन्वर्ट कर दिया है और उस व्यक्ति ने उस जमीन के प्लॉट काट-काट उन प्लॉटों से तीन लाख रुपये कमा लिये हैं। क्या सरकार उनसे कुछ लेना चाहती है ? क्या इस संबंध में सरकार के कोई कानून है जिससे उस पर कोई प्रतिबन्ध हो ? जिसने राजा महाराजाओं की गुलामी करके उनके जमाने में उनसे जमीन ली और आज फिर हमारे बड़े-बड़े मिनिस्टरों और अफसरों की गुलामी करके फायदा उठा रहे हैं ? और ऐसे ही लोग आज कांग्रेस में ज्यादा भरे हुए हैं। क्या कानून के जरिये किसी तरह की जमीन को इस तरह से उठाने की कोशिश करेंगे जो उन जमीनों पर भी नाजायज पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कहूंगा कि आज उदयपुर में एक नहीं सो केसेज़ इस तरह के बता सकता हूं जिन्होंने भोपालसिंहजी से एग्रीकल्चरल लैंड के नाम से जमीनें लीं थीं और बाद में उन्होंने उस जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कराया और प्लॉट बना कर बेच कर फायदा उठा रहे हैं। आज यहां पर जयपुर में भी सैकड़ों नौलिये बना रखे हैं। लोगों ने प्लॉट काट कर लाखों रुपये खुली जमीन के कमाये हैं। इसमें राजस्थान के आला अफसरों का भी हाथ है और उन लोगों ने भी अपने प्लॉट लिये हैं और इन सारी चीजों को रेगुलेराइज किया है। आज हमारे यहां आज कानून में अमेन्डमेंट लेकर आ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि आज भी यह जो अमेन्डमेंट लाया जा रहा है वह किसी मकसद से ही लाया जा रहा है और माननीय मंत्रीजी यह समझते होंगे कि इससे जनता का हित होगा मगर वे इस बात को समझते नहीं हैं कि यह कानून भी किसी की इच्छा के द्वारा ही लाया जा रहा है। यह अमेन्डमेंट तो मंत्रीजी ने रखा है लेकिन जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वे ही इसमें रद्दोबदल रखाने की हिमाकत करते हैं। आज आप राजस्थान में कहीं भी देख लीजिये। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अन्य किसी भी जगह,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे ऐसे आई. ए. एस., आर. ए. एस. और आई. सी. एस. अधिकारी हैं जिन्होंने दो साल अगर उदयपुर में वे रहे तो वहां पर उन्होंने अपना बंगला बनवा लिया, जयपुर में दोसाल रहे तो उन्होंने अपना बंगला जयपुर में बना लिया, भीलवाड़ा में रहे तो वहां पर अपना बंगला बनवा लिया। अगर इस प्रकार का कोई कानून में प्रावधान होता है कि गरीब लोगों को भी मकान बनाने के लिये बिना ब्याज कर्जा दिया जावेगा तो माननीय मंत्रीजी को, जिन्होंने यह सदन में विधेयक पेश किया है धन्यवाद देता। अगर इस तरह की आप एक लाइन भी रखते कि जिन लोगों के मकान नहीं है, कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिये पैसा दिया जावेगा जिस प्रकार पंचायत कानून में प्रोविजन है, उनको मुफ्त में जमीन देंगे और पैसा बिना ब्याज देंगे। इस प्रकार का अधिकार देते। यदि यह होता कि शहर में जो लोग बिना मकानों के हैं उनको इतना स्कावयर फुट जमीन जो आदमी के रहने के लिये आवश्यक होती है उतनी जमीन अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से मुफ्त में देकर उनके लिये बस्तियें बनावेंगे और उनको मकान बनाने के लिये सरकार मुफ्त में पैसा देगी। अगर ऐसा कोई प्रोविजन रखा जाता तो यह कानून समाजवादी सरकार के सिद्धान्तों को सिद्ध करता लेकिन यह जो हाउस में कानून लाया जा रहा है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीन चार मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने विधेयक आये हैं वे इसलिये सरकार की तरफ से रखे गये है कि प्लानिंग कमीशन ने कहा कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे मजदूरों और गरीबों को और किसानों को फायदा हो जावे। इस तरह के कानून आप रखें और इसी सिद्धान्त से ये कानून रखे गये। लेकिन आप देखिये कि शायद राजस्थान का टेनेन्सी एक्ट है वह एक पैसा एक्ट है जिसके हर कागज पर आपको लीरियें चिपकी हुई मिलेंगी, यही एक ऐसा एक्ट है जिसमें कितने ही एमेन्डमेंट रोज मर्रा आते रहे हैं। जब हमारे राजस्व मंत्री या उपमंत्री, राजस्व के सामने कोई दिक्कत पेश आती है या उनके सामने कोई ऐसी बात आती है कि उनके दोस्तों को नुकसान होता है तो एक लाइन का एक अमेन्डमेंट ले आते हैं। आप खुद मुलाहिजा करें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को और पार्टी के लोगों को फायदा पहुंच सके उस तरह से कानून में परिवर्तन किया है। सीलिंग में एमेन्डमेंट लाये मेकेनाइज्ड फार्म के लिये वह इसलिये कि उनके दोस्तों के पास जमीन है, मिनिस्टरों के पास जमीन है उस जमीन को किस तरह से बचाई जा सकती है। उसके लिये कानून में एमेन्डमेंट लाते हैं। मैं यह कहूंगा कि आप समाजवादी सरकार का नारा लगाते हैं, और जब आप कानून बनाते हैं तो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों की बात करते हैं उनकी विचार धारा पर चलने की बात कहते हैं। मगर आप महातमा गांधी के सिद्धान्तों पर चलते नहीं हैं। महात्मा गांधीजी चाहते थे कि गांवों में लोग ज्यादा से ज्यादा रहें। आप यह चाहते हैं कि गांवों को उजाड़

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दिया जावे और गांवों के लोग शहरों में बसे इस बात को आप आरंभ कर रहे हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

महात्माजी यह चाहते थे कि गांवों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, जैसा कि शिक्षा मंत्रीजी गर्दन हिला रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि वे मेरे से अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप डिप्टीलीडर हैं आज चीफ मिनिस्टर यहां पर नहीं हैं, आप यह कह दें कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको मुफ्त में जमीन दे दी जावेगी। इसका गरीबों के लिये ही हित नहीं होगा लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिये भी हित होगा। बहुत से लोगों ने जिनके पास मकान होते हुए भी कानून के खिलाफ मकान बना लिये हैं उनके प्रति आप एक्शन लें। आप हिम्मत करके हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो गैर कानूनी तौर से काम किया है और बंगला एग्रीकल्चरल लैंड पर बना लिया है उसके लिये श्री नन्दाजी को एक चिट्ठी गेर दीजिये कि इस तरह से गैर कानूनी कार्यवाही की गई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (इकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने भाषण में झोंपड़ियों का जिक्र किया है उनके मकान हैं और मैं समझता हूं कि वे केवल झोंपड़ियों की बातें ही करते हैं और उन्होंने दूर से झोंपड़ियों को देखी है मगर उनको झोंपड़ियों में रहने का मौका नहीं पड़ा है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि मंशा से जब कोई भी योजना बनती है तो अच्छी होती है। लेकिन योजना जिन लोगों के हाथ में जाती है वे इस योजना को असफल बना देते हैं। मैंने पहले भी हाउस में कहा था और अभी भी कहता हूं कि पहले आपने ग्राम सेविकाओं के लिये प्रावधान रखा था और गांवों में ग्राम सेविकाएं बनाई थीं। मगर वे आज कहां हैं ? आपकी वह योजना बिगड़ गई। इसका बड़े-बड़े लोगों ने फायदा उठाया और उन ग्राम सेविकाओं को बेचारियों को आखिर में अध्यापिकाएं बना दीं। यह सभी जानते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि जो भी योजना बनती है वह किसी स्वार्थ के लिये बनती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि पहले राजाओं की जब सरकार थी उस समय सरकार ने एक कौम को जुरायम पैशा रजिस्टर्ड किया और उनको धन्धा दे दिया, मगर फिर भी राजाओं की सरकार ने उनका जुरायम पेशा का धन्धा नहीं करने दिया। बाद में हमारी सरकार ने उनको इससे मुक्त किया और उन कौमों को आदिवासी कौमों में रजिस्टर्ड कर दिया फिर भी हमारे मंत्री जब हम आदिवासियों के लिये छात्रावास के लिये भूमि मांगते हैं तो यह कहते हैं कि आप इस संस्था को रजिस्टर्ड करा लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम तो आदिवासी लोग हैं और सरकार के रजिस्टर्ड हैं हमको फिर दुबारा रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है जब कि किसी भी कम्पनी वाला जमीन लेता है तो रजिस्टर्ड अपने आपको नहीं करवाता। उसको आप मुफ्त में जमीन देते हैं लेकिन जब हम आदिवासी भवन की

Page No. 107

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मांग करते हैं तो यह कहा जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आज राजस्थान में तीन लाख आदिवासियों की संख्या है और आदिवासियों के बल बूते पर हमारी सरकार आज चल रही है। हमारे आदिवासियों के लिये सुविधा दे रहे हैं छात्रावासों के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। क्या सदन की यह मंशा है कि सदन का टाइम १० मिनिट के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

टाइम बढ़ाया गया।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : लेकिन मुझे दुख होता है कि जहां एक तरफ तो हमारी सरकार हमारे आदिवासियों के बलबूते पर चल रही है, तो हम यह नहीं कहते कि हमारा लाभ नहीं कर रही है पर सीमा निर्धारित कर दी है कि इतने वर्षों यह अधिकार दे देंगे पर जब तक हमको आदिवासी रजिस्टर्ड कर रखा है तब तक हमारे आदिवासियों के लिये छात्रावास बनाने के लिये जयपुर में, राजधानी में, फ्री जमीन दे दी जाय, कोटा में जहां कि कल-कारखानों और सिंचाई योजना के कारण विकास हो रहे हैं, जहां हमारी ३ लाख आबादी है वहां हमको छात्रावास के लिये एक फ्री प्लॉट दे दिया जाय। पर छात्रावास के लिये कहते हैं तो कहते हैं कि आदिवासी संस्था को रजिस्टर्ड कराइये। आदिवासी संस्था को तो वे रजिस्टर करवाते हैं जो आदिवासी नहीं हैं....

(शेम, शेम की ध्वनि)

हमको भारत सरकार ने रजिस्टर्ड किया कि आदिवासी हो, हमको राजस्थान सरकार ने रजिस्टर्ड किया कि आदिवासी हो, फिर रजिस्टर करवाने की क्या जरूरत ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके निवेदन के माफिक ५ मिनिट हो चुके हैं। आप तृतीय वाचन पर बोल लें।

श्री हरिराम धारू।

श्री हरिराम धारू (सिवाना) : श्रीमान् उपाध्यक्षजी, आज जो यह भूमि का कानून बनाने के लिये सरकार आ रही है यह तो उचित ही है। अगर सरकार को पैसा देकर पट्टा करा लेते हैं तो वह जमीन का मालिक होगा, वह खुश भी है और बीच के आदमियों से जैसे नेताओं ने कहा उस साइड में आकाश में घोड़े उड़ाने वाले हैं उन्होंने कहा कि वोटों के लिये गुमराह करते हैं। वोटों के लिये गुमराह नहीं करते। अच्छा विचार किया गया है, सभी को पट्टे दें। इतना ध्यान रखने की अपील करता हूँ कि जो पिछड़े वर्ग हैं कुछ धनवानों से शोषण किये हुए हैं तो यह समाजवादी सरकार उनको पट्टा देने में रियायत करे। हरिजनों से भी पैसा लिया जाय, नहीं तो वे खुद जमीन के मालिक नहीं बन सकेंगे, धर्मादा माना जायगा। प्रथम तो जिस सरकार का जमीन पर कब्जा नहीं वह सरकार ही नहीं मानी जाती। तो सरकार के हाथ का पट्टा लेना सबके लिये जरूरी और उचित ही है। हरिजनों को और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको रियायती भाव से दिया जाय क्योंकि वे पीढ़ियों से राजा महाराजाओं और धनवानों के बल द्वारा कुचले हुए हैं, उनसे भेदभाव की दृष्टि रखी गई है। जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर सर-

(श्री हरिराम धारू)

कार चल रही है, यह तो ठीक है उनके विचार हैं, पर हम तो खुद ही सरकार के ऊपर चल रहे हैं सरकार के भरोसे ही चल रहे हैं....

श्री विजयसिंह भाला : (किन्हीं मंत्री महोदय की ओर इशारा करके) आप सचेत रहना नहीं तो आप पर बैठ जायेंगे ।

श्री हरिराम धारू : Mr. don't disturb.

उपाध्यक्षजी मैं जानकारी दे दूं कि चालीस-पचास आदिवासियों के छात्रावास राजस्थान सरकार चला रही है, हरिजनों के चालिस ५० छात्रावास चला रही है । ३००) ४००) रुपया भत्ता अपन लोग लेते हैं । अगर सरकार जमीन का पैसा नहीं लेगी तो कैसे यह सब खर्चा चलेगा ? सरकारी अफसरों का खर्चा कैसे चलेगा ? तो पैसा लेना चाहिये पर जो विवश हैं, मजबूर हैं उनको रियायत के भाव पर दे । वैसे हमारी राजस्थान सरकार समाजवादी सरकार है उसके ध्यान में है ही । पर पैसा देकर जमीन का पट्टा लेंगे तो हरिजनों और दूसरों के दिल और दिमाग मजबूत हो जायेंगे कि पैसे देकर पट्टा लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

श्री हरिराम धारू : अच्छा साहब, थोड़ा ही अच्छा है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थाक सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ सदन में लाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ । सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल ज्यादातर पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता है और पिछड़े वर्ग के सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनको इस बिल की जानकारी नहीं हैं । यह तो कह दिया गया है कि आयन्दा शायद बिल आयेगा उसका हिन्दी अनुवाद साथ ही दे दिया जायगा फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जो सदस्य यहां नहीं हैं शिड्यूल्ड कास्ट और और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उनको पता नहीं है कि अमुक बिल हमारे हक में आ रहा है, या खिलाफ ताकि उसके विषय में कुछ कह सकें, समझ सकें कि इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं और फिर अपनी राय दे सकें, तो सबसे बड़ा विरोध तो मेरा इस बिल के सम्बन्ध में यह है कि जब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सारे सदस्य इसे नहीं देख लें तब तक इस बिल पर किसी भी तरह का विचार नहीं होना चाहिये ।

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि एक तरफ भारत सरकार और राजस्थान सरकार कहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ऊंचा उठाने के लिये सभी तरह की सहूलियतें नहीं दे रहे हैं, इनके लिये इतनी सहूलितें दे रहे हैं कि दूसरे किसी को इतनी सहूलियतें नहीं दे रहे हैं । आपकी इन सहूलियतों के जितने प्रावधान विधान में पिछड़ी जातियों के लिये रखे हैं उनके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय या सरकार चलाने वाले बतायें कि हमने इतनी यह-यह सहूलियतें इन पिछड़ी जाति के लोगों को दी हैं और इतनी-इतनी दे रहे हैं । क्या क्या सहू-

Page No. 109

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

लियतें आज तक पूरी कर दी हैं ताकि सब को मालूम हो जाय कि १५ साल का आपका यह नमूना है क्योंकि जो सुविधायें बतलाई जाती हैं वे सब कागजी कार्यवाही और जनता को गुमराह करने वाली हैं।

दूसरा निवेदन मैं करूंगा कि जितने मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, उनको रहने के, पालन पोषण के पूरे अधिकार हैं। उस तरह के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कोई अधिकार नहीं हैं। अधिकार हैं तो उनकी सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट हर प्रकार से उनको दबाती है, हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और कहने को तो यह गवर्नमेंट कहती है कि दलितवर्ग को ऊंचा उठाते हैं पर जो सरकार कारना में हैं, और जितनी भी नीतियों हैं उसे यह बिल बता देता है कि इन जातियों के प्रति सरकार को कितनी सहानुभुति है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मौजूदा स्थिति ऐसी बन रही है कि दलित वर्ग के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। मंहगाई इतनी बढ़ गई है कि वे अपना पेट पालने में भी असमर्थ हैं। यह गवर्नमेंट कहती है कि इस सियासत को, राजनीति को हम अच्छी तरह से चला रहे हैं किन्तु मैं कहूंगा कि सरकार जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है सरकार की नीति गरीबों को कुचलने की है, उसी नीति से छोटे तबके के लोगों को शिकार होना पड़ता है, और उस नीति का शिकार होने के बाद भी इस प्रकार की चीजें इन पर लादी जाती हैं तो यह तो सरकार की पिछड़े वर्गों को खत्म करने की नीति है। अगर इन वर्गों को खत्म करने की ही सरकार की नीति है तो एक दम खत्म क्यों नहीं कर देती ?

जैसे राजाओं महाराजाओं के जमाने में राजाओं के पिट्ठू बन कर आज जो सरकार चला रहे है उनको बहकाया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से छूआछूत करनी चाहिये, इस तरह से उनको समझाया....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.१० बजे बृहस्पतिवार, दिनांक २० अगस्त, १६६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिए)

TRIFFS APPLICABLE IN THE AREAS FED MAIBLY HYDEL AND STEAM SATIONS.

AGRICULTRE SRVICB-(Schedule HS/AG/LT-5)

Available for irragational and agricultural pumping load.

Taaiff :—All consumption at 13 np. per Kwh.

The above rate is subject to a rebate of 1 np per Kwh provided the monthly bill is paid in full within the pericd prescribed on the bill.

Minimum Charges :—Rs. 42-00 per BHP per annum to be recknoed annually, without prejudice to any minimum gurantee revenue whieh may be prescribed in special cases.

Note-- (i) Lamps points not exceeding 100 watts in aggregate are permitted at or near the pump in the power circuit of an agricultural installation and its consumption charged at the above rate.

(ii) If the consumers under this Schedule desire the supply to be given at High Tension the Board entirely at its discretion map agree to the same and in such casesa rebate of 7% on the rates prescribed under this schedule will be given.

TARIFFS APPLICABLE IN THE AREAS FED FROM DIESBL STATION LOW TENSION TARIFFS.

System of Supply :—L. T.. A. C. 230/400 volts, single phase/three phases 50 cycles.

Agricultural Service :--(Schedule D/AG/LT-5)

Available for irrigational and agricultural pumping loads.

Tariffs :-- All consumption at 13 np. per Kwh.

The above rate is subjeci to a rebate of 1 nP per Kwh provided the monthly bill is paid in fnll within the period prescribed on bill.

Minimum charges :—Rs. 42-00 per PBH per annum to be recknoed annually, without prejudice to any minimum guaranteed revenue which may be prescribdd in special cases.

Notes .—Lamp points not exceeding 100 watts in aggregate are permitted at or near the pump in the power circuit of an agricultural installation and its consumption charged at the above rate.

If the consumers under this Schedule desire the supply to be given at High Tension the Board entirely at its discretion may agree on the same and in such cases a rebate of 7 c/o on the rate prescribed under this schedule will be given.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ का उत्तर देखिए)

List of forms in English.

S. T. 1 Forms.

S. T. 2 Books

S. T. 3 Forms

S. T. 3A Forms

S. T. 4 Books

S. T. 4A Books

S. T. 5 Forms

S. T. 5A Forms

S. T. 10 Forms

S. T. 11 Forms

S. T. 13 Books

S. T. 13A Books

S. T. 14 Books

S. T. 15 Forms

S. T. 16 Forms

S. T. 17 Books

S. T. 18 Forms

S. T. 19 Forms

S. T. 20 Books

S. T. 21 Forms

S. T. 22 Forms

S. T. 33 Forms

S. T. 34 Forms

S. T. 35 Forms

List of the Forms in Hindi

S. T. 6 Forms

S. T. 7 Forms

S. T. 5 Forms

S. T. 9 Forms

S. T. 12 Forms

❀ शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १६ अगस्त, १९६४)

स्तम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	८—१०	(सहकारी) पंचायत विद्युत................विभाग ।	[सहकारी, पंचायत, विद्युत..............विभाग]
३	प्रथम	बृहतरकृषि	बृहत् कृषि
,,	६ व १६	नामान्तकरण	नामान्तरकरण
४	१३	क्य। पैसे	क्या ? पैसे
२१	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
३५	१५	[श्री अब्दु लजब्बार	[श्री अब्दुलजब्बार
५५ व ५७	शीर्षक	अनुपस्तिथ	अनुपस्थित
६१	,,	अताराकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
६२	३	सुआयजा	सुआवजा
६३	१५	श्री चतुर्भुज उपाध्यत्त	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
६५	१३	श्री गोविन्दसिह	श्री गोविन्दसिंह
७६	शीर्ष	मजदूर	मजदूरों
८०	१६	उपस्थान	उपस्थापन
,,	२१	उपस्थपान	उपस्थापन
८१	पंक्ति ८ के नीचे	——	स्थगन-प्रस्ताव विधेयक
८५	शीर्ष	(श्री कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)	(कुं० श्री महेन्द्रसिंह
८५ से १२५	शीर्षक	करारोपण विधेयक	करारोपण (संशोधन) विधेयक
११०	१६	रर है ।	पर है ।
,,	१७	पर हैं ।	हैं
११६	प्रथम	ऑफिशियलया अफिशियल	(ऑफिशियल या ऑफिशियल)
१२१	शीर्षक	मोटरागड़ी	मोटरगाड़ी
१२५—१२६	,,	राजस्थान मोटरगाड़ी—१६ अगस्त, ६४—करारोपण विधेयक, १९६४	मोटरगाड़ी विधेयक— १६ अगस्त, ६४— भू-गृहादि विधेयक

१	२	३	४
१२८	१६	nwo	now
१३५	शीर्ष	श्री शतीसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१४१	,,	श्री सतीसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१४२	२५	राजस्थान क	राजस्थान सरकार के
,,	२६	वह कांग्रेगी	वह कांग्रेसी
१४३	शीर्ष	अग्रबाल)	अग्रवाल)
१८५	अन्तिम से ७	(कट्मर)	(कठूमर)
१५५	,, ७	(अग्रबाल)	(अग्रवाल)
१६१	शीर्ष	सार्वजनिक	सार्वजनिक
१६४	१२ व १६	एश्योंरेंसेज	एश्योरेन्सेज़
१७६	१८	एमेएडमेंटट्स	एमेण्डमेन्ट्स
,,	२४	मध्य स्पष्टीकरण	मध्य
,,	२५	ने कुछ	ने कुछ स्पष्टीकरण
,,	अन्तिम से ४	झोंपड़ियां उनके	झोंपड़ियां हैं उनके
१८६	१६	कंर्जा क्यों ?	कर्जा क्यों दिया
,,	२४	सैक्शन	सैंक्शन
,,	२५	वह माकन टूटता जैसा	वह मकान टूटता नहीं है । जैसा
,,	२८	हहने वाले	रहने वाले
१९२	अन्तिम से ५	कावश्यक है	आवश्यक है
,,	,, ,, २	एसेडमेंट भी	एमेंडमेन्ट
१९३	१७	Sfate	State
१९४	३	श्री मथुरेशविहारी	श्री मथुरेशबिहारी
१९५	२१	बोडर्स	बोर्ड्स
,,	२६	पंचायस ने	पंचायत ने
२००	२	एक्सपटस	एक्सपर्ट्स
२०७	शीर्ष	ढ़ाबरिया)	ढाबरिया)
२११	अन्तिम से ५	(इकलेरा)	(अकलेरा—सु०)
२१३	शीर्ष	'कालावादल')	"कालाबादल")
२१५	६	नहीं तो	नहीं तो
२१७	अन्तिम से ५	दक्तित वर्ग	दलितवर्ग

१	२	३	४
२१८	१३	चला रहे है	चलां रहे हैं
,,	१५	करट्स शिडयूल्ड	कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड
२१९	३	TRIFFS	TARIFFS
,,	३	MAIBLY	MAINLY FROM
,,	४	SATIONS	STATIONS
,,	५	AGRICULTRE SRVICB	AGRICULTURE SERVICE
,,	६	irragationl	irrigational
,,	७	Taaiff	Tariff
,,	८	Tbe above	The above
,,	९	pericd	period
,,	११	gurantee revenue whieh	guarantee reveuue which
,,	१९	map agree......... Casesa	may agree......... Cases a
,,	२०	7% on	7 1/2% on
,,	२२	DIESBL	DIESEL
,,	२३	TENSLon	TENSION
,,	२४	phases	phase
२२०	प्रथम	subjeci to	subject to
,,	३	reckhoed	reckoned
,,	५	prescribdd	prescribed
,,	अन्तिम से २	7 c/o	7 1/2%

* नोटः—विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।